



विनियोग लेखे

2000-2001

छत्तीसगढ़ सरकार



विषय-सूची

प्रस्तावना	
विनियोग लेख का सार	1-11
विनियोग लेख	
अनुदान संख्या	
भारित विनियोग- ब्याज की अवधानी और ऋण सेवा	12-14
भारित विनियोग- लोक ऋण	15-16
सामान्य प्रशासन	17-20
सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	21-22
परिस	23-24
गृह विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	25
बेल	26
विनियोग से सम्बन्धित व्यय	27-29
वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित व्यय	30-32
भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	33-35
राजस्व विभाग से सम्बन्धित व्यय	36
वन	37-39
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बन्धित व्यय	40-42
ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित व्यय	43-44
कृषि	45-48
पशु पालन विभाग से सम्बन्धित व्यय	49
अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत विस्तृत	
पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	50-53
मछली पालन	54
सहकारिता	55-56
श्रम	57-58
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	59-61
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	62-64
आवास एवं परिवार विभाग से सम्बन्धित व्यय	65-66
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय	67
जल संसाधन विभाग	68-71
लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	72-75
खनिज साधन विभाग से सम्बन्धित व्यय	76-77
संस्कृति विभाग से सम्बन्धित व्यय	78
स्कूल शिक्षा	79-81

82	राज्य विधान मण्डल	28.
83-84	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	29.
85-86	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित व्यय	30.
87	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बन्धित व्यय	31.
88-90	जन सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित व्यय	32.
91-92	आदिम जाति कल्याण	33.
93	समाज कल्याण	34.
94	पुनर्वास	35.
95-96	परिवहन	36.
97	पर्यटन	37.
98-100	खण्ड, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बन्धित व्यय	39.
101-102	आयकाट विभाग से सम्बन्धित व्यय	40.
103-113	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	41.
114-115	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बन्धित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	42.
116	खेल और युवक कल्याण	43.
117-118	उच्च शिक्षा	44.
119-121	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	45.
122	विज्ञान और टेक्नालॉजी	46.
123-124	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	47.
125-127	नगरदेव विन आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	48.
128-129	अनुसूचित जाति कल्याण	49.
130	बीस सूचीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बन्धित व्यय	50.
131	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	51.
132	कृषि विभाग से सम्बन्धित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	52.
133	निकाशों की विनीय सहायता	53.
134	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बन्धित व्यय	54.
135-136	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बन्धित व्यय	55.
137-138	ग्रामीण	56.
139	जन संसाधन विभाग से सम्बन्धित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	57.
140-144	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखेप्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	58.
145	जिला परियोजनाओं से सम्बन्धित व्यय	60.
146	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	61.
147-154	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	64.

185-186

राशियाँ का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण

परिशिष्ट-II मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा/800-अन्य जमा में जमा

183-184

परिशिष्ट-I वसूतियां जिनका लेखाओं में समायोजन व्यय में कमी के रूप में किया गया

परिशिष्ट:

- 83. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नारीय निकायों को वित्तीय सहायता संस्थाओं को वित्तीय सहायता 175-178 179
- 82. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत विस्तीय पंचायती राज 173-174
- 81. नारीय निकायों को वित्तीय सहायता 170-172
- 80. विस्तीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 168-169
- 79. चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित व्यय 167
- 78. ग्रामोद्योग विभाग से सम्बन्धित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 166
- 77. बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से सम्बन्धित विदेशों लोका निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 165
- 76. लोका निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 164
- 75. जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 163
- 71. पर्याप्तानन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 162
- 69. नारीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नारीय कल्याण 161
- 68. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बन्धित लोका निर्माण कार्य-भवन 157-160
- 67. लोका निर्माण कार्य-भवन 156
- 66. पिछड़ा वर्ग कल्याण 155
- 65. विमानन विभाग



प्रस्तावना

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 28) की शर्तों के अधीन, मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया है और 1 नवम्बर 2000 (अर्थात् विधित्त दिन) से संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों (बस्तर, जिलासपुर, दन्तेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, बांजगीर-चांणा, जसपुर, कांकर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महारासपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगाँव तथा सरगुजा) को सम्मिलित कर एक नवीन राज्य छत्तीसगढ़ का गठन हुआ।

01 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 के लिये छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेख का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति में उपरोक्तविधि में व्यवस्था की गई शर्तों के लेख प्रस्तुत करता है।

इन लेखाओं में-

'मूल' मूल अनुदान या विनियोग का शीर्षक है।

'पूरक' पूरक अनुदान या विनियोग का शीर्षक है।

'पुनर्वि.' सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का शीर्षक है।

प्रभावि विनियोग और व्यय को निरखे अधियों में दर्शाया गया है।



विनियोग लेखे का सार

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान और विनियोग की तुलना में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा				
राजस्व-				
प्रभारित	4,01,13,58,000	2,85,91,92,515	1,15,21,65,485	..
भारित विनियोग- लोक ऋण				
पूँजीगत-				
प्रभारित	6,12,86,01,000	1,92,52,44,855	4,20,33,56,145	..
1. सामान्य प्रशासन				
राजस्व-				
दत्तमत	17,45,75,100	8,07,86,125	9,37,88,975	..
प्रभारित	2,68,99,000	89,55,155	1,79,43,845	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	4,02,17,000	..	4,02,17,000	..
2. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	68,44,000	96,08,440	..	27,64,440
3. पुलिस				
राजस्व-				
दत्तमत	1,03,32,68,100	75,58,77,703	27,73,90,397	..
प्रभारित	6,65,000	23,267	6,41,733	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	40,000	..	40,000	..
4. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	2,58,81,000	1,72,70,029	86,10,971	..
5. जेल				
राजस्व-				
दत्तमत	7,81,97,000	6,66,12,042	1,15,84,958	..
6. वित्त विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	2,01,68,53,000	27,69,03,278	1,73,99,49,722	..
प्रभारित	2,40,000	6,92,041	..	4,52,041
पूँजीगत-				
दत्तमत	42,69,96,000	40,48,11,670	2,21,84,330	..
7. वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	21,95,44,000	16,20,72,827	5,74,71,173	..
प्रभारित	2,73,20,000	1,45,901	2,71,74,099	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	61,000	..	61,000	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान और विनियोग की तुलना में किया गया व्यय	आधिक्य
1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
8. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
राजस्व-				
दत्तमत	44,56,68,000	28,49,17,383	16,07,50,617	..
प्रभारित	10,05,000	..	10,05,000	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,49,14,000	15,84,430	1,33,29,570	..
9. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	99,83,000	51,38,406	48,44,594	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	6,86,000	..	6,86,000	..
10. वन				
राजस्व-				
दत्तमत	84,62,11,000	69,73,17,730	14,88,93,270	..
प्रभारित	30,00,000	1,28,550	28,71,450	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	23,99,000	23,20,000	79,000	..
11. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	5,41,07,000	2,80,57,604	2,60,49,396	..
प्रभारित	11,000	..	11,000	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	95,85,000	68,25,000	27,60,000	..
प्रभारित	13,75,000	..	13,75,000	..
12. ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	49,44,88,000	1,38,39,239	48,06,48,761	..
प्रभारित	2,56,45,000	2,56,45,000
पूँजीगत-				
दत्तमत	23,10,51,000	..	23,10,51,000	..
13. कृषि				
राजस्व-				
दत्तमत	35,57,73,100	25,08,17,975	10,49,55,125	..
प्रभारित	2,50,000	30,000	2,20,000	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	11,39,000	4,55,728	6,83,272	..
14. पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	14,84,25,000	15,71,95,363	..	87,70,363
प्रभारित	1,00,000	..	1,00,000	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान और विनियोग की तुलना में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
15. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	10,99,13,000	4,65,41,759	6,33,71,241	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	40,54,000	21,18,404	19,35,596	..
16. मछली पालन				
राजस्व-				
दत्तमत	3,06,47,000	1,75,45,664	1,31,01,336	..
प्रभारित	90,000	..	90,000	..
17. सहकारिता				
राजस्व-				
दत्तमत	3,83,40,000	3,29,05,363	54,34,637	..
प्रभारित	14,000	..	14,000	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,53,99,000	..	2,53,99,000	..
18. श्रम				
राजस्व-				
दत्तमत	3,38,02,000	2,13,21,357	1,24,80,643	..
प्रभारित	10,000	..	10,000	..
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	71,84,65,166	54,47,63,974	17,37,01,192	..
प्रभारित	2,30,000	..	2,30,000	..
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
राजस्व-				
दत्तमत	59,33,61,000	42,42,81,968	16,90,79,032	..
प्रभारित	1,00,000	1,00,000
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,00,40,000	52,20,125	48,19,875	..
21. आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	6,70,94,000	2,32,29,661	4,38,64,339	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	20,15,30,000	20,08,20,084	7,09,916	..
22. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय निकाय				
राजस्व-				
दत्तमत	28,56,000	16,37,662	12,18,338	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान और विनियोग की तुलना में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
23. जल संसाधन विभाग				
राजस्व-				
दत्तमत	36,04,60,000	30,48,52,388	5,56,07,612	..
प्रभारित	1,00,000	..	1,00,000	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	25,44,59,000	25,54,42,555	..	9,83,555
24. लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल				
राजस्व-				
दत्तमत	39,81,23,000	43,35,63,597	..	3,54,40,597
प्रभारित	1,50,000	14,93,500	..	13,43,500
पूँजीगत-				
दत्तमत	19,56,17,000	4,42,60,060	15,13,56,940	..
प्रभारित	1,50,000	..	1,50,000	..
25. खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	3,21,03,000	2,51,32,071	69,70,929	..
प्रभारित	50,000	..	50,000	..
26. संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	83,73,000	55,17,139	28,55,861	..
27. स्कूल शिक्षा				
राजस्व-				
दत्तमत	4,10,63,21,000	1,86,97,44,044	2,23,65,76,956	..
प्रभारित	30,000	..	30,000	..
28. राज्य विधान मंडल				
राजस्व-				
दत्तमत	3,75,99,000	2,48,72,868	1,27,26,132	..
प्रभारित	3,77,000	..	3,77,000	..
29. न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन				
राजस्व-				
दत्तमत	12,71,80,000	6,13,46,683	6,58,33,317	..
प्रभारित	2,87,74,000	1,31,94,739	1,55,79,261	..
30. पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	32,52,50,000	30,24,23,417	2,28,26,583	..
प्रभारित	3,000	..	3,000	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	88,01,86,000	88,00,42,100	1,43,900	..
31. योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व				
दत्तमत	2,55,16,000	1,77,60,566	77,55,434	..
32. जन सम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	5,07,24,000	2,92,69,998	2,14,54,002	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान और विनियोग की तुलना में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
33. आदिम जाति कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	1,15,46,07,000	1,20,16,15,852		4,70,08,852
प्रभारित	1,00,000	..	1,00,000	..
34. समाज कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	2,44,87,000	2,69,85,572		24,98,572
प्रभारित	17,000	..	17,000	..
35. पुनर्वास				
राजस्व-				
दत्तमत	48,92,000	41,18,412	7,73,588	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	2,51,000	2,28,430	22,570	..
36. परिवहन				
राजस्व-				
दत्तमत	4,11,73,000	1,52,65,459	2,59,07,541	..
प्रभारित	5,000	..	5,000	..
37. पर्यटन				
पूंजीगत-				
दत्तमत	57,60,000	..	57,60,000	..
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	21,47,63,000	15,51,38,473	5,96,24,527	..
प्रभारित	1,00,000	..	1,00,000	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,66,67,000	50,000	1,66,17,000	..
40. आयाकट विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	94,20,000	36,45,482	57,74,518	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	62,36,000	38,21,666	24,14,334	..
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
राजस्व-				
दत्तमत	1,09,42,01,200	81,54,90,271	27,87,10,929	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	54,14,74,000	33,99,12,572	20,15,61,428	..
प्रभारित	1,00,000	57,512	42,488	..
42. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल				
पूंजीगत-				
दत्तमत	25,72,87,000	13,65,63,098	12,07,23,902	..
प्रभारित	5,00,000	..	5,00,000	..
43. खेल और युवक कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	1,40,70,000	91,90,972	48,79,028	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान और विनियोग की तुलना में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
44. उच्च शिक्षा				
राजस्व-				
दत्तमत	50,28,14,000	30,11,55,619	20,16,58,381	..
प्रभारित	22,000	..	22,000	..
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य				
राजस्व-				
दत्तमत	5,57,30,000	5,15,15,395	42,14,605	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	8,25,48,100	4,12,19,675	4,13,28,425	..
प्रभारित	1,00,000	..	1,00,000	..
46. विज्ञान और टेक्नालॉजी				
राजस्व-				
दत्तमत	40,03,000	3,00,000	37,03,000	..
47. तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग				
राजस्व-				
दत्तमत	26,76,96,000	12,10,16,461	14,66,79,539	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	11,51,000	..	11,51,000	..
48. ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान				
राजस्व-				
दत्तमत	22,68,00,000	6,26,65,000	16,41,35,000	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	32,24,40,000	8,06,10,000	24,18,30,000	..
49. अनुसूचित जाति कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	6,51,24,000	4,00,79,672	2,50,44,328	..
प्रभारित	1,000	..	1,000	..
50. बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	41,04,000	29,31,458	11,72,542	..
51. धार्मिक न्यास और धर्मस्व				
राजस्व-				
दत्तमत	16,55,000	13,09,601	3,45,399	..
प्रभारित	6,000	..	6,000	..
52. कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
राजस्व-				
दत्तमत	11,20,000	..	11,20,000	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान और विनियोग की तुलना में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
53. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	15,29,000	15,29,000
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,21,000	1,21,000
54. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	2,74,75,000	2,74,75,000
55. महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	38,78,94,000	24,16,89,877	14,62,04,123	..
56. ग्रामोद्योग				
राजस्व-				
दत्तमत	5,41,21,200	3,19,14,642	2,22,06,558	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,77,60,000	7,22,190	1,70,37,810	..
57. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
पूंजीगत-				
दत्तमत	5,13,00,000	1,85,99,154	3,27,00,846	..
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	1,25,94,05,000	1,10,41,48,011	15,52,56,989	..
प्रभारित	13,31,000	..	13,31,000	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,67,71,000	9,09,513	1,58,61,487	..
60. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय				
पूंजीगत-				
दत्तमत	3,83,33,000	3,88,19,359	..	4,86,359
61. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
राजस्व-				
दत्तमत	1,45,95,000	26,57,519	1,19,37,481	..
64. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
राजस्व-				
दत्तमत	41,88,17,200	27,43,01,002	14,45,16,198	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	28,28,23,000	6,13,20,618	22,15,02,382	..
65. विमानन विभाग				
राजस्व-				
दत्तमत	71,83,000	63,48,894	8,34,106	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान और विनियोग की तुलना में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
66. पिछड़ा वर्ग कल्याण राजस्व- दत्तमत	6,44,25,000	4,00,91,288	2,43,33,712	..
67. लोक निर्माण कार्य-भवन राजस्व- दत्तमत	48,53,08,000	38,21,91,752	10,31,16,248	..
प्रभारित	5,45,000	52,454	4,92,546	...
पूँजीगत- दत्तमत	10,94,19,000	4,99,05,562	5,95,13,438	..
68. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन पूँजीगत- दत्तमत	9,74,64,000	1,03,97,740	8,70,66,260	..
69. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय कल्याण राजस्व- दत्तमत	2,33,47,000	2,30,43,039	3,03,961	..
पूँजीगत- दत्तमत	1,66,25,000	1,66,25,000
71. पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें राजस्व- दत्तमत	62,50,000	26,27,293	36,22,707	..
पूँजीगत- दत्तमत	3,10,000	8,73,581	..	5,63,581
75. जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनायें पूँजीगत- दत्तमत	7,46,00,000	6,93,78,304	52,21,696	..
76. लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें पूँजीगत- दत्तमत	95,00,000	..	95,00,000	..
77. बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं राजस्व- दत्तमत	8,00,00,000	..	8,00,00,000	..
78. ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं राजस्व- दत्तमत	4,20,85,000	1,84,29,457	2,36,55,543	..
पूँजीगत- दत्तमत	62,50,000	..	62,50,000	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान और विनियोग की तुलना में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
79. चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	13,66,80,000	10,81,25,667	2,85,54,333	..
प्रभारित	1,50,000	..	1,50,000	..
80. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	85,28,36,000	67,85,45,015	17,42,90,985	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	52,17,000	60,22,080	..	8,05,080
81. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	63,01,87,000	55,42,11,801	7,59,75,199	..
प्रभारित	5,00,00,000	33,50,223	4,66,49,777	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	11,90,000	11,90,000
82. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	35,91,20,000	21,18,72,329	14,72,47,671	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	17,57,000	24,33,999	..	6,76,999
83. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	67,90,000	71,03,000	..	3,13,000
योग-				
राजस्व :				
दत्तमत	21,52,06,51,066	13,52,18,52,608	8,09,55,94,282	9,67,95,824
प्रभारित	4,17,86,98,000	2,91,30,03,345	1,26,74,90,196	17,95,541
पूंजीगत:				
दत्तमत	4,26,16,27,100	2,68,36,23,697	1,58,15,18,977	35,15,574
प्रभारित	6,13,08,26,000	1,92,53,02,367	4,20,55,23,633	..
महायोग-				
राजस्व	25,69,93,49,066	16,43,48,55,953	9,36,30,84,478	9,85,91,365
पूंजीगत	10,39,24,53,100	4,60,89,26,064	5,78,70,42,610	35,15,574

निम्नलिखित प्रकरणों में अनुदान और विनियोग से अधिक व्यय हुआ। अधिक व्यय का विनियमन आवश्यक है।

अनुदान - दत्तमत-

अनुदान संख्या और नाम

अनुभाग

02. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व ..

14-पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय राजस्व ..

23-जल संसाधन विभाग राजस्व ..

24-लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल राजस्व ..

33-आदिम जाति कल्याण राजस्व ..

34-समाज कल्याण राजस्व ..

60-बिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय पूंजीगत ..

71-पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता पूंजीगत ..

प्राप्त परियोजनाय पूंजीगत ..

80-बिस्वीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता पूंजीगत ..

82-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत बिस्वीय पंचायती राज पूंजीगत ..

संस्थाओं को वित्तीय सहायता ..

83-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व ..

प्रधारित विनियोग-

06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय

24. लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल

राजस्व

--

राजस्व

..

विनियोग लेखे के सार में दिखाए गए व्यय में मार्च 2001 के दौरान स्वीकृत आकस्मिकता निधि से प्रेषितियों से व्यय की गई कोई भी राशि शामिल नहीं है जिसे वर्ष की समाप्ति से पूर्व निधि को पूर्ण नहीं की गई।

विनियोग लेखे के सार में स्तंभ क्रमांक (3) में दिखाये गये व्यय में 8,69,69,386 रुपये (दत्तमत) राजस्व अनुभाग में तथा 8,21,78,000 रुपये (दत्तमत) पूंजीगत अनुभाग में कुल 16,91,47,386 रुपये की राशि सम्मिलित है, जो वर्ष के दौरान आवंटित कर मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा/800-अन्य जमा में जमा कर दी गई। इस प्रकार की निधियों का अंतरण परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार - समाप्त

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशियों के लिए है जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2000-2001 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दर्शाया गया है।

	राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत रुपये	प्रभारित रुपये	दत्तमत रुपये	प्रभारित रुपये
विनियोग लेखे के अनुसार				
कुल व्यय	13,52,18,52,608	2,91,30,03,345	2,68,36,23,697	1,92,53,02,367
घटाइये-वसूलियों का जोड़	33,65,05,097	..	4,11,08,323	..
वित्त लेखे की विवरण संख्या-10 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	13,18,53,47,511	2,91,30,03,345	2,64,25,15,374	1,92,53,02,367

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के साथ पठित मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के उपबन्धों की अपेक्षाओं के अनुसार 01 नवम्बर 2000 से प्रभावी तथा उसके गठन के पश्चात् 01 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे मेरे निदेश के अधीन तैयार किये गये और जांचे गए हैं। मेरे अधिकारियों द्वारा मांगी गई और प्राप्त की गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्ष 2000-2001 के लिए अलग से प्रस्तुत किये जाने वाले छत्तीसगढ़ सरकार के लेखाओं पर अपने प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों की अभ्युक्तियों के अध्यधीन ये लेखे सही हैं।

वि. गौ. का. ल.

नई दिल्ली,
दिनांक :

12 0 MAR 2003

(विजयेन्द्र नाथ कौल)

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2049-ब्याज संदाय			
राजस्व:			
मूल	3,38,25,15,000		
पूरक	62,88,43,000	4,01,13,58,000	2,85,91,92,515
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			-1,15,21,65,485 11,85,55,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 62,88.43 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,15,21.65 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 11,85.55 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2049-01-101-4-11.50% मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2008	1,23.74	1,12.24	-11.50
(2) 2049-01-101-5-11.50% मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2009	2,19.54	9.35	-2,10.19
(3) 2049-01-101-2199-नया बाजार ऋण	1,82.90	..	-1,82.90
(4) 2049-01-101-8090-11.50% मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2010	2,30.42	0.04	-2,30.38
(5) 2049-01-200-3087-भारतीय जीवन बीमा निगम से लिये गये ऋणों पर ब्याज	1,41.39	..	-1,41.39
(6) 2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कैश बैलेन्स की कमी की पूर्ति हेतु लिये गये अग्रिमों पर ब्याज	1,06.48	0.07	-1,06.41
(7) 2049-01-200-3732-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिये गये ऋणों पर ब्याज	9,70.74	7,00.61	-2,70.13
(8) 2049-01-200-4486-सामान्य बीमा निगम से लिये गये ऋणों पर ब्याज	86.15	..	-86.15

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(9) 2049-01-200-3752-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये ऋणों पर ब्याज	5,04.37	4,22.47	-81.90
(10) 2049-01-305-2205-नये ऋणों के प्रचालन संबंधी व्यय	6.81	..	-6.81
(11) 2049-01-305-2624-पुराने ऋणों का प्रबंध	11.98	..	-11.98
(12) 2049-03-104-95-अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	39.69	24.98	-14.71
(13) 2049-03-104-807-कामगार अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज	76.03	22.52	-53.51
(14) 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज	1,77.56	1,10.05	-67.51
(15) 2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज			
मूल	53,17.57		
पूरक	62,88.43	48,07.90	-67,98.10
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (15) तक के शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः 11.50 लाख रुपये, 2,10.19 लाख रुपये, 1,82.90 लाख रुपये, 2,30.38 लाख रुपये, 1,41.39 लाख रुपये, 1,06.41 लाख रुपये, 2,70.13 लाख रुपये, 86.15 लाख रुपये, 81.90 लाख रुपये, 6.81 लाख रुपये, 11.98 लाख रुपये, 14.71 लाख रुपये, 53.51 लाख रुपये, 67.51 लाख रुपये तथा 67,98.10 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।</p>			
(16) 2049-03-108-3360-मध्य भारत जीवन बीमा निधि पर ब्याज-			
मूल	8.29		
पुनर्वि.	-8.29
(17) 2049-04-104-471-आयोजनेतर योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज	1,04,18.31	68,96.24	-35,22.07
(18) 2049-60-101-8291-सार्वजनिक उपक्रमों से लिये गये निवेशों पर ब्याज	6.65	..	-6.65
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत 8.29 लाख रुपये के संपूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं (18) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 35,22.07 लाख रुपये तथा 6.65 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।</p>			
(19) 2049-60-701-4192-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना - (बीमा निधि पर ब्याज)-			
मूल	46.68		
पुनर्वि.	-46.68	..	0.04
(20) 2049-60-701-4198-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना- (बचत निधि पर ब्याज)-			
मूल	9,51.33		
पुनर्वि.	-9,51.33

लोक सेवा (सभी प्रशासन)

कुल वित्तियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आविक्रय + बचत - रुपये
6,12,86,01,000	1,92,52,44,855	-4,20,33,56,145
पूर्वोक्त वर्ष के दौरान अस्थापित राशि		
टीका एवं टिप्पणियां		

**मुख्य शीर्ष-
6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण
6004-केंद्रीय सरकार से उधार और अधिम**

पूर्वोक्तः
(i) 4,20,33,56 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई राशि अस्थापित नहीं की गई।
(ii) वित्तियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल वित्तियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आविक्रय + बचत -
(1) 6003-101-8139-9% मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण-1999	5.61	5.61	-5.61
(2) 6003-103-8140-भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	14.74	14.74	-14.74
(3) 6003-104-3093-भारतीय साधारण बीमा निगम से ऋण	55.45	55.45	-55.45
(4) 6003-105-3731-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से कर्ज	16,06.30	12,30.86	-3,75.44
(5) 6003-109-1216-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से कर्ज	9.50	..	-9.50
(6) 6003-110-637-उपग्र तथा साधन अधिम	1,33,10.00	72,25.00	-60,85.00

उपर्युक्त कम संख्या (1) से (6) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 5.61 लाख रुपये, 14.74 लाख रुपये, 55.45 लाख रुपये, 3,75.44 लाख रुपये, 9.50 लाख रुपये और 60,85.00 लाख रुपये के बचत/समस्त वित्तियोग में उपर्युक्त रहने के कारण संचित नहीं किये गये हैं।
(जनवरी 2002)।

मूल पूर्वनि.	3,95,30.26	-1,13.77	3,94,16.49	39,29.16	-3,54,87.33
(7) 6003-110-779-कमियाँ की पूर्ति के लिये उधार-					

1,13.77 लाख रुपये की प्रत्याहित बचत राज्य की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति होने के कारण संचित नहीं किये गये हैं। 3,54,87.33 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संचित नहीं किये गये हैं।
(जनवरी 2002)।

(8) 6004-04-107-8142-सहकारी साख संस्थाओं के लिये उधार 11.59

11.59 लाख रुपये का समस्त वित्तियोग उपर्युक्त रहा; जिसके कारण संचित नहीं किये गये हैं।
(जनवरी 2002)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुद्दत: फलन के अंतर्गत विनियोग से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-संगठित की गई:-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	व्यय	(लाख रुपये में)
शीर्ष	कुल <td>वास्तविक <td>व्यय <td>(लाख रुपये में)</td> </td></td>	वास्तविक <td>व्यय <td>(लाख रुपये में)</td> </td>	व्यय <td>(लाख रुपये में)</td>	(लाख रुपये में)
पूर्व	5,29.86	6,43.63	6,43.63	..
पुनर्वि.	1,13.77	6,43.63	6,43.63	..

1,13.77 लाख रुपये के पुनर्विनिवेश द्वारा निधियों का आवर्धन मूल सेवा बापसी की गणना में उठि के कारण किया जाना सूचित किया गया।

(2) 600+04-108-260-अन्य सहकारी सेवा	6.91	18.45	18.45	+11.54
-------------------------------------	------	-------	-------	--------

11.54 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(iv) बजट प्रावधान के बिना व्यय:-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	व्यय	(लाख रुपये में)
शीर्ष	कुल	वास्तविक	व्यय	(लाख रुपये में)
(1) 6003-106-3732-क्षतिपूर्ति तथा अन्य बाण्ड- नापीय शक्ति परिसीमान तथा विनियमन अधिनियम 1976 के अंतर्गत नकद भुगतान के एवज में जारी बाण्ड	..	1.51	1.51	+1.51
(2) 6004-01-800-3469-महू सैन्य क्षेत्र में जल प्रदाय हेतु कर्ज	..	0.36	0.36	+0.36
(3) 6004-03-800-3944-विजयपुर उर्वरक कारखाने में जल प्रदाय हेतु कर्ज	..	11.57	11.57	+11.57

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1.51 लाख रुपये, 0.36 लाख रुपये तथा 11.57 लाख रुपये का व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 1-सामान्य प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2012- राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
2013- मंत्रि परिषद्			
2015- निर्वाचन			
2051- लोक सेवा आयोग			
2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2055- पुलिस			
2059- लोक निर्माण			
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2211- परिवार कल्याण			
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं			
4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय			
4216- आवास पर पूंजी परिव्यय			
7610- सरकारी सेवकों आदि को उधार			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	16,45,75,000		
पूरक	1,00,00,100	17,45,75,100	8,07,86,125
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			-9,37,88,975 7,71,49,372
प्रभारित-			
मूल	2,66,99,000		
पूरक	2,00,000	2,68,99,000	89,55,155
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			-1,79,43,845 1,77,51,649
पूंजीगत	4,02,17,000	..	- 4,02,17,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			17,000
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत -
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से बहुत कम था; मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 1,00.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 9,37.89 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 7,71.49 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 1 -जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2013-108-3283-मंत्रियों के दौरो के समय पेट्रोल पर व्यय-			
मूल	58.90		
पुनर्वि.	-57.25	1.65	-1.65
57.25 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत माननीय मंत्रियों के पी.ओ.एल. व्यय से संबंधित देयक प्राप्त न होने (40.00 लाख रुपये) तथा मंत्रियों के द्वारा यात्रायें न किये जाने (17.25 लाख रुपये) के कारण संसूचित की गई। 1.65 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(2) 2052-090-4327-सचिवालय-			
मूल	9,44.19		
पुनर्वि.	-5,22.95	4,21.24	-22.13
5,22.95 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सचिवालय का गठन पूर्ण न होने, आवश्यकतानुरूप व्यय किये जाने, मांग प्राप्त न होने (5,03.45 लाख रुपये) एवं वाहनों के क्रय हेतु प्रस्ताव प्राप्त न होने (19.50 लाख रुपये) के कारण हुई। 22.13 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(3) 2059-01-051-7556-पुराने भवनों की मरम्मत तथा ट्रांजिट आवास की व्यवस्था-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	-9.35	40.65	-40.65
9.35 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही 40.65 लाख रुपये की अंतिम बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(4) 2059-01-053-7557-उच्च न्यायालय की व्यवस्था	1,00.00	..	-1,00.00
1,00.00 लाख रुपये का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(5) 2251-090-4329-सचिवालय-			
मूल	1,29.71		
पुनर्वि.	-1,17.85	11.86	+ 0.61
1,17.85 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कार्यालय का स्वरूप व्यवस्थित न होने के फलस्वरूप मांग प्राप्त न होने के कारण संसूचित की गई। 0.61 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(6) 3451-090-4327-सचिवालय-			
मूल	74.70		
पुनर्वि.	-60.96	13.74	+3.32
60.96 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कार्यालय का स्वरूप व्यवस्थित न होने, अमले की कमी तथा आवश्यकतानुरूप व्यय किये जाने के कारण होना संसूचित की गई। 3.32 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			

अनुदान संख्या 1 -जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2013-105-9064-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-			
मूल	6.60		
पुनर्वि.	40.00	27.65	-18.95

40.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन वर्ष 2000-2001 के पांच माह हेतु कम प्रावधान के फलस्वरूप हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु निधियों की आवश्यकता के कारण किया गया। 18.95 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(2) 2013-800-9939-मंत्रियों द्वारा सहायता अनुदान-			
मूल	90.00		
पुनर्वि.	-0.83	1,09.74	+20.57

0.83 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही 20.57 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जनवरी 2002)।

(v) बिना प्रावधान के किया गया व्यय:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
2015-101-6262-निर्वाचन आयोग	..	45.49	+ 45.49

बिना बजट प्रावधान के 45.49 लाख रुपये का व्यय किया गया जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

प्रभारित -

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था; मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 2.00 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) 1,79.44 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 1,77.52 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2012-03-090-4330-सचिवालय-			
मूल	55.84		
पुनर्वि.	-22.54	33.29	- 0.01

22.54 लाख रुपये की बचत रिक्त पदों के विरुद्ध अमले की भर्ती न किये जाने तथा कार्यालय व्यय में मितव्ययिता अपनाने के कारण संसूचित की गई।

(2) 2012-03-103-9059-घरेलू स्थापना-			
मूल	1,11.40		
पुनर्वि.	-1,06.33	5.06	- 0.01

1,06.33 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मूलभूत/लघु निर्माण कार्यों हेतु प्रावधान किये जाने और कार्यालय व्यय में मितव्ययी उपायों के अपनाने के फलस्वरूप संसूचित की गई।

अनुदान संख्या 1-समाप्त

शीर्ष	कूल	वास्तविक	व्यय	आधिक्य + बचत -
(3) 2012-03-800-3609-यात्रा व्यय-	15.55	4.08	1.98	- 2.10
अंतर्गत व्यय किये जाने और मिलव्ययी उपाय अपनाने के कारण संप्रचित की गई। 2.10 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।				
(4) 2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग-	25.00
मूल	25.00			
पुनर्व.	-25.00			
25.00 लाख रुपये के समस्त विनियोग की प्रत्याशित बचत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन न होने के कारण संचित की गई।				

पूर्वागत:-

वसमत-
(IX) 4,02.17 लाख रुपये के समस्त प्रावधान की उपलब्ध बचत के विकल्प 31 मार्च 2001 को केवल 0.17 लाख रुपये की शेषि अस्पष्टता की गई।

(X) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कूल	अनुदान	वास्तविक	व्यय	आधिक्य + बचत -
(1) 4059-01-800-7558-विधान सभा की व्यवस्था- शसन का निर्माण	2,00.00	2,00.00	-2,00.00
(2) 4216-01-800-7561-आवसीय शवनों का क्रय	2,00.00	2,00.00	-2,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के प्रत्येक शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,00.00 लाख रुपये का संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।					

**अनुदान संख्या 2-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2053- जिला प्रशासन			
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075- विविध सामान्य सेवाएं			
2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
राजस्व	68,44,000	96,08,440	+27,64,440
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			52,35,000

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) दत्तमत अनुदान से हुये 27,64,440 रुपये के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) 27.64 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2001 को किया गया 52.35 लाख रुपये का अभ्यर्पण अवास्तविक तथा अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान से आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
2235-60-107-4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपदान-			
मूल	35.00		
पुनर्वि.	-35.00	75.58	+75.58

35.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण संसूचित की गई। 75.58 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान में बचत द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2053-800-4062-विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों का भ्रमण-			
मूल	7.00		
पुनर्वि.	-5.00	2.00	-2.00

5.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत सम्मान्य /अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर कम व्यय करने के कारण हुई। 2.00 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 2-समाल

शीर्ष	कैल	अनुदान	वास्तविक	अधिक्य + बचत -
			(लाख रुपैयाँ में)	
(2) 2235-01-800-1982-दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा यात्रा को वित्तीय सहायता-	मूल 4.96	1.60	3.46	+1.86
	पुनर्व. -3.36			
(3) 2235-60-107-7512-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों हेतु बस पास-	मूल 5.00			
	पुनर्व. -5.00			

उपरोक्त कम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 5.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मात्रा प्राप्त न होने के कारण हुई। उपरोक्त कम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 3.36 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही 1.86 लाख रुपये के अंतिम अधिक्य के कारण सुचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 3-पुलिस

आधिक्य +	कल अनुदान	या	विनियोग	केपड़े	व्यय	केपड़े	आधिक्य +
----------	-----------	----	---------	--------	------	--------	----------

मुख्य शीर्ष-

2055- पुलिस

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं

4215- जल पूर्ति और मल निकासी पर पूर्वी परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत्-

मूल

98,73,58,000

4,59,10,000

वर्ष के दौरान अस्थिरित राशि

(31 मार्च 2001)

प्रशान्त

वर्ष के दौरान अस्थिरित राशि

6,65,000

23,267

-6,41,733

पूर्वजागत

वर्ष के दौरान अस्थिरित राशि

40,000

-40,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत्-

अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 27,73.90 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 16.43 लाख रुपये की राशि अस्थिरित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कल अनुदान	व्यय	आधिक्य +
-------	-----------	------	----------

(1) 2055-001-3680-राज्य मुख्यालय-

मूल	पूरक	पुनर्वि.	मूल
1,22.95	35.00	1,57.95	13.21
-1,44.74			

35.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन बजट अनुमान में कम प्रावधान किये जाने के कारण किया गया। 1,44.74 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सृष्टित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(2) 2055-104-4492-सामान्य व्यय-

मूल	पूरक	पुनर्वि.	मूल
18,18.20	2,37.60	-30.96	20,24.84
-4,19.31			

30.96 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही 4,19.31 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सृष्टित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(3) 2055-109-194-अन्य पुलिस-

मूल	पूरक	पुनर्वि.	मूल
3,60.75	1,64.00	-5.95	5,18.80
-5,18.80			

5.95 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत 'अन्य प्रकार' में कम व्यय किये जाने के कारण सृष्टित की गई। 5,18.80 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सृष्टित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 3-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(4) 2055-111-2531-पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द- (रेल पुलिस-पूर्वी क्षेत्र)- मूल 2,09.65 पूरक 1.50	2,11.15	62.70	-1,48.45
(5) 2055-114-4155-बेतार केन्द्र भोपाल एवं ग्वालियर	4,38.55	1,16.63	-3,21.92
(6) 2055-115-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	8,33.81	..	-8,33.81
(7) 2055-800-8333-सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	56.25	..	-56.25
(8) 2070-107-492-आन्धान पर होनेवाला व्यय	3,02.50	1,89.49	-1,13.01

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (8) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,48.45 लाख रुपये, 3,21.92 लाख रुपये, 8,33.81 लाख रुपये, 56.25 लाख रुपये एवं 1,13.01 लाख रुपये की बचत/समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2055-001-1011-क्षेत्रीय महानिरीक्षक तथा संचागीय स्थापना	37.50	1,59.33	+1,21.83
(2) 2055-003-195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र	1,52.20	2,45.31	+93.11

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,21.83 लाख रुपये तथा 93.11 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2055-101-270-अपराध अनुसंधान विभाग- मूल 2,44.55 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 5.95	2,50.50	3,13.54	+63.04

5.95 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन का कारण बजट में कम प्रावधान किया जाना संसूचित किया गया। 63.04 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

प्रभारित-

(v) 6.42 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
2055-109-4491-सामान्य व्यय- (जिला स्थापना)	5.65	0.23	-5.42

5.42 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) 0.40 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 4-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

(सभी वतमान)

आधिक्य +
- व्यय
- केष्य

वास्तविक

कुल

अनुदान

केप्य

मुख्य शीर्ष-

2013- मंडि-परिवर्द्ध

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2216- आवास

2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

3454- जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी

राजस्व

वर्ष के दौरान अस्थिरित राशि

-86,10,971

1,72,70,029

2,58,81,000

राजस्व:

टीका एवं टिप्पणियां

(i) 86.11 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अस्थिरित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + - बचत
(1) 2013-800-9261-अन्य व्यय	25.00	25.00	..	-25.00
(2) 2216-80-001-5347-समदा संचालनालय	5.30	5.30	..	-5.30

उपरोक्त कम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 25.00 लाख रुपये तथा 5.30 लाख रुपये के समस्त प्रावधान के अधूरे रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(3) 2235-60-200-3700-राज्य सैनिक बोर्ड	15.31	1.84	1.84	-13.47
(4) 2235-60-200-9262-जिला सैनिक बोर्ड	22.10	14.04	14.04	-8.06
(5) 3454-01-800-7586-वर्ष 2001 का जनगणना कार्य	1,56.96	1,27.88	1,27.88	-29.08

उपरोक्त कम संख्या (3) से (5) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 13.47 लाख रुपये, 8.06 लाख रुपये तथा 29.08 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 5- जेल (सभी वतमल)

कूल अनुदान कपड़े
वास्तविक व्यय कपड़े
आधिक्य + बचत - कपड़े

मूल	पुरक	वर्ष के दौरान अर्थात् राशि	31 मार्च 2001
7,65,97,030	16,00,000	7,81,97,000	6,66,12,042
			1,00,03,548

राजस्व: टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व: (I) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 16.00 लाख रुपये का अनुपूर्वक अनुदान

अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(II) 1,15.85 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 1,00.04 लाख रुपये की राशि अर्थात् की गई।

(III) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
		(लाख रुपयों में)	

(1) 2056-001-2272-निदेशन और प्रशासन-

मूल	पुरक	अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
15.05	-10.48	4.57	2.92	-1.65

10.48 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों के न भरे जाने (7.67 लाख रुपये) और मितव्ययी उपायों (2.81 लाख रुपये) के कारण हुई। 1.65 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संचित नहीं किया गया है (जनवरी 2002)।

(2) 2056-101-938-केंद्रीय और जिला जेल-

मूल	पुरक	अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
7,28.13	13.50	-81.00	6,60.63	6,54.38

81.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों के न भरे जाने (28.68 लाख रुपये), मितव्ययी उपाय अपनाने (4.84 लाख रुपये) तथा कोषालय द्वारा देयक स्वीकार न किये जाने (47.48 लाख रुपये) के कारण हुई। 6.25 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संचित नहीं किया गया है (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 6-वित्त विभाग से संबंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2054-राजकोष और लेखा प्रशासन			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ			
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
4425-सहकारिता पर पूंजी परिव्यय			
4885-उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय			
7610-सरकारी सेवकों आदि को उधार			
7999-आकस्मिकता निधि में विनियोग			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	2,01,64,53,000		
पूरक	4,00,000	2,01,68,53,000	27,69,03,278
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-1,73,99,49,722
			..
27,69.03 लाख रुपये के सम्पूर्ण व्यय में मुख्य शीर्ष 2235-60-200-7000-पेंशन कल्याण निधि की आपूर्ति के अंतर्गत आहरित 2.00 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है जो 31 मार्च 2001 को मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा में जमा कर दी गई।			
प्रभारित	2,40,000	6,92,041	+4,52,041
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	42,49,96,000		
पूरक	20,00,000	42,69,96,000	40,48,11,670
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-2,21,84,330
(31 मार्च 2001)			1,45,28,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 4.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,73,99.50 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 6-जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2054-098-4361-स्थानीय निधि लेखा	1,28.36	30.82	-97.54
(2) 2070-800-224-अन्य व्यय	20,00.00	6.24	-19,93.76
(3) 2071-01-101-2413-निवृत्त वेतन भोगी व्यक्तियों को देय	1,29,32.33	13,46.66	-1,15,85.67
(4) 2071-01-102-3080-भारत में पेंशनों का रूपांतरित मूल्य का भुगतान	17,69.84	1,05.54	-16,64.30
(5) 2071-01-104-4590-सेवा तथा मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान	23,16.98	5,96.55	-17,20.43
(6) 2071-01-105-2514-परिवार पेंशने	6,95.20	3,95.78	-2,99.42

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 97.54 लाख रुपये, 19,93.76 लाख रुपये, 1,15,85.67 लाख रुपये, 16,64.30 लाख रुपये, 17,20.43 लाख रुपये एवं 2,99.42 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
2054-095-2274-निदेशन एवं प्रशासन-			
मूल	33.99		
पूरक	4.00	37.99	78.30
			+40.31

40.31 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

प्रभारित-

(v) विनियोग से हुए 4,52,041 रुपये के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vi) विनियोग में अधिक व्यय निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
2071-01-106-600-उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को देय	0.82	6.92	+ 6.10

6.10 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 6-समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 20.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(viii) 2,21.84 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 1,45.28 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1005-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अंशपूँजी का धनवेष्टन	25.00	..	-25.00
(2) 4885-01-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3210-मध्य प्रदेश वित्त निगम की अंशपूँजी में धनवेष्टन	50.00	..	-50.00
(3) 7610-201-9084-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम- मूल 26.67 पुनर्वि. -26.67
(4) 7610-202-5297-अन्य शासकीय सेवकों को मोटर कार अग्रिम- मूल 1,00.00 पुनर्वि. -1,00.00	..	8.67	+8.67

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 26.67 लाख रुपये एवं 1,00.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (1), (2) तथा (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 25.00 लाख रुपये तथा 50.00 लाख रुपये की बचत एवं 8.67 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 7-समाप्त

(vii) पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा मुद्रांक शुल्क निधि-

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप 01 नवम्बर 2000 से नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। अधिनियम के नियम-79 के प्रावधानानुसार नये राज्यों द्वारा पुनर्गठन की दिनांक को लागू कानूनों को दो वर्ष की अवधि के लिये यथारूप अपनाया जावेगा। तदनुसार मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 74 एवं 75 के अंतर्गत भू राजस्व उपकर स्टाम्प शुल्क निधि का गठन किया गया है। प्रत्येक भू-धारी तथा सरकार के पट्टेदार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में उपकर ऐसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व या लगान के प्रति रुपया या उसके किसी भाग पर जो पचास पैसे से अधिक हो, पचास पैसे की दर से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उद्गृहीत किया जाता है तथा उन लिखितों पर जो खण्ड के भीतर स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, दान या बंधक से संबंधित हो, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत की दर से ऐसी संपत्ति के मूल्य पर या बंधक की दशा में उस रकम पर जो लिखित द्वारा प्रतिभूति की गई है, उद्गृहीत कर राज्य की निधि के अंतर्गत शासन की प्राप्तियों में जमा की जाती हैं। जनपद, ग्राम तथा जिला पंचायतों के कार्यालयीन व्यय तथा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु इस निधि का उपयोग किया जाता है। उपकर तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मुख्य शीर्ष "0030-स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस-02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर-800-अन्य प्राप्तियां-0035-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्गृहीत स्टाम्प शुल्क" के अंतर्गत राजस्व में जमा किया जाता है तथा इस अनुदान में उपकर के आगम तथा गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा उगाही गई उपकर एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के समतुल्य राशि मुख्य शीर्ष "2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-02-स्टाम्प-न्यायिकेत्तर-797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं को/से अंतरण-6002-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्गृहीत अतिरिक्त स्टाम्प का पंचायत भू-राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क निधि में अंतरण के अंतर्गत राज्य की संचित निधि पर प्रभारित किया जाकर मुख्य शीर्ष 8229-विकास एवं कल्याण निधि-200-अन्य विकास एवं कल्याण निधियां-पंचायत, भू-राजस्व, उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि में जमा किया जाता है।

01 नवम्बर 2000 को निधि का प्रारंभिक शेष निरंक था। वर्ष के दौरान इस निधि में कोई राशि जमा/नामे नहीं की गई अतः 31 मार्च 2001 को निधि में जमा शेष निरंक था। निधियों के लेन-देन का लेखा 01 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के वित्त लेखे के विवरण संख्या-16 में सम्मिलित किया गया है।

पूँजीगत:
दत्तमत

(viii) 0.61 लाख रुपये के समस्त प्रावधान की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 8-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2029-भू-राजस्व			
2052-सचिवालय -सामान्य सेवाएं			
2053-जिला प्रशासन			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075-विविध सामान्य सेवाएं			
2401-कृषि कार्य			
3604-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय			
6401-कृषि कार्य के लिये उधार			

राजस्व:

दत्तमत	44,56,68,000	28,49,17,383	-16,07,50,617
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			16,69,87,000
<i>प्रभारित</i>	<i>10,05,000</i>	<i>..</i>	<i>-10,05,000</i>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			10,05,000

पूंजीगत:

दत्तमत	1,49,14,000	15,84,430	-1,33,29,570
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			1,47,24,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 16,07.51 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को किया गया 16,69.87 लाख रुपये का अभ्यर्पण अवास्तविक तथा अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2029-102-2193-नजूल स्थापना-			
मूल	1,42.40		
पुनर्वि.	- 70.43	71.97	70.41
(2) 2029-102-2503-परिमाणन, व्यवस्थापना तथा लेख्य संग्रह संबंधी कार्य-			
मूल	89.09		
पुनर्वि.	-54.42	34.67	22.84

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 70.43 लाख रुपये तथा 54.42 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश राज्य से स्वीकृत पदों के विरुद्ध कर्मचारियों का स्थानांतरण न होने के कारण कम व्यय तथा मितव्ययी उपाय अपनाने के कारण संसूचित की गई। इन शीर्षों के अंतर्गत 1.56 लाख रुपये तथा 11.83 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2029-103-1472-जिला प्रभार-			
मूल	13,37.24		
पुनर्वि.	- 5,27.00	8,10.24	+86.62
5,27.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश राज्य से अमले के कार्य ग्रहण न करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, मितव्ययी उपाय अपनाने, मांग प्राप्त न होने तथा निधियों की आवश्यकता न होने के कारण संसूचित की गई। 86.62 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(4) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-			
5917-भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार-			
मूल	4,06.00		
पुनर्वि.	- 3,78.10	27.90	+13.52
(5) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-			
8717-सोलहवीं पशु संगणना-			
पूरक	30.00		
पुनर्वि.	- 30.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 3,78.10 लाख रुपये तथा 30.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के लेखे में निधियों का अंतरण न किये जाने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 13.52 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(6) 2053-093-1510-जिला स्थापना-			
मूल	6,23.21		
पुनर्वि.	-1,38.40	4,84.81	+4.18
1,38.40 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने तथा नये वाहन क्रय न करने के कारण संसूचित की गई। 4.18 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(7) 2053-094-441-आवेशिका वाहक स्थापना-			
मूल	2,71.15		
पुनर्वि.	-74.00	1,97.15	-10.49
74.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत संभागों और उप-संभागों में पद रिक्त रहने के कारण हुई। 10.49 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(8) 2053-094-619-उप संभागीय स्थापना-			
मूल	4,72.28		
पुनर्वि.	-1,16.04	3,56.24	-16.83
1,16.04 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पदस्थापना विलंब से होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा नये वाहनों के क्रय हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। 16.83 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(9) 2053-094-2722-प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-			
मूल	2,22.72		
पुनर्वि.	-35.46	1,87.26	-37.25
35.46 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के फलस्वरूप वेतन और मजदूरी पर कम व्यय होने के कारण हुई। 37.25 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			

अनुदान संख्या 8-समाप्त

शीर्ष	कुल	अनुदान	व्यय	बचत -
(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-साहित की गई:-				
2029-001-456-आयुक्त मू-अभिलेख एवं बंदोबस्त का कायालय-	32.62	-12.90	47.41	+27.69
12.90 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राज्य के राजस्व विभाग में संचित सहै कार्दकारी आयुक्त द्वारा प्रभार वहन करने के कारण आयुक्त के वेतन और भत्ता में कम व्यय होने के कारण संसूचित की गई। 27.69 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।				
प्रशान्त -				
(iv) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-				
शीर्ष	कुल	विनियोग	व्यय	बचत -
2052-099-3657-राजस्व बोर्ड	8.60
8.60 लाख रुपये के समस्त विनियोग की प्रत्याशित बचत नवगठित उत्तीर्णराज राज्य में राजस्व बोर्ड की स्थापना न होने के कारण संसूचित की गई।				
पूर्वगत :				
वसमत-				
(v) 1,33.30 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विकल्प 31 मार्च 2001 को किया गया 1,47.24 लाख रुपये का अस्पष्टण आवास्तविक एवं अतिविकल्प था।				
(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-				
शीर्ष	कुल	अनुदान	व्यय	बचत -
6401-800-862-कृषक रक्षण अधिनियम-	1,41.64	1.90	15.56	+13.66
1,39.74 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत सूखे के कारण कृषकों द्वारा कृषि रक्षण का कम उपयोग करने के कारण हुई। 13.66 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।				

अनुदान संख्या 9-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2058-लेखन सामग्री और मुद्रण			
2075-विविध सामान्य सेवाएं			
4058-लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व	99,83,000	51,38,406	- 48,44,594
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			44,39,000
पूंजीगत	6,86,000	..	-6,86,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			6,86,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 48.45 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 44.39 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2058-001-2286-नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यालय-			
मूल	6.36		
पुनर्वि.	-4.71	1.65	-1.65

4.71 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदेन नियंत्रक के वेतन एवं भत्तों का आहरण न किये जाने तथा कार्यालयीन व्यय में मितव्ययिता अपनाने के कारण हुई। 1.65 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(2) 2058-102-2820-फार्म का मुद्रण भंडारण

और वितरण-

मूल	85.24		
पुनर्वि.	-34.72	50.52	48.17
			-2.35

34.72 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों की रिक्तता, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों एवं आकस्मिक श्रमिकों को काम पर न लगाने, यात्रा व्यय, कार्यालयीन व्यय, वाहनों के पेट्रोल और तेल के व्यय में मितव्ययिता, मशीनों के सुधारों की कम आवश्यकता, नये राज्य के गठन के कारण सीमित मात्रा में सामग्री का क्रय, उत्तरवर्ती राज्य से कागज का पर्याप्त मात्रा में प्रदाय किये जाने के कारण कम मात्रा में कागज का क्रय तथा मशीनों के प्रतिस्थापित नहीं किये जाने के कारण हुई। 2.35 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

पूंजीगत:

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
4058-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
3427-मशीनें और उपकरण-छपाई की मशीनों की खरीद-			
मूल	6.86		
पुनर्वि.	-6.86

4058-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

3427-मशीनें और उपकरण-छपाई की मशीनों की खरीद-

मूल

पुनर्वि.

6.86 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत नवीन राज्य के गठन के कारण नई मशीन व उपकरणों के क्रय न किये जाने के फलस्वरूप हुई।

अनुदान संख्या 11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2070-श्रम और रोजगार			
2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग			
2852-उद्योग			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें			
4851-ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय			
6851-ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	3,96,07,000		
पूरक	1,45,00,000	5,41,07,000	2,80,57,604
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			-2,60,49,396 2,52,99,746
प्रभारित		11,000	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			-11,000 11,000
पूंजीगत:			
दत्तमत		95,85,000	68,25,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			-27,60,000 6,47,000
प्रभारित		13,75,000	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			-13,75,000 13,75,000
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 1,45.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,60.49 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 2,53.00 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 11-जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2851-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1464-जिला उद्योग केन्द्र-			
मूल	2,21.74		
पूरक	-89.35	1,32.39	-12.15
(2) 2852-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3370-केन्द्रीय कार्यालय-			
मूल	44.53		
पुनर्वि.	-13.77	30.76	-0.80
(3) 2852-80-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 612-10%-15% पिछड़े जिलों की औद्योगिक इकाईयों को पूंजीगत सहायता-			
मूल	12.75		
पुनर्वि.	-12.75

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 89.35 लाख रुपये, 13.77 लाख रुपये तथा 12.75 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 12.15 लाख रुपये तथा 0.80 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(4) 2852-80-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 705-औद्योगिक क्षेत्र की संस्थाओं में निर्माण एवं विकास-			
पूरक	1,25.00		
पुनर्वि.	-1,25.00

1,25.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार के लेखों में केन्द्रीय सहायता की राशि जमा नहीं होने के फलस्वरूप निधियों के आहरित न किये जाने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
2851-101-725-औद्योगिक संस्थान का संधारण	2.65	23.65	+21.00

21.00 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

अनुदान संख्या 11-समाप्त

पूँजीगत:
दत्तमत-

(v) 27.60 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 6.47 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9233-औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में जल प्रदाय	15.00	..	-15.00

15.00 लाख रुपये का संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(2) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9234-औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों में विद्युत् प्रदाय-			
मूल	12.50		
पुनर्वि.	-6.37	6.13	-6.13

6.37 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही 6.13 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

प्रभारित-

(vii) विनियोग में बचत निम्नांतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9219-भू-अर्जन एवं भूमि विकास- क्षतिपूर्ति का भुगतान-			
मूल	13.75		
पुनर्वि.	-13.75

13.75 लाख रुपये के संपूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

आधिक्य +	व्यय -	कुल अनुदान या विनियोग	व्यय	व्यय
			केपदे	केपदे

मुख्य शीर्ष-
2045 - वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क
2801 - विद्युत
2852 - उद्योग
6801 - विद्युत परियोजनाओं के लिए उद्योग

राजस्व:	व्यय	कुल	व्यय	व्यय
वर्ष के दौरान अर्थात् राशि	49,44,88,000	1,38,39,239	48,06,48,761	48,06,48,761
वर्ष के दौरान अर्थात् राशि	2,56,45,000	2,56,45,000	2,56,45,000	2,56,45,000
वर्ष के दौरान अर्थात् राशि	23,10,51,000	23,10,51,000	23,10,51,000	23,10,51,000
टीका एवं टिप्पणियां				
राजस्व:				
व्यय				

(i) 48,06.49 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अर्थात् नहीं की गई।
(ii) प्राधान्य में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	व्यय
(1) 2801-80-101-3354-मुख्य प्रदेश विद्युत महल को आर्थिक सहायता का भुगतान	34,72.97	34,72.97	34,72.97
(2) 2801-80-101-5855-मुख्य प्रदेश विद्युत महल द्वारा 5 हास पावर के कृषि पूर्वाधारों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क के अर्थ में सहायता	13,31.00	13,31.00	13,31.00

उपरोक्त कम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 34,72.97 लाख रुपये तथा 13,31.00 लाख रुपये का समस्त प्राधान्य अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(iii) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि:-

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत 01 नवम्बर 2000 को मुख्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप नये छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। अधिनियम के नियम 79 के प्राधान्य के अनुसार पुनर्गठन की तारीख को लागू कानूनों को अनुवर्ती राज्यों द्वारा प्रयुक्त दो वर्षों के लिए अपनाया जावेगा। तदनुसार ऊर्जा विकास निधि के अंतर्गत उपकर अधिरोपण के लिये प्राधान्य तथा उनकी लेखांकन पद्धति वैसी ही है जैसी पूर्ववर्ती मुख्य प्रदेश राज्य में थी।

अनुदान संख्या 12 - समाप्त

ऊर्जा विकास निधि का गठन ऊर्जा विकास उपकर से किया गया जो उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युतऊर्जा यूनिट पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया गया जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), रिसर्च एवं विकास योजनाओं में विद्युत् के उत्पादन क्षमता, पारेषण, वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वे एवं ऊर्जा कन्जर्वेशन कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर राजस्व शीर्ष " 0043-विद्युत् पर कर एवं शुल्क-800-अन्य प्राप्तियों " में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष "2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103-संग्रहण प्रभार-विद्युत् शुल्क - 3218-मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण "को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

01 नवम्बर 2000 को इस निधि का प्रारंभिक शेष निरंक था। वर्ष के दौरान 2,56.45 लाख रुपये की राशि निधि में इस अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2045-103-3218-को नामे कर जमा की गई। चूंकि निधि से कोई भी राशि व्यय नहीं की गई अतः 31 मार्च 2001 को निधि में राशि 2,56.45 लाख रुपये शेष थी।

निधियों का लेन-देन "8229-विकास एवं कल्याण निधि-110-ऊर्जा विकास निधि " में सम्मिलित है जिसका लेखा वित्त लेखे 2000-2001 (01 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक) के विवरण संख्या -16 में दिया गया है।

पूँजीगत:

दत्तमत -

(iv) 23,10.51 लाख रुपये के समस्त प्रावधान की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
6801-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)- 2967-बिजली बोर्डों को अन्य उधार	23,10.51	..	-23,10.51

23,10.51 लाख रुपये का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 877-कृषकों के खेतों पर धान उत्पादन का विशेष कार्यक्रम-			
मूल	58.75
पुनर्वि.	- 58.75
58.75 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा 01 नवम्बर 2000 से केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं के एकीकरण हेतु क्रियान्वित मेक्रोमेनेजमेंट कार्य योजना को निधियों का प्रावधान किये जाने के कारण हुई।			
(4) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 921-दलहन फसलों का उत्पादन	30.43	0.26	- 30.17
(5) 2401-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7617-विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन			
मूल	39.60
पुनर्वि.	-39.60
(6) 2401-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7616-कृषि प्रसार प्रशिक्षण तथा प्रसार कार्यक्रम-			
मूल	36.35
पुनर्वि.	- 36.35
(7) 2401-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7618-सूचना प्रौद्योगिकी का विकास-			
मूल	21.30
पुनर्वि.	- 0.25	21.05	-21.05
(8) 2401-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8702-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना- (निधियों का गठन)	1,23.40	23.40	-1,00.00
(9) 2401-113-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 6246-भारत सरकार द्वारा ट्रेक्टर क्रय पर अनुदान (केन्द्र क्षेत्रीय)-			
मूल	1,50.00
पुनर्वि.	- 1,50.00
(10) 2401-119-3902-वर्तमान पौध शालाओं और उद्यानों के विकास की योजना	94.17	68.41	-25.76
(11) 2401-119-9177-सघन फलोद्यान विकास योजना	48.75	18.27	-30.48

अनुदान संख्या 14-पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष- 2403-पशुपालन			
राजस्व:			
दत्तमत	14,84,25,000	15,71,95,363	+87,70,363
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि प्रभारित	1,00,000	..	-1,00,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			

(i) दत्तमत अनुदान से हुये 87,70,363 रुपये के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) प्रावधान से सार्थक आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2549-पशु चिकित्सालय और औषधालय- मूल	6,32.39		
पुनर्वि.	8.00	6,40.39	+85.78

8.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही 85.78 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(2) 2403-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1108-गहन पशु विकास परियोजना- मूल	2,29.09		
पुनर्वि.	0.60	2,29.69	+24.26

0.60 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीणों के पशुओं को पर्याप्त औषधियां प्रदाय करने हेतु निधियों की आवश्यकता के कारण संसूचित किया गया। 24.26 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में बचत द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2403-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 3786-रोगाणुज	37.77	32.41	-5.36
(2) 2403-102-4373-समन्वित पशुओं के नस्ल की योजना	41.42	32.10	-9.32
(3) 2403-103-3578-कुक्कुट प्रक्षेत्रों पर कुक्कुट विकास योजना	66.28	56.72	-9.56
(4) 2403-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 342-चारा प्रक्षेत्रों का विकास- मूल	9.97		
पुनर्वि.	-8.00	1.97	-1.97

उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 8.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 5.36 लाख रुपये, 9.32 लाख रुपये, 9.56 लाख रुपये तथा 1.97 लाख रुपये की बचत/अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

प्रभारित-

(iv) 1.00 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 15-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य			
2215-जल पूर्ति और सफाई			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2401-कृषि कार्य			
2405-मीन उद्योग			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2702-लघु सिंचाई			
2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग			
4402-भूमि और जल संरक्षण पर पूंजी परिव्यय			
4851-ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय			
6851-ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार			
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए उधार			

राजस्व	10,99,13,000	4,65,41,759	-6,33,71,241
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			2,15,49,798

4,65.42 लाख रुपये के संपूर्ण व्यय में मुख्य शीर्ष 2225-01-277-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-5095-आश्रम/छात्रावासों का रख-रखाव तथा साज-सज्जा के अंतर्गत आहरित राशि 0.83 लाख रुपये सम्मिलित है जो 31 मार्च 2001 को मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा में जमा कर दी गई।

पूंजीगत	40,54,000	21,18,404	-19,35,596
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 6,33.71 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 2,15.50 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	--------------------------------------	-------------------

14-कृषि विभाग

(1) 2401-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 878-कृषकों के खेतों पर धान उत्पादन का विशेष कार्यक्रम	15.90	0.94	-14.96
--	-------	------	--------

अनुदान संख्या 15-बी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
(2) 2401-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 1918-बलहन फसलों उत्पादन	30.51	..	-30.51
(3) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 1107-गहन लिलहन विकास कार्यक्रम	28.45	..	-28.45
(4) 2702-02-789-103-0103-अनुसंधित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2790-प्रायवेट एजेंसियों/ठेकेदारों द्वारा कृषकों के खेतों पर सफल नलकणों हेतु सहायता	30.00	6.46	-23.54
20-स्कूल शिक्षा विभाग			
(5) 2202-01-789-101-0103-अनुसंधित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 3493-माध्यमिक शालाएं	18.05	..	-18.05
(6) 2202-01-789-101-0103-अनुसंधित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 4398-सरकारी प्राथमिक शालाएं	18.09	0.17	-17.92
(7) 2202-01-789-108-0103-अनुसंधित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2582-नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय (कक्षा 1 से 5 तक)	42.35	4.50	-37.85
(8) 2202-02-789-103-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 1128-गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र (40:60)	30.71	..	-30.71
(9) 2202-02-789-103-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 1131-गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र (90:10)	33.74	..	-33.74
22-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग			
(10) 2515-789-101-0103-अनुसंधित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5185-मूलभूत सेवाओं के लिए एक मुश्त अनुदान	96.35	..	-96.35

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (10) तक के शीर्षान्वित क्रमशः 14.96 लाख रुपये, 30.51 लाख रुपये, 28.45 लाख रुपये, 23.54 लाख रुपये, 18.05 लाख रुपये, 17.92 लाख रुपये, 37.85 लाख रुपये, 30.71 लाख रुपये, 33.74 लाख रुपये तथा 96.35 लाख रुपये की बचत/समस्त प्राधान्य अपयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत-
-------	---------------	--------------------------------------	------------------

25-आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

(11) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 327-अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिये आश्रम, छात्रवृत्ति-			
मूल	68.00		
पुनर्वि.	-38.97	29.03	22.04
			-6.99

(12) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 495-आश्रम और शालाएं-			
मूल	61.55		
पुनर्वि.	-30.47	31.08	30.66
			-0.42

(13) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 4717-अनुसूचित जाति छात्रावास-			
मूल	1,08.00		
पुनर्वि.	-4.46	1,03.54	91.06
			-12.48

उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (13) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 38.97 लाख रुपये, 30.47 लाख रुपये तथा 4.46 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। उपरोक्त शीर्षान्तर्गत 6.99 लाख रुपये, 0.42 लाख रुपये तथा 12.48 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(14) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 5095-आश्रम/छात्रावासों का रख-रखाव तथा साज-सज्जा-			
मूल	37.50		
पुनर्वि.	-4.03	33.47	27.21
			-6.26

4.03 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण संसूचित की गई। 27.21 लाख रुपये के व्यय में 28 फरवरी 2001 को 0.83 लाख रुपये की राशि इस शीर्ष को नामे कर मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा में जमा करने से अभिवृद्धि हुई, परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी परिलक्षित हुई, जिसके कारणों के साथ ही 6.26 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(15) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 5133-अन्य छात्रवृत्तियां-			
मूल	2,50.00		
पुनर्वि.	-86.06	1,63.94	1,66.82
			+2.88

86.06 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त न होने तथा समर्पण किये जाने के कारण हुई। 2.88 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(16) 2215-01-789-191-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 1194-ग्रामीण जलप्रदाय योजनओं का संधारण	20.00		
--	-------	--	--

अनुदान संख्या 15-समाप्त

शीर्ष	कूल	अनुदान	वास्तविक व्यय	(लाख रुपयां में)	आधिक्य + बचत-
(17) 2215-02-789-107-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 5206-ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	30.00		0.19		-29.81

उपरोक्त कम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्वित क्रमशः 20.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने तथा 29.81 लाख रुपये की बचत के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-संचित की गई:-

शीर्ष	कूल	अनुदान	वास्तविक व्यय	(लाख रुपयां में)	आधिक्य + बचत -
14-कृषि विभाग					

2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 1106-गहन कपास विकास परियोजना

10.68 लाख रुपये के आधिक्य के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)

(iv) 19.36 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अप्रयुक्त नहीं की गई।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कूल	अनुदान	वास्तविक व्यय	(लाख रुपयां में)	आधिक्य + बचत-
14-कृषि विभाग					
4402-789-800-0103-अनुसंधान गतिविधियों के लिये विशेष घटक योजना- 3476-मैकरो माइक्रो सिंचाई योजना	33.00		20.55		-12.45

12.45 लाख रुपये की बचत के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 16-मछली पालन

	कुल अनुदान या विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2405-मीन उद्योग			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा			
राजस्व:			
दत्तमत	3,06,47,000	1,75,45,664	-1,31,01,336
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
<i>प्रभारित</i>	<i>90,000</i>	<i>..</i>	<i>-90,000</i>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 1,31.01 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2405-001-2280-निदेशन एवं प्रशासन	22.74	7.70	-15.04
(2) 2405-101-162-अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग के लिये जिला स्तरीय अमला	2,48.18	1,16.84	-1,31.34
(3) 2405-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1217-विस्तार और प्रशिक्षण	8.47	1.83	-6.64

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 15.04 लाख रुपये, 1,31.34 लाख रुपये तथा 6.64 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
2405-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1451-जलाशयों में मत्स्य उद्योग का विकास	3.52	31.76	+28.24

28.24 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

प्रभारित-

(iv) 0.90 लाख रुपये के संपूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता

आधिक्य +
व्यय
कपय -

वास्तविक
व्यय
कपय

कुल अनुदान
या
विनियोग
कपय

मुख्य शीर्ष-

2425-सहकारिता

4408-खास शुद्धरण और शुद्धरण पर पूर्वी परिव्यय

4425-सहकारिता पर पूर्वी परिव्यय

6425-सहकारिता के लिये उधार

राजस्व:

वसूल

वर्ष के दौरान अर्जित राशि

-54,34,637

3,29,05,363

3,83,40,000

प्रशरित

वर्ष के दौरान अर्जित राशि

-14,000

14,000

पूर्वगत:

वसूल

वर्ष के दौरान अर्जित राशि

-2,53,99,000

2,53,99,000

टीका एवं दिप्तिराशि

राजस्व:

वसूल

(i) 54.35 लाख कपय की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अर्जित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुल्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
(1) 2425-001-2282-निदेशन	17.73	..	-17.73
(2) 2425-003-0101-राज्य आयाजना (सामान्य)- 303-अशासकीय व्यक्तियों के सहकारी शिक्षण के गठन की योजना	10.73	..	-10.73
(3) 2425-101-4433-सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा	64.44	34.63	-29.81
(4) 2425-107-0101-राज्य आयाजना (सामान्य)- 6573-कृषि साख स्थितीकरण निधि की सृष्टि करना	10.00	..	-10.00
(5) 2425-107-0910-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम- 9442-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जिना बलर	13.33	..	-13.33

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 17.73 लाख कपय, 10.73 लाख कपय, 29.81 लाख कपय, 10.00 लाख कपय एवं 13.33 लाख कपय के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 17-समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	-----------------------------------	-------------------

2425-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
123-अधीक्षण

1,34.57

1,66.37

+31.80

31.80 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

प्रभारित-

(iv) 0.14 लाख रुपये के संपूर्ण विनियोग शीर्षक उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) 2,53.99 लाख रुपये के समस्त प्रावधान की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 955-केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंशपूँजी में धनवेष्ठन	1,50.00	..	-1,50.00
(2) 4425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2754-प्राथमिक कृषि साख/कृषक सेवा/बड़े पैमाने पर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की अंशपूँजी में धनवेष्ठन	14.31	..	-14.31
(3) 4425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2759-प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की अंशपूँजी में धनवेष्ठन	18.94	..	-18.94
(4) 4425-107-0910-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम- 4983-कृषक सहकारी समितियों को मार्जिनमनी सहायता	10.00	..	-10.00
(5) 4425-108-0910-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 631-उपभोक्ता सामग्री का वितरण	6.66	..	-6.66
(6) 4425-108-0910-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम- 6567-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, रायपुर को वित्तीय सहायता (निगम का हिस्सा)	33.34	..	-33.34
(7) 6425-107-0910-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम- 9442-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जिला बस्तर	11.74	..	-11.74

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,50.00 लाख रुपये, 14.31 लाख रुपये, 18.94 लाख रुपये, 10.00 लाख रुपये, 6.66 लाख रुपये, 33.34 लाख रुपये तथा 11.74 लाख रुपये के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 18-शम

श्रीव	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य +
राजस्व: वतमत- टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व: वतमत- मूल 3,37,85,000 पूँक 17,000	3,38,02,000	2,13,21,357	-1,24,80,643
श्रीव के दौरान अर्जित राशि (31 मार्च 2001)	10,000	..	-10,000
श्रीव के दौरान अर्जित राशि (31 मार्च 2001)			10,000
(III) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-			
(i) वरिष्ठ वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 0.17 लाख रुपये का अनुपूर्वक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 1,24.81 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 78.91 लाख रुपये की राशि अर्जित की गई।			
(1) 2210-विक्रमा एवं लोक स्वास्थ्य 2230-शम और सेवागार			
मूल 65.00 पूँक 0.17 श्रीव -4.17	61.00	46.08	-14.92
(2) 2230-01-101-712-औद्योगिक स्थापनाय- मूल 19.31 श्रीव -12.94	6.37	3.71	-2.66
(3) 2230-01-101-4272-शम स्थापनाय	45.71	8.34	-37.37
(4) 2230-01-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5019-मण्डियों में कार्परेट इमारतों की आवास योजना	18.75	0.60	-18.15

अनुदान संख्या 18-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
(5) 2230-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5810-औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा-			
मूल	32.63		
पुनर्वि.	-22.77	9.86	-3.94
(6) 2230-01-103-6039-खेतिहर मजदूरों में न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानूनों को लागू करना-			
मूल	19.14		
पुनर्वि.	-10.45	8.69	-0.97

उपरोक्त क्रम संख्या (1), (2), (5) और (6) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 4.17 लाख रुपये, 12.94 लाख रुपये, 22.77 लाख रुपये तथा 10.45 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 14.92 लाख रुपये, 2.66 लाख रुपये, 37.37 लाख रुपये, 18.15 लाख रुपये, 3.94 लाख रुपये तथा 0.97 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य+ बचत -
(1) 2210-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3676-राज्य बीमा अस्पताल-			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	-0.53	9.47	+19.08
(2) 2230-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4271-श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिये अमला-			
मूल	58.38		
पुनर्वि.	-15.35	43.03	+26.31

उपरोक्त क्रम संख्या (1) और (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 0.53 लाख रुपये एवं 15.35 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही इन शीर्षों के अंतर्गत 19.08 लाख रुपये तथा 26.31 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

कूल अनुदान या विनियोग केपदे	वास्तविक व्यय केपदे	आधिक्य + बचत - केपदे
--------------------------------------	---------------------------	----------------------------

मुख्य शीर्ष-
2071-युगन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
2210-विकल्पा और लोक स्वास्थ्य
2211-परिवार कल्याण
3605-सहायता सामग्री और उपकरण

राजस्व:	वसुला-	मूल	पूरक	वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि	प्रयोजित	वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि	राजस्व:	वसुला-
14,71,166	71,69,94,000	71,84,65,166	54,47,63,974	-17,37,01,192	2,30,000	..	टीका एवं टिप्पणियां	राजस्व:
..	-2,30,000	वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि	वसुला-

(i) वृद्धि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 14.71 लाख रुपये का अनुपूर्वक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
(ii) 17,37.01 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विकल्प वर्ष के दौरान कोई भी राशि अत्यर्पित नहीं की गई।
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-110-748-औषधालय	1,97.91	71.80	-1,26.11
(2) 2210-01-110-1473-जिला विकल्पालय	4,33.09	2,32.92	-2,00.17
(3) 2210-01-110-2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (मूलभूत सेवाएं)	1,44.03	74.44	-69.59
(4) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1491-जिला विकल्पालया पर रक कोष, विकल्पा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना एवं सुधार (मूलभूत सेवाएं)	2,86.10	2,33.58	-52.52

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(5) 2210-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	97.70	6.38	-91.32
(6) 2210-03-110-748-औषधालय	1,38.51	45.44	-93.07
(7) 2210-06-101-858-कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	93.27	..	-93.27
(8) 2210-06-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 1801-टी .सी.ए.कार्यक्रम के अंतर्गत सामग्री और साज-सज्जा का मूल्य	1,36.77	..	-1,36.77
(9) 2211-001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 1508-जिला स्तरीय अमला	2,15.19	1,21.72	-93.47
(10) 2211-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 336-आक्सीलियरी नर्स, मिडवाइफ एवं हेल्थ विजिटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण	74.01	33.79	-40.22
(11) 2211-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 621-अतिरिक्त उप-स्वास्थ्य केन्द्र	1,88.49	40.45	-1,48.04
(12) 2211-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 1200- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं प्रत्यक्ष व्यय	8,49.04	6,16.98	-2,32.06
(13) 2211-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 2703-प्रत्यक्ष व्यय	1,16.45	25.48	-90.97
(14) 2211-105-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 4601-स्टरलाइजेशन	1,16.44	65.32	-51.12
(15) 2211-200-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 1890-तहसील स्तर प्रसवोत्तर केन्द्र	92.90	40.00	-52.90
(16) 2211-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 2498-परंपरागत गर्भ निरोधक का प्रदाय	1,94.06	..	-1,94.06
(17) 2211-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 6106-यूनीवर्सल इम्यूएशन	4,52.81	..	-4,52.81
(18) 3606-237-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 2498-परम्परागत गर्भ निरोधक का प्रदाय	1,94.06	..	-1,94.06

(V) 2.30 लाख रुपये के समस्त विनियोग की उपलब्ध बचत के विकल्प वर्ष के दौरान कोई भी राशि अख्तियार नहीं की गई।

858-कृषि नियंत्रण कार्यक्रम	1,82.99	3,41.31	+1,58.32
(7) 2210-06-101-0801-केंद्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-4244-मलेरिया	1,71.57	3,40.08	+1,68.51
(6) 2210-06-101-0701-केंद्र प्रवर्धित योजना सामान्य-2210-06-101-8150-बहुउद्देशीय कार्यक्रम योजना	2,00.33	2,67.90	+67.57
(5) 2210-03-110-2607-फिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ औषधालय	2,13.77	2,48.52	+34.75
(4) 2210-03-110-2607-फिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ औषधालय	7,62.07	16,87.27	+9,25.20
(3) 2210-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (मूलभूत सेवाएं)			

2002)।
 3.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवंटन का कारण आकस्मिक अमल के स्वीकृत पदों के त्रिंसे बजट में कम राशि का प्रावधान किया जाना संघटित किया गया। 43.01 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संघटित नहीं किया गया है (जनवरी 2002)।

993-क्षेत्रीय विकासालय	1,00.17	3.00	
(2) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-पुनर्निर्माण	1,03.17	1,46.18	+43.01

73.86 लाख रुपये के आधिक्य के कारण संघटित नहीं किया गया है (जनवरी 2002)।

औषधालय	1,12.01	1,85.87	+73.86
(1) 2210-01-110-2606-फिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ			

संगठित की गई:-

शीर्ष	कूल	अनुदान	व्यय	(लाख रुपयों में)
आधिक्य +				बचत -

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-किये गये हैं (जनवरी 2002)।

4,52.81 लाख रुपये, 1,94.06 लाख रुपये तथा 3,82.78 लाख रुपये की बचत/समस्त प्रावधान के अपर्युक्त रहने के कारण संघटित नहीं किये गये, 1,48.04 लाख रुपये, 2,32.06 लाख रुपये, 90.97 लाख रुपये, 51.12 लाख रुपये, 52.90 लाख रुपये, 1,94.06 लाख रुपये, 52.52 लाख रुपये, 91.32 लाख रुपये, 93.07 लाख रुपये, 1,36.77 लाख रुपये, 93.47 लाख रुपये, 40.22 लाख रुपये, 69.59 लाख रुपये, 2,00.17 लाख रुपये, 1,26.11 लाख रुपये, 3,82.78 लाख रुपये, 4244-शीत ज्वर

(19) 3606-237-0801-केंद्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-4244-शीत ज्वर

शीर्ष	कूल	अनुदान	व्यय	(लाख रुपयों में)
आधिक्य +				बचत -

अनुदान संख्या 19-समान

अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

	कुल अनुदान या विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य			
2215-जलपूर्ति एवं सफाई			
4215-जलपूर्ति एवं मल निकासी पर पूंजी परिव्यय			
6215-जलपूर्ति एवं सफाई के लिये उधार			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	56,62,61,000		
पूरक	2,71,00,000	59,33,61,000	42,42,81,968
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			-16,90,79,032 8,31,000
<i>प्रभारित</i>	<i>1,00,000</i>	<i>1,00,000</i>	<i>..</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>..</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	1,00,40,000	52,20,125	-48,19,875
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत -			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से काफी कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 2,71.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 16,90.79 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 8.31 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2215-01-001-2715-प्रशासन	5,21.35	4,63.13	-58.22
(2) 2215-01-102-2219-नलकूपों का संधारण	9,03.00	4,05.76	-4,97.24
(3) 2215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4378-समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय-			
मूल	4,85.00		
पुनर्वि.	-5.76	4,79.24	3,78.85
(4) 2215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9937-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	-0.02	2,99.98	1,60.44
			-1,39.54

अनुदान संख्या 20-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(5) 2215-01-799-4058-विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	2,00.00	63.87	-1,36.13
(6) 2215-01-799-010-भंडार	8,25.00	4,20.64	-4,04.36
(7) 2215-01-800-5300-स्थानीय निकायों की जल प्रदाय योजना का संधारण	2,26.65	18.90	-2,07.75
(8) 2215-02-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6263-ग्रामीण मलव्ययन योजना	1,20.00	8.53	-1,11.47

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 5.76 लाख रुपये तथा 0.02 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही क्रम संख्या (1) से (8) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 58.22 लाख रुपये, 4,97.24 लाख रुपये, 1,00.39 लाख रुपये, 1,39.54 लाख रुपये, 1,36.13 लाख रुपये, 4,04.36 लाख रुपये, 2,07.75 लाख रुपये तथा 1,11.47 लाख रुपये की बचत/अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2215-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2294-निवेशन	83.40	1,03.40	+20.00
20.00 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(2) 2215-01-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-1095-गतिवर्द्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना-			
मूल	13,33.00		
पूरक	2,71.00		
पुनर्वि.	-2.53	16,01.47	17,96.39
			+1,94.92

2.53 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही 1,94.92 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(v) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के व्यय में "2215-जल प्रदाय और सफाई - 01 - जल प्रदाय - 799 - उचंत" के अंतर्गत लेखांकित 4,84.51 लाख रुपये का व्यय सम्मिलित है। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थाई प्रकृति के लेन-देन दर्ज किये जाते हैं, जो कि न तो अंतिम रूप से संबंधित निर्माण कार्य को समायोजित होते हैं, और न ही उनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है, तो उन्हें वर्ष प्रति वर्ष अग्रेनीत किया जाता है।

"उचंत" शीर्ष में चार उपभाग हैं यथा:-

(i) क्रय (ii) भण्डार (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उचंत।

प्रत्येक उपभाग के अंतर्गत लेन-देनों का प्रकार और लेखा कार्य-विधि जो अपनाई जाती है, नीचे स्पष्ट की गई है :-

(1) क्रय - राज्य में 1983-84 से प्रवर्तित नई लेखा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में यह उप-शीर्ष अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रेनीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार - इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिये नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिये प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिये यह शीर्ष भंडार में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

अनुदान संख्या 20-समाप्त

(3) **विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम -** इस शीर्ष में उधार बेचे गये सामान के मूल्य, प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के लिये नामे की गई राशियां सम्मिलित है। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष, वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) **कार्यशाला उचंत -** किये गये कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण विभाग की कार्यशालाओं में अन्य परिचालन संबंधी प्रभार, वसूली या समायोजन पर्यन्त इस शीर्ष को नामे डाले जाते हैं।

2000-2001 के दौरान इस अनुदान के अंतर्गत लेखाबद्ध किये गये विभिन्न उचंत शीर्षों के अंतर्गत उचंत लेन-देनों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:-

विवरण	01 नवम्बर 2000 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2001 को अंतशेष नामे + जमा-
2215-जल पूर्ति एवं सफाई- (लाख रुपयों में)				
1. क्रय	-16,00.70	-16,00.70
2. भंडार	+17,70.77	4,20.64	6,56.02	+15,35.39
3. विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+72,90.46	63.87	88.49	+72,65.84
योग	+74,60.53	4,84.51	7,44.51	+72,00.53

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) 48.20 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
4215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1360-चिरीमिरी जल प्रदाय योजना	40.00	0.60	-39.40

39.40 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 21-समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यालय: निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रति-संवर्धित की गई:-

वर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आशियस + बचत -
2217-05-001-0101-राज्य आवेजना (सामान्य)- 2020-मार्ग और ग्राम निवेश	30.20	61.08	+30.88

30.88 लाख रुपये के आशियस के कारण सुविधा नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

पूर्वगत:

(iv) 7.10 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अस्थायित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 22-राजीव प्रशासन एवं विकास विभाग-राजीव विकास

(सभी दरमज)

आधिक्य +
बचत -
रुपये

वास्तविक
व्यय
रुपये

कुल
अनुदान
रुपये

मुख्य शीर्ष-
2217-शहरी विकास

राजस्व
वर्ष के दौरान अर्जित राशि

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 12.18 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अर्जित नहीं की गई।
(ii) प्राधान्य में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक	व्यय	बचत -
आधिक्य +					

(1) 2217-05-800-2122-राजपालिका कर्मचारियों की
पेशन योजना का क्रियान्वयन

2217-05-800-6148-राजीव स्थानीय निकाय संचालनालय	23.30	14.46	-8.84
	5.26	1.92	-3.34

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षानुसार क्रमशः 3.34 लाख रुपये तथा 8.84 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं
किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 23-जन संसाधन विभाग

कूल अनुदान
या
विनियोग
केपये
वास्तविक
केपये
आधिक्य +
अल्प-
केपये

मुख्य शीर्ष-

2701-वृहद् और मध्यम सिंचाई

4701-वृहद् और मध्यम सिंचाई पर पूर्वी परिव्यय

4711-बाह् निवृत्त परियोजनाओं पर पूर्वी परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत-

मूल 32,24,80,000

पूरक 3,79,80,000

36,04,60,000

30,48,52,388

-5,56,07,612

वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि

प्रयोजित

वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि

1,00,000

-1,00,000

पूर्वजागत:

दत्तमत-

मूल 20,06,06,000

पूरक 5,38,53,000

25,44,59,000

25,54,42,555

+9,83,555

वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(1) वार्षिक वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से काफी कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 3,79.80 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 5,56.08 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अत्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + अल्प- बचत -
मूल	50.00		
पूरक	1,26.70		
कुल	87.00	2,63.70	
		97.21	-1,66.49

(1) 2701-01-204-2894-बांध तथा नहरें-

87.00 लाख रुपये के पुनर्विनिवेश द्वारा निधियों के संवर्धन के साथ ही 1,66.49 लाख रुपये की अतिरिक्त बचत के कारण सूचित नहीं किया गया है (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 23-समाप्त

(X) उपरोक्त टिप्पणी (IX) में उल्लिखित आर्थिक मुद्दतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान में हुईं बचत द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित किया गया :-

शीर्ष	कूल	अनुदान	वास्तविक व्यय	आर्थिक + बचत -
-------	-----	--------	---------------	----------------

(1) 4701-01-232-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-निष्पन्न स्थापना इकाई I तथा II- मूल 2,65.20 पूरा 87.29	3,52.49	2,23.61		-1,28.88
---	---------	---------	--	----------

(2) 4701-01-232-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3264-मंडल स्थापना	59.26	19.52		-39.74
---	-------	-------	--	--------

(3) 4701-01-237-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-निष्पन्न स्थापना यूनिट I एवं II	3,31.44	2,53.44		-78.00
--	---------	---------	--	--------

(4) 4701-01-237-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3264-मंडल स्थापना	35.80	0.02		-35.78
---	-------	------	--	--------

(5) 4701-01-237-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना I	77.90	2.75		-75.15
---	-------	------	--	--------

उपरोक्त कम संख्या (1) से (5) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,28.88 लाख रुपये, 39.74 लाख रुपये, 78.00 लाख रुपये, 35.78 लाख रुपये तथा 75.15 लाख रुपये की बचत की कारण सुचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(XI) उचित लेन देन-

इस अनुदान के पूर्वीगत अनुयाग (दत्तमत्त) के अन्तर्गत व्यय में "उचित" शीर्ष के अधीन लेखांकित 1,15.44 लाख रुपये समिलित हैं। "उचित" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति तथा लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विवरण लेख की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यात्रिकी (राजस्व अनुयाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (V) पर दी गई है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान इस अनुयाग हेतु उचित लेन-देन का विवरण विभिन्न उचित उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रांशिक तथा अंतर्शीर्षों सहित नीचे दिया गया है :-

विवरण	01 नवम्बर 2000 को प्रांशिक शीर्ष नाम + जमा -	वर्ष के दौरान नाम	जमा	31 मार्च 2001 को अंतः शीर्ष नाम + जमा -
4701-वृहद् एवं मध्यम सिंचाई पर पूर्वी परिव्यय (लाख रुपये में)				
1. कर्म	-8,30.91	-8,30.91
2. भूदर	+12,22.45	-28.88	1,62.07	+10,31.50
3. विविध लोक निर्माण कार्य अभियान	+3,60.32	1,44.32	..	+5,04.64
4. कार्यशाखा उचित	-76.61	-76.61
योग	+6,75.25	1,15.44	1,62.07	+6,28.62

अनुदान संख्या 24 - लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
3053-नगर विमानन			
3054-सड़कें और पुल			
5053-नगर विमानन पर पूंजी परिव्यय			
5054-सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	39,81,23,000	43,35,63,597	+3,54,40,597
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			25,20,000
प्रभारित	1,50,000	14,93,500	+13,43,500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	11,88,17,000		
पूरक	7,68,00,000	19,56,17,000	4,42,60,060
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			-15,13,56,940
प्रभारित	1,50,000	..	5,38,04,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			-1,50,000
			1,35,000
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत-

(i) दत्तमत अनुदान से हुये 3,54,40,597 रुपये के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) 3,54.41 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2001 को किया गया 25.20 लाख रुपये का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान से आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत-
(1) 3054-03-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत	3,20.45	4,52.15	+1,31.70
(2) 3054-04-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत	8,08.57	10,40.51	+2,31.94
(3) 3054-80-001-2301-निदेशन एवं प्रशासन- अनुदान संख्या-67-मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग	4,92.00	14,53.35	+9,61.35

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,31.70 लाख रुपये, 2,31.94 लाख रुपये तथा 9,61.35 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 25-खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2853-अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग			
राजस्व:			
दत्तमत	3,21,03,000	2,51,32,071	-69,70,929
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			40,58,000
<i>प्रभारित</i>	50,000	..	-50,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			50,000
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			

(i) 69.71 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 40.58 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2853-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2316-निदेशन-			
मूल	86.59		
पुनर्वि.	-15.18	71.41	64.14
			-7.27
15.18 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत संचालक तथा एक द्वितीय श्रेणी अधिकारी के मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किये जाने (0.35 लाख रुपये), राज्य के पुनर्गठन होने से एक माह के वेतन पर कम व्यय (8.00 लाख रुपये), आकस्मिक कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान न किये जाने तथा विभागीय क्षेत्रीय कार्यों को विलंब से प्रारंभ किये जाने (0.75 लाख रुपये), क्रय पर प्रतिबंध तथा कम्प्यूटर की खरीद हेतु प्रस्तावों के प्राप्त न होने (6.50 लाख रुपये) तथा जन संपर्क विभाग द्वारा अभ्यर्पण (0.44 लाख रुपये) किये जाने के कारण संसूचित की गई जिसे तीन भवनों के किराये के भुगतान किये जाने (0.56 लाख रुपये) तथा सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के प्रकरणों में शुल्क का भुगतान (0.30 लाख रुपये) हेतु 0.86 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के संवर्धन से प्रति-संतुलित किया गया। 7.27 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(2) 2853-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4308-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चालू किये गये खनिज अनुसंधान कार्य-			
मूल	34.97		
पुनर्वि.	-4.50	30.47	28.47
			-2.00
(3) 2853-02-101-1010-मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड- 3595-मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड के लिये कोल सर्वेक्षण-			
मूल	40.77		
पुनर्वि.	-2.00	38.77	31.34
			-7.43

उपरोक्त कम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्वित क्रमशः 4.50 लाख रुपये तथा 2.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राज्य के पुनर्निर्माण के फलस्वरूप एक माह के वेतन पर कम व्यय किये जाने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये तथा 7.43 लाख रुपये की अतिरिक्त बचत के कारण सुविधा नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

शीर्ष	किल	अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिकृत + बचत -
(4) 2853-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 3835-वृत्त परामर्श का छेदन- मूल पुनर्वि.	40.68	34.13	32.35	-1.78

6.55 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राज्य के पुनर्निर्माण के कारण एक माह के वेतन पर कम व्यय (4.50 लाख रुपये), आकस्मिक कामचारियों को मंहगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किये जाने, विभागीय क्षेत्रीय कार्यों के विलंब से प्रारंभ किये जाने (0.80 लाख रुपये) तथा राज्य के पुनर्निर्माण के फलस्वरूप अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किये जाने (1.25 लाख रुपये) के कारण हुई। 1.78 लाख रुपये की अतिरिक्त बचत के कारण सुविधा नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 26-संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2205-कला और संस्कृति			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी			
राजस्व	83,73,000	55,17,139	-28,55,861
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			27,87,524

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) 28.56 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 27.88 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2205-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 758-कन्जरवेशन सेल-			
मूल	10.60		
पुनर्वि.	- 7.55	3.05	2.86
			-0.19

7.55 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं किये जाने, लोक निर्माण विभाग से संग्रहालय भवन की मरम्मत हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने, पदों की रिक्तता, चिकित्सा देयकों के प्राप्त न होने तथा त्यौहार अग्रिम की मांग न किये जाने, दौरो को अंतिम रुप न दिये जाने तथा मितव्ययी उपायों के फलस्वरूप संसूचित की गई। 0.19 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(2) 2205-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4283-संग्रहालय-				
मूल	19.34			
पुनर्वि.	-6.36	12.98	10.54	-2.44

6.36 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों की रिक्तता, पुरातत्व महासंघ से मांग प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग से उपकरणों की खरीद हेतु संस्वीकृत प्राप्त न होने, अधीनस्थ कार्यालयों में एक दूरभाष की उपलब्धता, चिकित्सा देयकों के प्रस्तुत नहीं किये जाने, शासकीय दौरो की पुष्टि न किये जाने तथा मितव्ययी उपायों को लागू किये जाने के फलस्वरूप हुई। 2.44 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 27-स्कूल शिक्षा

कुल अनुदान	या	विनियोग	केपड़े
वास्तविक	व्यय	केपड़े	आधिक्य +
			बचत -

मुख्य शीर्ष-
2202-सामान्य शिक्षा
2204-खेल और युवा कल्याण
2205-कला और संस्कृति

राजस्व:	वसुला	मूल	पूर्क	वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि	प्रयोजित	वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि
4,10,55,11,000	8,10,000	4,10,63,21,000	1,86,97,44,044	-2,23,65,76,956	30,000	..
..	-30,000	..

(i) वृद्धि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से काफी कम था, मार्च 2001 में पाल किया गया 8.10 लाख रुपये का अनुपूर्क अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,23,65.77 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अत्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक	व्यय	(लाख रुपये में)	आधिक्य +	बचत -
(1) 2202-01-001-0101-राज्य आवाजना (सामान्य)- 1500-जिला शिक्षा अधिकायी कार्यालय- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये)	31,90.43	2,51.34	29,39.09				
(2) 2202-01-001-0101-राज्य आवाजना (सामान्य)- 3930-विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये)	14,91.10	1,62.07	13,29.03				
(3) 2202-01-101-0101-राज्य आवाजना (सामान्य)- 3491-माध्यमिक शालाएँ- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये)	72,66.73	43,71.68	28,95.05				
(4) 2202-01-101-0101-राज्य आवाजना (सामान्य)- 4396-शासकीय प्राथमिक विद्यालय- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये)	1,36,11.45	92,38.00	43,73.45				

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(5) 2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7591-ब्लेक बोर्ड योजना के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों को फर्नीचर तथा उपकरणों का प्रदाय	1,02.00	..	-1,02.00
(6) 2202-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये)	2,54.20	1,01.30	-1,52.90
(7) 2202-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9948-प्राथमिक विद्यालय- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये)	1,76.35	1,18.33	-58.02
(8) 2202-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9949-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान	99.36	53.84	-45.52
(9) 2202-01-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6092-बुक बैंक की स्थापना- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये)	95.02	38.98	-56.04
(10) 2202-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1132-गैर औपचारिक शिक्षा 90:10 के अनुपात में	33.50	..	-33.50
(11) 2202-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8330-गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र 60:40 संचालक लोक शिक्षण	56.29	18.49	-37.80
(12) 2202-02-105-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 3504-विकलांग बच्चों के लिये एकीकृत शिक्षा योजना, आई.ई.डी.	26.48	..	-26.48
(13) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1,27,92.89	30,06.83	-97,86.06
(14) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 4193-शासकीय उच्चतर (माध्यमिक) विद्यालयों में 10+2 शिक्षा पद्धति तथा शिक्षा का व्यावसायीकरण	2,79.31	2,35.88	-43.43
(15) 2202-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3491-माध्यमिक विद्यालय- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये)	3,62.00	3,02.03	-59.97
(16) 2202-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3858-लोक शिक्षण संचालनालय	1,52.62	16.95	-1,38.67
(17) 2204-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 3746-राष्ट्रीय दक्षता दल	1,55.36	4.01	-1,51.35

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (17) तक के शीर्षान्तर्गत बचत/संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 27-समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशिक रूप से प्रति-संश्लिप्त की गई:-

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4193-शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 10+2 शिक्षा पद्धति तथा शिक्षा का व्यावसायीकरण	1,83.36	2,31.41	+48.05
(2) 2202-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6083-प्रिज ब्रेनफिट- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये)	6.34	49.63	+43.29
उपरोक्त कम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 48.05 लाख रुपये तथा 43.29 लाख रुपये के आधिक्य के कारण संश्लिप्त नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			

(v) बिना बजट प्रावधान के व्यय

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
2202-01-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4442-सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक	..	9.13	+9.13
बिना बजट प्रावधान के किये गये 9.13 लाख रुपये के व्यय के कारण संश्लिप्त नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			

अनुदान संख्या 28-राज्य विधान मंडल

	कुल अनुदान या विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	3,68,66,000		
पूरक	7,33,000	3,75,99,000	2,48,72,868
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-1,27,26,132
			..
प्रभारित	3,77,000	..	-3,77,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत-

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 7.33 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,27.26 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2011-02-101-4007-विधान सभा -			
मूल	2,72.80		
पूरक	7.33	2,80.13	2,17.41
			-62.72
(2) 2011-02-103-4009-विधान सभा सचिवालय	89.11	31.30	-57.81
(3) 2011-02-103-4312-संसदीय कार्य विभाग	6.60	0.02	-6.58

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 62.72 लाख रुपये, 57.81 लाख रुपये तथा 6.58 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

प्रभारित -

(iv) 3.77 लाख रुपये के संपूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 29-स्वाय प्रशासन और निर्वाचन

आधिक्य +	वास्तविक व्यय	विनिर्माण	कूल अनुदान
व्यय -	व्यय	व्यय	व्यय

संख्या शीर्ष-	2014-स्वाय प्रशासन	2015-निर्वाचन	2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
वर्ष के दौरान अर्थात्पित राशि	12,49,16,000	22,64,000	12,71,80,000	6,13,46,683
वर्ष के दौरान अर्थात्पित राशि	1,95,24,000	92,50,000	2,87,74,000	1,31,94,739
प्रथारित-	मूल	पूरक	मूल	पूरक
..
राजस्व:	वसूलत-	राजस्व:	वसूलत-	राजस्व:
टीका एवं टिप्पणियां	वसूलत-	राजस्व:	वसूलत-	राजस्व:

(i) वृद्धि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से काफी कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 22.64 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 6,58.33 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अर्थात्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य +
(1) 2014-105-2410-निर्वाह पर तामील स्थापना	54.22	43.46	-10.76
(2) 2014-105-4497-सामान्य स्थापना-	5,82.70	4,89.41	-1,05.29
	मूल	व्यय	व्यय -
	12.00	1.21	-1,48.79
(3) 2015-102-2409-निर्वाचन अधिकारी	49.30	18.21	-31.09
(4) 2015-103-3307-मतदाता सूचियां तैयार करना और मुद्रण	1,50.00	1.21	-1,48.79

अनुदान संख्या 29-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(5) 2015-105-4311-संसद के लिये चुनाव कराने के प्रभार	2,75.65	11.87	-2,63.78
(6) 2015-106-4006-राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के प्रभार	61.61	7.24	-54.37
(7) 2052-090-9057-विधि एवं विधायी कार्य-			
मूल	28.29		
पूरक	3.29		
	31.58	14.90	-16.68
(8) 2235-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3255-मध्य प्रदेश विधिक सहायता एवं विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान	17.19	..	-17.19

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (8) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 10.76 लाख रुपये, 1,05.29 लाख रुपये, 31.09 लाख रुपये, 1,48.79 लाख रुपये, 2,63.78 लाख रुपये, 54.37 लाख रुपये, 16.68 लाख रुपये तथा 17.19 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

प्रभारित-

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 92.50 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 1,55.79 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
2014-102-573-उच्च न्यायालय-			
मूल	1,95.19		
पूरक	92.50		
	2,87.69	1,31.95	-1,55.74

1,55.74 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 30 - पंचायत तथा गांधीय विकास विभाग से संबंधित व्यय

श्रीष	कूल अनुदान	विनियोग	व्यय	आधिक्य +
2216-आवास	कूल अनुदान	विनियोग	व्यय	आधिक्य +
2501-गांधीय विकास के विशेष कार्यक्रम	32,52,50,000	30,24,23,417	-2,28,26,583	..
2505-गांधीय योजना	3,000	..	-3,000	..
2515-अन्य गांधीय विकास कार्यक्रम	88,01,86,000	88,00,42,100	-1,43,900	..
4515-अन्य गांधीय विकास कार्यक्रमों पर पूर्वी परिव्यय	88,00,00,000	88,00,00,000	1,86,000	..
मूल	30,52,50,000	2,00,00,000	30,52,50,000	..
दत्तमत
वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि
प्रयोजित	3,000	..	-3,000	..
वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि
वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि	88,00,00,000	88,01,86,000	1,86,000	..
मूल	88,00,00,000	88,01,86,000	1,86,000	..
दत्तमत
वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि
88,00,42 लाख रुपये के संपूर्ण व्यय में मुख्य श्रीष 4515-800-0801-केंद्र क्षेत्रीय योजना-सामान्य-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आहरित 88,00,00 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है, जो 30 मार्च 2001 को बैंक एकाउंट में जमा कर दी गई।				
टीका एवं टिप्पणीया				
राजस्व:				
दत्तमत-				
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 2,00,00 लाख रुपये का अनुपूर्वक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
(ii) 2,28.27 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अत्यर्पित नहीं की गई।				
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-				
श्रीष	कूल	अनुदान	व्यय	आधिक्य +
2216-03-800-0801-केंद्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-4851-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-	2,00,00	2,00,00	..	-2,00,00
श्रीष	कूल	अनुदान	व्यय	आधिक्य +
(1) 2216-03-800-0801-केंद्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-4851-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-	2,00,00	2,00,00	..	-2,00,00

अनुदान संख्या 30-समाप्त

शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
(2) 2501-01-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-8775-प्रशासन योजना विला स्तर	3,28.55	2,48.93	2,48.93	-79.62
(3) 2501-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-8376-मिनी आई.टी.आई. का निर्माण	42.23	-42.23
(4) 2501-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-8701-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयंसेवा योजना	68.05	-68.05
(5) 2515-101-0101-राज्य आर्थिकता (सामान्य)-2474-ध्वजपती राज संस्थाओं के संदर्भ में प्रभार	8,99.52	6,50.58	6,50.58	-2,48.94
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) तक के शीर्षान्वर्तित क्रमशः 2,00.00 लाख रुपये, 79.62 लाख रुपये, 42.23 लाख रुपये, 68.05 लाख रुपये तथा 2,48.94 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने/बचत के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।				
(IV) उपरोक्त टिप्पणी (III) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रति-संचित की गई:-				
शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
(1) 2501-01-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-8774-राज्य स्तर का अमला-	34.82	32.91	1,59.09	+1,26.18
1.91 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही 1,26.18 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण भी संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।				
(2) 2515-001-0101-राज्य आर्थिकता (सामान्य)-1033-विकास खण्ड कार्यवाही	1.91	4,66.33	6,23.84	+1,57.51
1,57.51 लाख रुपये के आधिक्य के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।				
(3) 2515-800-1208-ग्रामीण शक्ति सेवा-	4,02.19	4,04.10	6,07.46	+2,03.36
1.91 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का संवर्धन वाहन की खरीद हेतु निधियों की आवश्यकता के फलस्वरूप किया गया। 2,03.36 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।				

पूर्वगत:-

बचत-

(V) 1.44 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 88,00.00 लाख रुपये का अनुपूर्वक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(VI) 1.44 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी गणितीय अत्यधिक नहीं की गई।

अनुदान संख्या 31-योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

(सभी वसत)

कल	अनुदान	व्यय	आधिक्य +
वसत	वसत	वसत	वसत

मुख्य शीर्ष-
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी

राजस्व	वर्ष के दौरान अग्रपूर्ति राशि	टीका एवं टिप्पणियां	राजस्व:	वसत
2,55,16,000	1,77,60,566			-77,55,434

(I) 77.55 लाख रुपये की उपलब्ध वसत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अग्रपूर्ति नहीं की गई।

(II) प्राधान्य से वसत मुहलत: निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कल	अनुदान	व्यय	आधिक्य +
(1) 3451-091-1494-बिला योजना एवं विकास मंडलों का सुदृढीकरण	48.65	30.05	-18.60	
(2) 3451-101-3686-राज्य योजना मंडल	12.70	1.17	-11.53	
(3) 3454-02-001-8048-आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	1,66.29	1,35.19	-31.10	
(4) 3454-02-111-1430-जन-मूल्य संबंधी आंकड़ों का संकलन	9.10	3.59	-5.51	
(5) 3454-02-111-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6562-जनम एवं मूल्य रजिस्ट्रीकरण आर्थिकीयम 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन	6.74	0.04	-6.70	

उपरोक्त कम संख्या (1) से (5) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 18.60 लाख रुपये, 11.53 लाख रुपये, 31.10 लाख रुपये, 5.51 लाख रुपये तथा 6.70 लाख रुपये की वसत के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

- मुख्य शीर्ष -
- 2015-निर्वाचन
- 2029-शु-राजस्व
- 2039-राज्य उत्पाद शुल्क
- 2040-बिडी, व्यापार आदि पर कर
- 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क
- 2051-लोक सेवा आयोग
- 2052-संवैधान्तिक-सामान्य सेवाएं
- 2053-बिना प्रशासन
- 2054-राजकोष और लेखा प्रशासन
- 2055-पुलिस
- 2056-जैल
- 2058-लेखन सामग्री और मुद्रण
- 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं
- 2075-विविध सामान्य सेवाएं
- 2202-सामान्य शिक्षा
- 2203-तकनीकी शिक्षा
- 2205-कला और संस्कृति
- 2210-विक्रमा और लोक स्वास्थ्य
- 2215-बल पूर्ति और सफाई
- 2217-शहरी विकास
- 2220-सूचना और प्रचार
- 2225-अनुसंधान जाति, अनुसंधान जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 2230-श्रम और रोजगार
- 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
- 2251-संवैधान्तिक-सामाजिक सेवाएं
- 2401-कृषि कार्य
- 2403-पर्यटन
- 2405-मीन उद्योग
- 2406-वाणिज्य और वन्य जीवन
- 2425-सहकारिता
- 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- 2701-वृहद और मध्यम सिंचाई
- 2702-लघु सिंचाई
- 2851-ग्रामीण और लघु उद्योग
- 2852-उद्योग
- 3054-सड़कें और पुल
- 3452-पर्यटन
- 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

अनुदान संख्या 32-जन समूह विभाग से संबंधित व्यय
(सभी वतमान)

अनुदान संख्या 32-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
राजस्व	5,07,24,000	2,92,69,998	-2,14,54,002
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			1,56,54,604

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) 2,14.54 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 1,56.55 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-80-800-3956-विज्ञापन, बिक्री एवं प्रचार व्यय	7.10	1.60	-5.50

5.50 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(2) 2220-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2320-निदेशन एवं प्रशासन-			
मूल	2,44.70		
पुनर्वि.	-77.23	1,67.47	2,12.10
			+44.63

77.23 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही 44.63 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(3) 2220-01-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2822-फिल्म इकाई की स्थापना -			
मूल	38.65		
पुनर्वि.	- 22.16	16.49	6.05
			-10.44

(4) 2220-60-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4573-सूचना केन्द्र-			
मूल	17.50		
पुनर्वि.	- 13.48	4.02	5.52
			+1.50

(5) 2220-60-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 994-क्षेत्र प्रचार-			
मूल	24.25		
पुनर्वि.	-7.47	16.78	1.94
			-14.84

अनुदान संख्या 32-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(6) 2220-60-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4065-विशेष अवसरों के लिये प्रचार-			
मूल	12.00		
पुनर्वि.	-8.85	3.15	3.15
(7) 2220-60-110-2684-प्रकाशन-			
मूल	26.35		
पुनर्वि.	-4.58	21.77	0.33
(8) 2406-01-800-3956-विज्ञापन, बिक्री तथा प्रचार व्यय	10.75	5.70	-5.05
(9) 2701-80-001-3956-विज्ञापन, बिक्री तथा प्रचार व्यय	20.00	2.13	-17.87
(10) 3054-80-001-3956-विज्ञापन, बिक्री तथा प्रचार व्यय	10.00	..	-10.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (7) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 22.16 लाख रुपये, 13.48 लाख रुपये, 7.47 लाख रुपये, 8.85 लाख रुपये, 4.58 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) तथा (7) से (10) तक के शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः 10.44 लाख रुपये, 1.50 लाख रुपये, 14.84 लाख रुपये, 21.44 लाख रुपये, 5.05 लाख रुपये, 17.87 लाख रुपये तथा 10.00 लाख रुपये की अंतिम बचत/अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
2702-80-001-3956-विज्ञापन बिक्री और प्रचार व्यय	0.30	6.88	+6.58

6.58 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 33-आदिम जाति कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	1,15,36,07,000		
पूरक	10,00,000	1,15,46,07,000	1,20,16,15,852
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			16,52,92,728

1,20,16.16 लाख रुपये के संपूर्ण व्यय में मुख्य शीर्ष 2225-02-277-शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आहरित की गई 4.72 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है, जो मार्च 2001 के दौरान मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा में जमा कर दी गई।

प्रभाति	1,00,000	..	-1,00,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) दत्तमत अनुदान से हुये 4,70,08,852 रुपये के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) 4,70.09 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 10.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा 31 मार्च 2001 को प्रत्याशित बचत के रूप में किया गया 16,52.93 लाख रुपये का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान से आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत-
(1) 2225-02-277-583-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	16,14.72		
पुनर्वि.	-56.38	15,58.34	26,13.37
			+10,55.03
(2) 2225-02-277-2772-प्राथमिक विद्यालय-			
मूल	36,30.33		
पुनर्वि.	-80.66	35,49.67	42,59.01
			+7,09.34

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 56.38 लाख रुपये तथा 80.66 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों से प्राप्त समर्पण के फलस्वरूप संसूचित की गई। उपरोक्त शीर्षों में क्रमशः 10,55.03 लाख रुपये तथा 7,09.34 लाख रुपये का आधिक्य आंशिक रूप से उक्त शीर्षों में 1.06 लाख रुपये तथा 0.49 लाख रुपये नामे किये जाने तथा 31 मार्च 2001 को मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106 व्यक्तिगत जमा में जमा किये जाने से परिलक्षित हुआ, जिसके कारणों सहित अंतिम आधिक्य के कारण भी सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 33-समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान में बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रति-संतुलित

किया गया:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत-
(1) 2225-02-277-2675-मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति-				
मूल	3,68.00			
पुनर्वि.	-2,29.87	1,38.13	1,66.98	+28.85
(2) 2225-02-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3673-राज्य छात्रवृत्ति-				
मूल	9,37.76			
पुनर्वि.	-4,48.29	4,89.47	4,73.55	-15.92
(3) 2225-02-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 307-अशासकीय संस्थाओं को अनुदान-				
मूल	2,18.08			
पुनर्वि.	-27.62	1,90.46	89.84	-1,00.62
(4) 2225-02-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1395-छात्रवास-				
मूल	8,63.62			
पुनर्वि.	-1,82.81	6,80.81	6,82.27	+1.46
(5) 2225-02-277-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 2675-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां-				
मूल	3,00.00			
पुनर्वि.	-3,00.00	..	13.06	+13.06

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,29.87 लाख रुपये, 4,48.29 लाख रुपये, 27.62 लाख रुपये, 1,82.81 लाख रुपये तथा 3,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों से समर्पण राशि प्राप्त होने तथा मांग प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप संसूचित की गई। इन शीर्षों के अंतर्गत 28.85 लाख रुपये, 15.92 लाख रुपये, 1,00.62 लाख रुपये, 1.46 लाख रुपये तथा 13.06 लाख रुपये की अंतिम बचत/अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

प्रभारित -

(v) 1.00 लाख रुपये के संपूर्ण विनियोग के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 34-समाज कल्याण

कुल अनुदान
या
विनियोग
केपथे
वास्तविक
व्यय
केपथे
आधिक्य +
बचत -
केपथे

मुख्य शीर्ष-
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

राजस्व	प्रभारित	प्रभारित	राजस्व
वर्ष के दौरान अर्थात् राशि	वर्ष के दौरान अर्थात् राशि	वर्ष के दौरान अर्थात् राशि	वर्ष के दौरान अर्थात् राशि
2,44,87,000	17,000	..	2,69,85,572
24,98,572	24,98,572
..
टीका एवं टिप्पणियाँ			

राजस्व-
दत्तमत-

(i) दत्तमत अनुदान से रुबे 24,98,572 केपथे के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।
(ii) प्राधान से आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
2235-02-200-1986-वृश्य-श्रव्य योजना	5.91	34.66	34.66	+28.75
(लाख रुपयाँ में)				

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्राधान में बचत द्वारा अंशतः प्रति-संगृहित किया

गया:-

शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
2235-02-001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 2969-बिलासपुर में बिना पुनर्वास केन्द्र की स्थापना	12.97	7.25	7.25	-5.72
(लाख रुपयाँ में)				

5.72 लाख रुपये की बचत के कारण सृष्टित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

प्रभारित

(iv) 0.17 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अर्थात् नहीं की गई।

**अनुदान संख्या 35-पुनर्वास
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
4851-ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व	48,92,000	41,18,412	-7,73,588
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			7,12,000
पूंजीगत	2,51,000	2,28,430	-22,570
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			19,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 7.74 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 7.12 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
2235-01-200-4625-स्थायी दायित्व गृह माना जिला रायपुर का परिचालन-			
मूल	45.28		
पुनर्वि.	-4.18	41.10	41.13
			+0.03

4.18 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत संयुक्त कलेक्टर, रायपुर द्वारा कमाण्डेन्ट माना केम्प का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय तथा कार्यालयीन व्यय में मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण हुई। 0.03 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

पूंजीगत:

(iii) 0.23 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 0.19 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 36-परिवहन

कूल अनुदान या विनियोग केपये	वास्तविक व्यय केपये	आधिक्य + बचत - केपये
--------------------------------------	---------------------------	----------------------------

मुख्य शीर्ष-
2041-बाहनों पर कर
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं
2075- विविध सामान्य सेवाएं
3055-सड़क परिवहन

राजस्व- दत्तमत-	मूल 3,66,23,000	45,50,000	4,11,73,000	1,52,65,459	2,11,18,214
राजस्व- दत्तमत-	मूल 3,66,23,000	45,50,000	4,11,73,000	1,52,65,459	2,11,18,214
प्रशस्तित वर्ष के दौरान अर्जित राशि					
(31 मार्च 2001)					
टीका एवं टिप्पणियां					

(I) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 45.50 लाख रुपये का अनुपूर्वक अनुदान अनिवार्यक सिद्ध हुआ।
(II) 2,59.08 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 2,11.18 लाख रुपये की राशि अर्जित की गई।
(III) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
राजस्व- दत्तमत-	मूल 22.70	-11.87	10.83
प्रशस्तित वर्ष के दौरान अर्जित राशि			
(31 मार्च 2001)			

11.87 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानान्तरित कर्मचारियों द्वारा कार्य ग्रहण न करने एवं विनियोग से अन्य करने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। 0.04 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(1) 2041-001-3565-मुख्यालय स्थापना-

अनुदान संख्या 36-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2041-101-4280-संग्रहण प्रभार-			
मूल	2,20.80		
पुनर्वि.	-1,58.89	61.91	66.73
			+4.82
<p>1,58.89 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानांतरित कर्मचारियों द्वारा कार्य ग्रहण नहीं किये जाने के कारण हुई। 4.82 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।</p>			
(3) 2041-102-679-प्रवर्तन-			
मूल	30.41		
पूरक	33.00		
पुनर्वि.	-40.27	23.14	15.97
			-7.17
(4) 2070-114-3598-मोटर गैरेज	80.67	40.01	-40.66

उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 40.27 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध के कारण चयन नहीं किये जाने (33.00 लाख रुपये) एवं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानांतरित कर्मचारियों द्वारा कार्य ग्रहण न किये जाने (7.27 लाख रुपये) के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 7.17 लाख रुपये तथा 40.66 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन
(सभी वतमान)

श्रीध	कुल	अनुदान	व्यय	आधिक्य +
पूजागत	57,60,000	57,60,000	..	-57,60,000
पूजागत वर्ष के दौरान अर्थात्पिन राशि				
टीका एवं टिप्पणियां				
पूजागत:				

पूजा श्रीध-
5452-पर्यटन पर पूजा परिव्यय

(i) 57.60 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अर्थात्पिन नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

श्रीध	कुल	अनुदान	व्यय	आधिक्य +
(1) 5452-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 944-केन्द्र प्रवर्तित योजना में राज्य शासन का अंशदान	22.60	22.60	..	-22.60
(2) 5452-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7630-केन्द्र प्रवर्तित योजना में केन्द्र का अंशदान	35.00	35.00	..	-35.00

उपर्युक्त कम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्वित क्रमशः 22.60 लाख रुपये तथा 35.00 लाख रुपये का संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण सुविधा नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2408-खाद्य भण्डारण और भाण्डागारण			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें			
4408-खाद्य भण्डारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय			
6408-खाद्य भण्डारण और भाण्डागारण के लिए उधार			
राजस्व:			
दत्तमत	21,47,63,000	15,51,38,473	-5,96,24,527
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			5,64,06,345
<i>प्रभारित</i>	<i>1,00,000</i>	<i>..</i>	<i>- 1,00,000</i>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			<i>1,00,000</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	1,66,67,000	50,000	-1,66,17,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,66,67,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:
दत्तमत-

(i) 5,96.25 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 5,64.06 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत-
(1) 2408-01-001-629-उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ-			
मूल	45.25		
पुनर्वि.	-21.46	23.79	+2.83
21.46 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही 2.83 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(2) 2408-01-001-1471-जिला कार्यालय-			
मूल	1,70.69		
पुनर्वि.	-75.26	95.43	-4.80

75.26 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने तथा निधियों की आवश्यकता न होने के फलस्वरूप हुई। 4.80 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 39-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत-
(3) 2408-01-001-3537-मुख्यालय-			
मूल	24.21		
पुनर्वि.	-18.79	5.42	-3.19
		2.23	
<p>18.79 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, शासन द्वारा अधिरोपित मितव्ययी उपायों के अपनाने, क्रय पर प्रतिबंध तथा कोषालयों द्वारा देयकों को अमान्य किये जाने के फलस्वरूप संसूचित की गई। 3.19 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।</p>			
(4) 2408-01-001-7522-8 अंशकालिक जिला फोरमों को पूर्णकालिक करने बावत्-			
मूल	18.00		
पुनर्वि.	-18.00
<p>18.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।</p>			
(5) 2408-01-102-3229-मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति-			
मूल	1,33.33		
पुनर्वि.	-1,33.33
		0.26	+0.26
(6) 2408-01-102-5245-समर्थन मूल्य के अंतर्गत किसानों को बोनस-			
मूल	66.66		
पुनर्वि.	-66.66
(7) 2408-01-102-9993-आदिवासी जिलों में रियायती मूल्य पर आयोडीनयुक्त नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान-			
मूल	85.00		
पुनर्वि.	-85.00
(8) 2408-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 570-उचित मूल्य की दुकानों का सहकारीकरण लाना तथा ज्वार के विक्रय में हुई हानि की प्रतिपूर्ति-			
मूल	1,45.56		
पुनर्वि.	-1,45.56

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,33.33 लाख रुपये, 66.66 लाख रुपये, 85.00 लाख रुपये तथा 1,45.56 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत शासन से आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के फलस्वरूप संसूचित की गई। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 0.26 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 39-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(9) 3475-106-6112-मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय	58.93	31.64	-27.29

27.29 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iii) 1,66.17 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को किया गया 1,66.67 लाख रुपये का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
6408-02-190-3349-खाद्यान्न के उपार्जन हेतु मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन हेतु उधार-			
मूल	1,66.67	"	"
पुनर्वि.	-1,66.67	"	"

1,66.67 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत शासन से आहरण करने हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के फलस्वरूप हुई।

(v) बिना प्रावधान के किया गया व्यय

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
4408-01-191-0910-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम- 6418-गोदामों का निर्माण	..	0.50	+0.50

0.50 लाख रुपये का व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये।

अनुदान संख्या 40 - आवाकट विभाग से संबंधित व्यय

(सभी वतमान)

अनुदान	कूल	वस्तविक	आवश्यक +
अनुदान	रुपये	रुपये	रुपये
कूल	रुपये	रुपये	रुपये

मुख्य शीर्ष-	2705-कमान क्षेत्र विकास	4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूर्वी परिव्यय	5054-सड़कों और पुलों पर पूर्वी परिव्यय
राजस्व	94,20,000	36,45,482	-57,74,518
वर्ष के दौरान अर्थात्त राशि			55,64,000
वर्ष के दौरान अर्थात्त राशि			(3 फरवरी तथा 31 मार्च 2001)
पूर्वगत	62,36,000	38,21,666	-24,14,334
वर्ष के दौरान अर्थात्त राशि			(31 मार्च 2001)
टीका एवं टिप्पणियाँ			
राजस्व:			
वतमान-			

(i) 57.75 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 3 फरवरी तथा 31 मार्च 2001 को केवल 55.64 लाख रुपये की राशि अर्थात्त की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कूल	अनुदान	वस्तविक	आवश्यक +
एवं उपसंयोग-	9.50			
2826-फील्ड वनस्पति निर्माण बावत एक संयोग				
2705-206-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-				

(1) 2705-206-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-
4735-हसदेव, खुर्सा, मनिचारी आवाकट क्षेत्र में प्रक्षेत्र विकास-
15.24
रुपये।
6.67
8.57
6.13
-2.44

(3) 2705-206-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-
4737-हसदेव, खुर्सा, मनिचारी आवाकट विकास प्राधिकरण-
14.30
रुपये।
-9.30
5.00
4.83
-0.17

(2) 2705-206-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-
4735-हसदेव, खुर्सा, मनिचारी आवाकट क्षेत्र में प्रक्षेत्र विकास-
15.24
रुपये।
-6.67
8.57
6.13
-2.44

(4) 2705-209-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-
3436-महिनदी आवाकट विकास प्राधिकरण-
19.51
रुपये।
-9.34
10.17
12.41
+2.24

9.50 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समस्त कार्यालय अंशों की वचन संशोधन विभाग में स्थानान्तरित करके की कार्या संचालन की गई।

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 6.67 लाख रुपये एवं 9.30 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत परों के निम्न रहने के फलस्वरूप हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत 2.44 लाख रुपये तथा 0.17 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संचालन नहीं किए गए हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 40-समान

9.34 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत उप संवर्धन स्तर की गतिविधियों में केषकों की असंतनता के फलस्वरूप हुई। 2.24 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
			(लाख रुपये में)	

(5) 2705-209-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-3439-महानदी परियोजना में फील्ड वेनलस का निर्माण 13.65 मूल पुनर्वि. - 11.88 1.77 .. -1.77 11.88 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आयाकट प्रकल्प को निधियां उपलब्ध कराने के फलस्वरूप हुई। 1.77 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(6) 2705-209-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6305-सिंचाई सहयोगिता प्रबंधन समितियों को अनुदान 10.00 मूल पुनर्वि. -8.92 1.08 .. 8.92 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्तर पर किये गये पर्याप्त प्रयासों के बावजूद किसानों की नई खरीद संचित

पूजागत: 24.14 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 23.50 लाख रुपये की राशि अर्पणित की गई।

(iv) प्राधान्य में बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
			(लाख रुपये में)	

4705-209-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-2823-फील्ड वेनलस का निर्माण 25.00 मूल पुनर्वि. - 23.50 1.50 0.86 -0.64 23.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत संस्थाओं/ग्राम पंचायतों के माध्यम से केषकों की सहमति प्राप्त न होने के फलस्वरूप हुई। 0.64 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(v) उदात्त लेन-देन:- उदात्त लेन-देन की प्रकृति और लेखा प्रकिया की व्याख्या अनुदान संख्या-20-लोक स्वास्थ्य यात्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेख के नीचे टिप्पणी (v) में की गई है। विभिन्न उदात्त उप-शीर्षों के अंतर्गत 2000-2001 (01 नवंबर 2000 से 31 मार्च 2001 तक) के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उदात्त लेन-देनों का विवरण प्रारंभिक तथा अंतः शेष सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2000 को	नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान जमा - नामे + को	अंतः शेष 31 मार्च 2001
(लाख रुपये में)					
1. क्रय		-4.74	-4.74
2. खर्च		-0.03	-0.03
3. विविध निर्माण कार्य अग्रिम		+15.07	+15.07
योग		+10.30	+10.30

- मुख्य शीर्ष-
 2202-सामान्य शिक्षा
 2203-तकनीकी शिक्षा
 2210-विक्रम और लोक स्वास्थ्य
 2211-परिवार कल्याण
 2215-जल पूर्ति और सफाई
 2216-आवास
 2217-शहरी विकास
 2220-सूचना और प्रचार
 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230-श्रम और रोजगार
 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
 2236-प्राथमिक
 2401-कृषि कार्य
 2402-मू और जल संरक्षण
 2403-पर्यावरण
 2405-मीन उद्योग
 2406-वाणिज्य और व-य जीवन
 2408-खाद्य मण्डल और मण्डल
 2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा
 2425-सहकारिता
 2501-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम
 2505-ग्रामीण रोजगार
 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
 2705-कमान क्षेत्र विकास
 2801-ऊर्जा
 2810-ऊर्जा के गैर-परंपरिक स्रोत
 2851-ग्रामीण और लघु उद्योग
 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूर्वी परिव्यय
 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूर्वी परिव्यय
 4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूर्वी परिव्यय
 4402-मू और जल संरक्षण पर पूर्वी परिव्यय
 4405-मीन उद्योग पर पूर्वी परिव्यय
 4425-सहकारिता पर पूर्वी परिव्यय
 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूर्वी परिव्यय
 4701-वृद्ध और मध्यम सिंचाई पर पूर्वी परिव्यय
 4702-लघु सिंचाई पर पूर्वी परिव्यय
 6408-खाद्य मंडल और मण्डल के लिये उधार
 6425-सहकारिता के लिये उधार
 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिये उधार
 6851-ग्रामीणों और लघु उद्योगों के लिये उधार
 6860-उपयोजना उद्योगों के लिये उधार

अनुदान संख्या 41-जारी

	कुल अनुदान या विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	1,01,80,05,000		
पूरक	7,61,96,200	1,09,42,01,200	81,54,90,271
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			-27,87,10,929 14,59,69,352
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	44,72,12,000		
पूरक	9,42,62,000	54,14,74,000	33,99,12,572
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			-20,15,61,428 52,94,600

33,99.13 लाख रुपये के संपूर्ण व्यय में मुख्य शीर्ष 4225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-1400-आश्रम तथा छात्रावास भवन (2.68 लाख रुपये), 9832-विभागीय अभिकरण (1.00 लाख रुपये) तथा 9840-शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण (12.00 लाख रुपये) के अंतर्गत आहरित राशि 15.68 लाख रुपये सम्मिलित है, जो 31 मार्च 2001 को मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा में जमा कर दी गई।

प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	1,00,000	57,512	-42,488
--	----------	--------	---------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 7,61.96 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 27,87.11 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 14,59.69 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	--------------------------------------	-------------------

10-वन विभाग

(1) 2406-01-796-101-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- आदिवासी क्षेत्र उप योजना- 2962-बिगडें वनों का सुधार	40.00	1.04	-38.96
---	-------	------	--------

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2406-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 682-क्षेत्र अभिमुख जलाऊ लकड़ी एवं चारा कार्यक्रम	1,35.00	64.94	-70.06
(3) 2406-01-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5231-लघु वनोपज कार्यों के लिये लघु वनोपज संघ को अनुदान	4,50.00	..	-4,50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 38.96 लाख रुपये, 70.06 लाख रुपये की बचत तथा 4,50.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

13-ऊर्जा विभाग

(4) 2501-04-796-101-0410-ऊर्जा विकास निधि- 4988-एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	34.00	0.90	-33.10
(5) 2810-60-796-800-0410-ऊर्जा विकास निधि- 3188-मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को सहायता	32.40	..	-32.40

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 33.10 लाख रुपये की बचत तथा 32.40 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

14-कृषि विभाग

(6) 2401-794-103-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिये भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित योजनायें- 8769-अन्नपूर्णा योजना	91.00	..	-91.00
(7) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 878-कृषकों के खेतों पर धान उत्पादन का विशेष कार्यक्रम (केन्द्र प्रवर्तित)	44.26	14.97	-29.29
(8) 2401-796-119-0802-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5066-काजू विकास योजना	54.22	1.76	-52.46
(9) 2402-796-101-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2198-नदी घाटी परियोजना में भूमि संरक्षण उपायों की समन्वित योजना	49.23	6.87	-42.36

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(23) 2225-02-794-800-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से वित्त पोषित योजनायें- 9819-विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण-			
मूल	1,20.00		
पूरक	1,00.00	2,20.00	1,44.33
			-75.67
(24) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 494-आश्रम-			
मूल	1,83.41		
पूरक	2,54.96		
पुनर्वि.	- 38.95	3,99.42	2,44.38
			-1,55.04
(25) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2773-प्राथमिक विद्यालय-			
मूल	7,21.73		
पुनर्वि.	-1,36.20	5,85.53	4,46.05
			-1,39.48
(26) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3496-माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	4,37.00		
पुनर्वि.	-5.29	4,31.71	3,76.84
			-54.87
उपरोक्त क्रम संख्या (24) से (26) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 38.95 लाख रुपये, 1,36.20 लाख रुपये तथा 5.29 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों से समर्पण की प्राप्ति के फलस्वरूप संसूचित की गई। उपरोक्त क्रम संख्या (22) से (26) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,58.26 लाख रुपये, 75.67 लाख रुपये, 1,55.04 लाख रुपये, 1,39.48 लाख रुपये तथा 54.87 लाख रुपये की अंतिम बचत/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(27) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6503-मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-98.48	1.52	1.00
			-0.52
98.48 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप हुई। 0.52 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(28) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 9817-शिक्षा का व्यावसायीकरण-			
मूल	50.39		
पुनर्वि.	-19.34	31.05	17.89
			-13.16
19.34 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों से अभ्यर्पण प्राप्त होने के कारण हुई। 13.16 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(29) 2225-02-796-277-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5232-मध्य प्रदेश आवासीय विद्यालय समिति को अनुदान (अनुच्छेद 275 (1))-			
मूल	8,00.00		
पुनर्वि.	-8,00.00	0.99	+0.99

8,00.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधियों के प्राप्त न होने के कारण हुई। 0.99 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(30) 2515-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5209-मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन-			
मूल	53.40		
पुनर्वि.	-17.87	35.53	-13.27

17.87 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों से अभ्यर्पण प्राप्त होने के कारण हुई। 13.27 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

29-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

(31) 2408-01-796-190-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 4994-गोडाउन ग्रीड का निर्माण	1,08.75	..	-1,08.75
--	---------	----	----------

1,08.75 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(32) 2215-01-796-191-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 9-250 से कम आबादी वाले ग्राम और टोला क्षेत्रों में नलकूपों का खनन	2,00.00	1,46.96	-53.04
(33) 2215-01-796-191-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 9366-औजार एवं संयंत्र	20.00	..	-20.00

उपरोक्त क्रम संख्या (32) एवं (33) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 53.04 लाख रुपये की बचत तथा 20.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

42-जनशक्ति नियोजन विभाग

(34) 2203-796-105-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2667-पोलीटेक्निक	24.70	0.20	-24.50
---	-------	------	--------

24.50 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 41- जारी

गई:- (iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	--------------------------------	----------------

10-वन विभाग

(1) 2406-01-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2962-बिगड़े वनों का सुधार	37.52	1,12.17	+ 74.65
--	-------	---------	---------

74.65 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002) ।

14-कृषि विभाग

(2) 2401-796-001-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 4103-विश्व बैंक की सहायता से गहन विस्तार परियोजना	1,35.85	3,49.58	+2,13.73
(3) 2401-796-108-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 4838-मेक्रोमेनेजमेंट कार्य योजना- पूरक पुनर्वि. सकेतिक	2,06.00	1,86.11	-19.89

उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2,06.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का संवर्धन आकस्मिक निधि से प्राप्त अग्रिम को आपूरित किये जाने के लिये किया गया । उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,13.73 लाख रुपये के आधिक्य तथा 19.89 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002) ।

17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(4) 2210-03-796-103-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2779-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,52.19	3,22.69	+1,70.50
(5) 2210-03-796-104-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 9360-जीवन ज्योति चलित औषधालय की स्थापना	15.90	91.68	+75.78
(6) 2210-06-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 4245-मलेरिया	1,76.88	3,23.80	+1,46.92

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,70.50 लाख रुपये, 75.78 लाख रुपये तथा 1,46.92 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002) ।

20-स्कूल शिक्षा विभाग

(7) 2202-01-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5087-राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन को अनुदान	25.59	55.27	+29.68
--	-------	-------	--------

29.68 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002) ।

अनुदान संख्या 41- जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
22-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग			
(8) 2216-03-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5198-इंदिरा आवासीय योजना	1,09.29	2,64.99	+1,55.70
1,55.70 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002) ।			

25-आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

(9) 2225-02-794-102-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से वित्त पोषित योजनायें- 5213-आदिवासी अंचलों में स्थानीय विकास कार्यक्रम	12.32	37.79	+25.47
(10) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 581-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय- मूल 7,94.30 पुनर्वि. -1,99.14	5,95.16	10,67.09	+4,71.93

उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत 1,99.14 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा निधियों का समर्पण तथा मांग प्रतिवेदित नहीं किये जाने के कारण संसूचित की गई। उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 25.47 लाख रुपये तथा 4,71.93 लाख रुपये के आधिक्य/अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002) ।

34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

(11) 2215-01-796-001-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 4951-समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल पूर्ति	80.00	1,46.06	+66.06
66.06 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002) ।			

38-उच्च शिक्षा विभाग

(12) 2202-03-796-103-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 1401-शासकीय महाविद्यालय	48.37	1,06.17	+57.80
57.80 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002) ।			

पूजीगत:
दत्तमत-

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 9,42.62 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(vi) 20,15.61 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 52.95 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई ।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	--------------------------------------	-------------------

13-ऊर्जा विभाग

(1) 6801-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3212-मध्य प्रदेश विद्युत् मंडल को उधार	1,53.25	..	-1,53.25
1,53.25 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002) ।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	--------------------------------------	-------------------

15-सहकारिता विभाग

(2) 4425-796-107-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2755-बहुउद्देशीय प्राथमिक/कृषि सेवा सहकारी समितियां प्राथमिक कृषि/कृषक सेवा/बड़े पैमाने पर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन	20.32	..	-20.32
(3) 4425-796-107-0910-राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम- 369-आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन	2,10.00	..	-2,10.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 20.32 लाख रुपये तथा 2,10.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

(4) 4515-796-103-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5162-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	2,83.33	1,49.09	-1,34.24
---	---------	---------	----------

1,34.24 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

25-आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

(5) 4225-02-794-102-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिये भारत सरकार से अलावा राशियों से वित्त पोषित योजनायें- 5211-एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम- मूल 5,87.83 पूरक 3,50.00	9,37.83	7,07.56	-2,30.27
(6) 4225-02-794-102-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिये भारत सरकार से अलावा राशियों से वित्त पोषित योजनायें- 5212-माडा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम- मूल 34.56 पूरक 80.00	1,14.56	52.57	-61.99
(7) 4225-02-796-277-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 1400-आश्रम तथा छात्रावास भवन- मूल 2,58.08 पुनर्वि. -10.84	2,47.24	1,40.90	-1,06.34

उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 10.84 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप संसूचित की गई। उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,30.27 लाख रुपये, 61.99 लाख रुपये तथा 1,06.34 लाख रुपये की बचत/अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

26-समाज कल्याण विभाग

(8) 4235-02-796-106-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 829-किशोर न्याय अधिनियम-1986 का क्रियान्वयन बालिका किशोर गृह की स्थापना	25.00	..	-25.00
---	-------	----	--------

25.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 41-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
29-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग			
(9) 6408-01-796-190-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 4994-गोडाउन ग्रीड का निर्माण	1,08.75	..	-1,08.75
1,08.75 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002) ।			
31-जल संसाधन विभाग			
(10) 4701-03-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	9,54.36	8,51.67	-1,02.69
(11) 4702-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5189-लघु सिंचाई योजना का निर्माण कार्य (नाबार्ड)	8,16.10	5,75.68	-2,40.42
(12) 4702-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3828-लघु सिंचाई योजना	1,65.00	..	-1,65.00
(13) 4702-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- 4860-अपूर्ण सिंचाई योजनाओं का पूर्ण किया जाना [अनुच्छेद 275 (1)] पूरक	5,12.62	5,12.62	..
उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (13) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,02.69 लाख रुपये, 2,40.42 लाख रुपये की बचत तथा 1,65.00 लाख रुपये तथा 5,12.62 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002) ।			

42-जनशक्ति नियोजन विभाग

(14) 4202-02-796-105-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 4945-तकनीकी शिक्षा के लिये भवन निर्माण- मूल	40.00
पुनर्वि.	-40.00
40.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत संस्थाओं से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
25-आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग			
(1) 4225-02-794-277-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिये भारत सरकार से अलावा राशियों से वित्त पोषित योजनायें- 493-आश्रम	3,95.00	4,38.43	+43.43
43.43 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002) ।			
(2) 4225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 1400-आश्रम तथा छात्रावास भवन- मूल	35.00
पुनर्वि.	-0.01	34.99	1,50.92
0.01 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप संसूचित की गई । 1,15.93 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002) ।			

प्रभारित-

(ix) 0.42 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई ।

अनुदान संख्या 42 - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
5054-सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय			
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	23,10,87,000		
पूरक	2,62,00,000	25,72,87,000	13,65,63,098
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			8,49,04,000
भारित	5,00,000	..	-5,00,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत:

दत्तमत -

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 2,62.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 12,07.24 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 8,49.04 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत-
(1) 5054-03-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 4149-वृहद् पुलों का निर्माण कार्य-			
मूल	1,79.96		
पुनर्वि.	-1,34.45	45.51	74.89
(2) 5054-03-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5225-पुलों का निर्माण (नाबार्ड)-			
मूल	7,65.59		
पुनर्वि.	-1,20.00	6,45.59	5,82.74
(3) 5054-04-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 8727-ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)-			
मूल	7,92.11		
पुनर्वि.	-5,50.61	2,41.50	2,11.86

अनुदान संख्या 42 - समाप्त

उपरोक्त कम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्वित क्रमशः 1,34.45 लाख रुपये, 1,20.00 लाख रुपये तथा 5,50.61 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत ठेकेदारी द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति एवं फरवरी 2001 में अस्थायी संभारों के आहरण एवं संवितरण अधिकारों की समाप्ति के परिणामस्वरूप आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया जाने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत 29.38 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य तथा 62.85 लाख रुपये तथा 29.64 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संचित नहीं किये गये हैं।

(जनवरी 2002)।

शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक व्यय	(लाख रुपये में)
शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक व्यय	(लाख रुपये में)
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 4861-सड़की और पुलों का निर्माण- [अनुवर्ध 275 (1)]	2,62.00	2,62.00	..	-2,62.00
(5) 5054-04-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 7654-आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	3,00.00	3,00.00	1,79.22	-1,20.78

उपरोक्त कम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्वित क्रमशः 2,62.00 लाख रुपये के संपूर्ण अनुपूर्वक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने तथा 1,20.78 लाख रुपये की बचत के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संचित की गई:-

शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक व्यय	(लाख रुपये में)
शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक व्यय	(लाख रुपये में)
5054-04-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम- (शीर्षों सहित)	2,04.44	2,04.44	2,63.13	+58.69

58.69 लाख रुपये के आधिक्य के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

प्रशासन -

(v) 5.00 लाख रुपये के संपूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विकल्प वर्ष के दौरान कोई भी राशि अत्यंत नहीं की गई। मुख्य शीर्ष 5054-04-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-3115-ग्राम आवासयोजना के निम्न मुआवजा-डिडीशन का भुगतान के अंतर्गत संपूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहे, जिसके कारण संचित नहीं किये गये हैं।

अनुदान संख्या 43 - खेल और युवक कल्याण
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष- 2204 - खेल और युवा सेवायें			
राजस्व:			
मूल	1,37,70,000		
पूरक	3,00,000	1,40,70,000	91,90,972
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			-48,79,028 47,51,357

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 3.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 48.79 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 47.51 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नान्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2204-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2323-निदेशन एवं प्रशासन-			
मूल	28.55		
पुनर्वि.	-12.66	15.89	15.22
			-0.67

12.66 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही 0.67 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(2) 2204-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5001-मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण को अनुदान-			
मूल	5.27		
पुनर्वि.	-5.22	0.05	0.05
			...

5.22 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत उत्तरवर्ती राज्य मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण के प्रबंधन का विभाजन नहीं होने के कारण हुई।

(3) 2204-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5226-मूलभूत सुविधाओं के विकास स्टेडियम आदि-			
मूल	79.00		
पुनर्वि.	-14.88	64.12	62.62
			-1.50

14.88 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही 1.50 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 44-उच्च शिक्षा

कूल अनुदान	या	विनियोग	केपदे
काल्पनिक	वास्तविक	व्यय	बचत -
आधिक्य +			केपदे

मुख्य शीर्ष-
2202-सामान्य शिक्षा

रजस्वः	मूल	पूरक	वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि	प्रयोजित	वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि	टीका एवं टिप्पणियां	राजस्वः	वसमत-
49,97,64,000	30,50,000	50,28,14,000	30,11,55,619	22,000
वसमत-								
राजस्वः								

(I) वर्षादि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से काफी कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 30.50 लाख रुपये का अत्यर्पक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(II) 20,16.58 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अत्यर्पित नहीं की गई।

(III) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कूल	अनुदान	वास्तविक	व्यय	बचत -
आधिक्य +					
				(लाख रुपये में)	
(1) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5209-गुरु शास्त्रीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	1,98.53	1,18.20		1,12.69	-80.33
(2) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7238-ईदिया कला विश्वविद्यालय, खैरागढ़	1,82.80			1,12.69	-70.11
(3) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 798-कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय	37,28.62			18,23.13	-19,05.49
(4) 2202-03-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3444-महाविद्यालयों की अनुसंधान अनुदान-	2,80.50	3,11.00		2,57.27	-53.73
पूरक	30.50				
मूल					

उपरोक्त कम संख्या (1) से (4) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 80.33 लाख रुपये, 70.11 लाख रुपये, 19,05.49 लाख रुपये तथा 53.73 लाख रुपये की बचत के कारण सुधित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 44-समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5205-रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	4,79.10	6,27.04	+1,47.94

1,47.94 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

प्रभारित-

(v) 0.22 लाख रुपये के उपलब्ध संपूर्ण विनियोग की बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य

कूल अनुदान
या
वित्तियोग
रुपये

वास्तविक
व्यय
रुपये

आधिक्य +
बचत -
रुपये

मुख्य शीर्ष-
2702-लघु सिंचाई
4402-ग्राम एवं जल संरक्षण पर पूर्वी परिव्यय
4702-लघु सिंचाई पर पूर्वी परिव्यय

राजस्व:	वसूल:-	मूल	पूरक	वर्ष के दौरान अस्थापित राशि
3,82,44,000	1,74,86,000	5,57,30,000	5,15,15,395	-42,14,605
वर्ष के दौरान अस्थापित राशि				..
पूर्वगत:-				
वसूल	8,25,48,000	100	8,25,48,100	..
पूरक				..
वर्ष के दौरान अस्थापित राशि				-4,13,28,425
प्रयोजित				..
वर्ष के दौरान अस्थापित राशि				-1,00,000
टीका एवं विभाजिया				..

राजस्व: वसूल:-
टीका एवं विभाजिया

(i) 42.15 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 1,74.86 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 42.15 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अस्थापित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
2702-80-800-207-अन्ध लघु सिंचाई निर्माण कार्य-	2,50,00	1,74.86	75.14
मूल	1,74.86	4,24.86	2,50.00
पूरक	3,37.16	3,37.16	0.00
87.70 लाख रुपये की बचत के कारण सुचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			-87.70

अनुदान संख्या 45-जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2702-01-101-1403-छिद्रण तथा विस्फोट द्वारा कुओं को गहरा करने की योजना	24.44	47.48	+23.04
(2) 2702-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6065-प्रायवेट एजेन्सियों/ठेकेदारों द्वारा कृषकों के खेतों पर नलकूप खनन पर सफल नलकूपों पर सहायता	1,05.00	1,28.33	+23.33

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 23.04 लाख रुपये तथा 23.33 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

पूँजीगत:
दत्तमत-

(v) 4,13.28 लाख रुपये की बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4402-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 3478-मेक्रोमाइनर सिंचाई योजनायें	1,46.48	..	-1,46.48
(2) 4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3803-लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनायें	3,00.00	2,54.61	-45.39
(3) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2339-निदेशन एवं प्रशासन- (समानुपातिक)	2,00.00	22.46	-1,77.54
(4) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6070-संगठन स्थापना (भू जल)	33.00	..	-33.00
(5) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9284-स्थापना	1,40.00	1,00.70	-39.30

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,46.48 लाख रुपये, 45.39 लाख रुपये, 1,77.54 लाख रुपये, 33.00 लाख रुपये तथा 39.30 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने/ बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4402-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3478-मेक्रोमाइनर सिंचाई योजनायें	6.00	21.07	+15.07

अनुदान संख्या 45-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत-
(2) 4402-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 4838-मेक्रो प्रबंधन कार्य योजना- पूरक	सांकेतिक	13.35	+13.35

उपरोक्त क्रम संख्या (1) और (2) के शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः 15.67 लाख रुपये और 13.35 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(viii) उचंत लेन-देन-

‘उचंत’ के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अंतर्गत टिप्पणी (v) में दी गई हैं।

वर्ष 2000-2001 (01 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001तक) के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अंतर्गत प्रारंभिक एवं अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 नवम्बर 2000 को नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंतः शेष 31 मार्च 2001 को नामे + जमा -
(लाख रुपयों में)				
4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय-				
1. क्रय	-47.83	-47.83
2. भंडार	-19.32	-19.32
3. द्विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+23.72	+23.72
4. कार्यशाला उचंत	+0.04	+0.04
योग	-43.39	-43.39

प्रभारित-

(ix) 1.00 लाख रुपये के संपूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 47-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2230-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9147-रोजगार कार्यालय	1,67.21	79.22	-87.99
87.99 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(4) 2230-03-001-9148-प्रशिक्षण संचालनालय-			
मूल	1,12.59		
पुनर्वि.	-26.00	86.59	5.35
26.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के एक भाग का कारण पदों की रिक्तता (8.00 लाख रुपये) बताया गया। 18.00 लाख रुपये की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही 81.24 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(5) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-			
मूल	9,98.49		
पुनर्वि.	25.00	10,23.49	3,87.23
25.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का संवर्धन पांच माह के वास्तविक व्यय हेतु निधियों का कम प्रावधान किये जाने (23.20 लाख रुपये) तथा चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के भवनों के किराये के भुगतान (1.80 लाख रुपये) हेतु किया गया। 6,36.26 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(6) 2230-03-102-9149-शिक्षाणर्थी प्रशिक्षण योजना	31.20	0.05	-31.15
(7) 2230-03-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8272-गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता	1,33.69	93.79	-39.90
उपरोक्त क्रम संख्या (6) और (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 31.15 लाख रुपये और 39.90 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			

पूंजीगत:

- (iv) 11.51 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
4202-02-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6215-शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूंजी व्यय	11.00	..	-11.00
11.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			

अनुदान संख्या 48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2053-जिला प्रशासन			
2054-राजकोष और लेखा प्रशासन			
2055-पुलिस			
2056-जेलें			
2202-सामान्य शिक्षा			
2205-कला और संस्कृति			
2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य			
2215-जल पूर्ति और सफाई			
2217-शहरी विकास			
2402-भू और जल संरक्षण			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय			
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय			
4402-भूमि और जल संरक्षण पर पूंजी परिव्यय			

राजस्व:

पूरक	22,68,00,000	22,68,00,000	6,26,65,000	-16,41,35,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत आहरित 6,26.65 लाख रुपये का संपूर्ण व्यय 31 मार्च 2001 को मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा किया गया।

पूंजीगत:

पूरक	32,24,40,000	32,24,40,000	8,06,10,000	-24,18,30,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत आहरित 8,06.10 लाख रुपये का संपूर्ण व्यय 31 मार्च 2001 को मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा किया गया।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 16,41.35 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 22,68.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 16,41.35 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 48-जारी

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2053-093-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान- पूरक 92.00	92.00	37.91	-54.09
(2) 2054-095-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान- पूरक 1,26.00	1,26.00	46.41	-79.59
(3) 2055-001-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान- पूरक 2,00.00	2,00.00	64.91	-1,35.09
(4) 2056-001-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान- पूरक 20.00	20.00	5.00	-15.00
(5) 2202-01-001-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान- पूरक 2,75.20	2,75.20	68.80	-2,06.40
(6) 2205-103-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान- पूरक 1,04.80	1,04.80	..	-1,04.80
(7) 2205-105-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान- पूरक 1,48.00	1,48.00	63.20	-84.80
(8) 2210-01-800-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान- पूरक 4,80.00	4,80.00	1,20.00	-3,60.00
(9) 2215-01-102-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान- पूरक 3,16.00	3,16.00	79.00	-2,37.00
(10) 2217-05-191-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान- पूरक 2,93.60	2,93.60	73.41	-2,20.19

शीर्ष	कूल	अनुदान	वास्तविक	व्यय	आधिक्य + बचत -
2225-01-001-1474-जिला तथा परिव्योजना प्रशासन-	मूल पुनर्वि.	25.86	-2.96	22.90	1,14.35
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-संवर्धित हुई:-					
2225-01-277-8051-अनुसूचित जातियों का कल्याण- आश्रम और शालाई-	मूल पुनर्वि.	71.90	-49.17	22.73	25.99
उपरोक्त कम संख्या (2) से (4) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 93.42 लाख रुपये, 58.91 लाख रुपये तथा 49.17 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त न होने एवं समर्पण किये जाने के कारण हुई। उपरोक्त शीर्षान्तर्गत 5.97 लाख रुपये, 92.35 लाख रुपये तथा 3.26 लाख रुपये की अंतिम बचत/अंतिम आधिक्य के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।					
(v) 0.01 लाख रुपये के समस्त विनियोग की उपलब्ध बचत के विकल्प वर्ष के दौरान कोई भी शीर्ष अखण्डित नहीं की गई।					

अनुदान संख्या - 49-समाप्त

अनुदान संख्या 50 - बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2053-जिला प्रशासन			
राजस्व	41,04,000	29,31,458	-11,72,542
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			- 9,76,781

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 11.73 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 9.77 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
2053-800-2987-बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन-			
मूल	41.04		
पुनर्वि.	-9.77	31.27	29.31
			-1.96

9.77 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत स्वीकृत बजट के विरुद्ध कम व्यय तथा कर्मचारियों द्वारा अग्रिम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप हुई। 1.96 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

कुल अनुदान
या
विनियोग
केपदे

वास्तविक
व्यय
केपदे

आधिपत्य +
बचत -
केपदे

मुख्य शीर्ष-
2075-विविध सामान्य सेवाएं
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं

राजस्व:

दत्तमत्त

वर्ष के दौरान अर्जित राशि

(31 मार्च 2001)

प्रभाति

वर्ष के दौरान अर्जित राशि

(31 मार्च 2001)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत्त

(i) 3.45 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विकल्प 31 मार्च 2001 को केवल 2.19 लाख रुपये की राशि अर्जित की गई।
(ii) प्रावधान में बचत मुद्दत: निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

(लाख रुपयों में)

आधिपत्य + बचत -

(1) 2250-103-2004-धर्मार्थ भूत-

मूल 3.00

पुनर्वि. -3.00

3.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिनमें से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण संसूचित की गई।

(2) 2250-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
6292-शासकीय मदिरों का जीर्णोद्धार-

मूल 4.08

पुनर्वि. -4.08

4.08 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत शासकीय मदिरों के जीर्णोद्धार हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण संसूचित की गई।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संगतित

की गई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

(लाख रुपयों में)

आधिपत्य + बचत -

2250-800-259-अन्य संस्थाओं को अनुदान-

मूल 1.25

पुनर्वि. 5.86

7.11

6.36

-0.75

5.86 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का संवर्धन माँ सिंहवाहिनी, कांकर तथा माँ दत्तेश्वरी, दत्तेश्वरी के मदिरों का जीर्णोद्धार तथा बस्तर के दशहरा उत्सव पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु किया गया। 0.75 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 52-कॉमि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमूल)

कॉमि	अनुदान	रुपये
वास्तविक	व्यय	रुपये
आधिक्य +	बचत -	रुपये

मुख्य शीर्ष-
2401-कॉमि कार्ड

राजस्व	वर्ष के दौरान अस्पष्टित राशि	टीका एवं टिप्पणी
11,20,000
-11,20,000

(i) 11.20 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की उपलब्ध बचत के विकल्प वर्ष के दौरान कोई भी राशि अस्पष्टित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कॉमि	अनुदान	वास्तविक	व्यय	(लाख रुपये में)
आधिक्य +	बचत -

2401-109-1201-विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सामान्य)-
8261-महिला एवं युवकों की प्रशिक्षण-
हेमिडा परियोजना

10.95 -10.95

10.95 लाख रुपये का संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा			
राजस्व	2,74,75,000	2,74,75,000	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

अनुदान संख्या 55 - महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय (सभी वसत)

आधिक्य +
बचत -
केपय

वास्तविक
व्यय
केपय

कुल
अनुदान
केपय

मुख्य शीर्ष-
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
2236-पोषाहार

राजस्व:	मूल	पूर्वक	वर्ष के दौरान अस्पष्टित राशि	(31 मार्च 2001)
	38,53,36,000	25,58,000	38,78,94,000	24,16,89,877
				-14,62,04,123
				13,20,17,000

24,16,90 लाख रुपये के संपूर्ण व्यय में मुख्य शीर्ष 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-5354-एकीकृत सेवा योजना -विदेशी सहवित्तनार्तत योजना के अंतर्गत आदेशित राशि 2,32.46 लाख रुपये समिलित है जिससे 31मार्च 2001 को मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तगत जमा में जमा किया गया।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व: (1) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 25.58 लाख रुपये का अनुपूर्वक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 14,62.04 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विकल्प 31 मार्च 2001 को केवल 13,20.17 लाख रुपये की राशि अस्पष्टित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
-------	------------	---------------	----------------

(1) 2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8682-62 परियोजना-	1,84.57	42.64	38.35
मूल			
पुनर्वि.	- 1,41.93		-4.29
(2) 2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9041-महिला एवं बाल कल्याण संवात्तनालय-	1,07.68	28.80	36.67
मूल			
पुनर्वि.	- 78.88		+7.87
(3) 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5354-एकीकृत सेवा योजना- (विदेशी सहवित्तन अंतर्गत योजना)-	11,05.00	8,06.69	8,16.20
मूल			
पुनर्वि.	- 2,98.31		+9.51

उपरोक्त कम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,41.93 लाख रुपये, 78.88 लाख रुपये तथा 2,98.31 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत परों की रिकता तथा विगत विभाग द्वारा आदेशों पर प्रतिबंध अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप हुई। उपरोक्त कम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 9.51 लाख रुपये का अंतिम आधिक्य 2,32.46 लाख रुपये इस शीर्ष की नाम किये जाने तथा 31 मार्च 2001 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तगत जमा में जमा किये जाने के कारण हुआ, जिसके कारणों सहित कम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 4.29 लाख रुपये की अंतिम बचत तथा कम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 7.87 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 55-समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(4) 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 9044-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना-				
मूल	13,15.18			
पुनर्वि.	- 5,41.02	7,74.16	7,63.75	-10.41
<p>5,41.02 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरणों पर प्रतिबंध (5,35.78 लाख रुपये) तथा मध्य प्रदेश से वास्तविक आवश्यकता से अधिक राशि का आवंटन प्राप्त होने (5.24 लाख रुपये) के कारण हुई। 10.41 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।</p>				
(5) 2235-02-103-8882-ग्राम सेविकाओं के वेतन भत्ते-				
मूल	1,77.00			
पुनर्वि.	- 1,11.26	65.74	40.89	-18.85
(6) 2236-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषाहार कार्यक्रम-				
मूल	6,32.92			
पुनर्वि.	-49.08	5,83.84	5,01.85	-81.99

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,11.26 लाख रुपये तथा 49.08 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने तथा वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित आर्थिक कटौती के फलस्वरूप हुई। उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत 18.85 लाख रुपये तथा 81.99 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 56-ग्रामोद्योग (सभी वसत)

कूल
अनुदान
केपदे
वास्तविक
व्यय
केपदे
आधिक्य +
बचत -
केपदे

मुख्य शीर्ष-
2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग
4851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग पर पूंजी परिव्यय
6851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिये उधार

राजस्व:	मूल	पुरक	वर्ष के दौरान अस्पष्टित राशि	पूँजीगत	वर्ष के दौरान अस्पष्टित राशि	टीका एवं टिप्पणियाँ
5,41,21,000	200	5,41,21,200	3,19,14,642	1,77,60,000	7,22,190	टीका एवं टिप्पणियाँ
-2,22,06,558	-1,70,37,810	..	वर्ष के दौरान अस्पष्टित नहीं की गईं।

(i) 2,22.07 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अस्पष्टित नहीं की गईं।
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कूल	अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
(1) 2851-103-0701-कैन्स प्रवर्तित योजना सामान्य-9200-विपणन विकास (हाथकरणा)	32.00	-32.00
(2) 2851-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-1068-खाली बोर्ड की स्थापना व्यय हेतु अनुदान	26.90	-26.90
(3) 2851-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8585-पंचायत के कर्मियों एवं कार्यकर्ताओं के विके-सीकरण के लिये जिला ग्रामोद्योग कार्यालयों की स्थापना	22.80	9.43	..	-13.37
(4) 2851-110-0701-कैन्स प्रवर्तित योजना सामान्य-9199-प्रोजेक्ट प्रकल्प (हाथकरणा)	30.00	-30.00
(5) 2851-110-0701-कैन्स प्रवर्तित योजना सामान्य-9282-विपणन विकास (हाथकरणा)	40.00	-40.00

उपरोक्त कम संख्या (1), (2), (4) तथा (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 32.00 लाख रुपये, 26.90 लाख रुपये, 30.00 लाख रुपये तथा 40.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने तथा कम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 13.37 लाख रुपये की बचत के कारण संचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 56-समाप्त

पूँजीगत:

(iii) 1,70.38 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विकल्प वर्ष के दौरान कोई भी गति अस्पष्टित नहीं की गई।

(iv) प्रावधान में बचत मुद्दा: निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल	अनुदान	व्यय	बचत - आधिक्य +
			(लाख रुपये में)	
(1) 4851-107-0101-राज्य आर्थीजना (सामान्य)- 6336-रेशन केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं एवं अन्य निर्माण कार्य	18.00	7.22	-10.78	
(2) 4851-107-0910-राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम- 7539-छत्तीसगढ़ शिक्षक कडेशन की अंश पूँजी का सुदृढीकरण	1,50.00	..	-1,50.00	
(3) 685:-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 9199-प्रोबेक्ट प्रोजेक्ट (हृषिकेशवा)	8.00	..	-8.00	

उपरोक्त कम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 10.78 लाख रुपये की बचत तथा कम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,50.00 लाख रुपये तथा 8.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अपयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 57 - जन संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सभी वतमान)

कुल	अनुदान	रुपये	रुपये	रुपये
आर्थिक +	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय
व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय

मुख्य शीर्ष- 4701-वृहद् एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय

पूंजीगत	वर्ष के दौरान अस्पष्टित राशि	टीका एवं टिप्पणियां
5,13,00,000	1,85,99,154	-3,27,00,846
..

पूंजीगत: (I) 3,27.01 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अस्पष्टित नहीं की गई।

(II) प्राधान्य में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल	अनुदान	व्यय	व्यय
आर्थिक +	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय
व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय
(1) 4701-01-247-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-	1,50.00	17.84	-1,32.16	
2339-निर्देशन एवं प्रशासन				
(2) 4701-01-247-1201-विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-	2,88.00	1,68.15	-1,19.85	
2367-निर्माण कार्य				
(3) 4701-01-247-1202-विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं-	75.00	..	-75.00	
2367-निर्माण कार्य				
(आदिवासी उपयोजना)-				

उपर्युक्त कम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,32.16 लाख रुपये, 1,19.85 लाख रुपये की बचत तथा 75.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्राधान्य के अपयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(V) उदात्त लेन-देन -

वर्ष के दौरान उदात्त शीर्ष के अन्तर्गत कोई भी व्यय लेखांकित नहीं किया गया। उदात्त के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रकिया की व्याख्या विनियोग लेख की अनुदान संख्या 20 - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (V) पर की गई है।

2000-2001 (01 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001) के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उदात्त उप-शीर्षों के अन्तर्गत लेखांकित उदात्त लेन-देनों का विवरण प्रारंभिक और अंतर्षी संहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	01 नवम्बर 2000 की	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	31 मार्च 2001 की अंतः
नाम + शीर्ष	नाम + शीर्ष	नाम	नाम	नाम + शीर्ष
व्यय -	व्यय -	व्यय	व्यय	व्यय -
1. कय	-70.71	-70.71
2. ष्टर	+4,26.46	+4,26.46
3. विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+2,90.99	+2,90.99
4. कांशाला उदात्त	+18.02	+18.02
योग	+6,64.76	+6,64.76

4701-वृहद् एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय-

(लाख रुपये में)

अनुदान संख्या 58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखेग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

कूल अनुदान
या
विनियोग
केपदे

वास्तविक
व्यय
केपदे

आधिक्य +
बचत -
केपदे

मुख्य शीर्ष-

2215-जलपूर्ति और सफाई

2245-दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत

2402-सू एवं जल संरक्षण

2406-वातकी एवं बन्ध जीवन

2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2702-लघु सिंचाई

3054-सड़क एवं पुल

4402-सू एवं जल संरक्षण पर पूंजी परिव्यय

4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय

5054-सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय

6245-दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत के लिये उधार

राजस्व:

वसुला

मूल

39,07,05,000

86,87,00,000

1,25,94,05,000

1,10,41,48,011

-15,52,56,989

वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि

प्रशस्ति

वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि

13,31,000

..

-13,31,000

(31 मार्च 2001)

पूर्वजागत:

वसुला

वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि

1,67,71,000

9,09,513

-1,58,61,487

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

वसुला

(i) 15,52.57 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 86,87.00 लाख रुपये का अनुपूर्वक अनुदान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ।

(ii) 15,52.57 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विकल्प वर्ष के दौरान कोई भी राशि अत्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष
कूल अनुदान
व्यय
आधिक्य +
बचत -

(लाख रुपये में)

(1) 2215-01-102-4377-समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पंचजन प्रदाय
मूल 1,75.12
पुनर्नि. -1,75.12

1,75.12 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किया गया है (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 58-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2245-01-102-2661-पेयजल की पूर्ति-			
मूल	1,08.74		
पूरक	4,97.00		
पुनर्वि.	17,56.53	23,62.27	4,45.17
			-19,17.10
17,56.53 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का संवर्धन राज्य में गंभीर सूखा होने से पेयजल इत्यादि के लिये निधियों का प्रावधान करने के कारण किया गया। 19,17.10 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(3) 2245-02-101-747-ओला पीड़ितों को राहत-			
मूल	81.47		
पुनर्वि.	-81.47	..	4.75
			+4.75
81.47 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत गंभीर सूखे के फलस्वरूप राज्य के अधिकांश जिलों में निधियों की आवश्यकता न होने के कारण हुई। 4.75 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(4) 2245-05-101-475-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण- प्राकृतिक आपदा अनखर्चि मार्जिन धन निधि/अकाल राहत निधि-			
मूल	20,33.63		
पूरक	6,87.00	27,20.63	6,87.00
			-20,33.63
20,33.63 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(5) 2245-80-800-8030-पुनः स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु-			
मूल	1,79.09		
पुनर्वि.	-1,79.09	..	1,02.10
			+1,02.10
(6) 2402-102-3142-भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधान की योजना-			
मूल	53.24		
पूरक	30,00.00		
पुनर्वि.	-53.24	30,00.00	16,85.56
			-13,14.44
(7) 2406-01-101-3891-वनरोपण कार्य-			
मूल	1,33.10		
पुनर्वि.	-1,33.10	..	51.73
			+51.73
(8) 2515-800-2389-निर्माण कार्य-			
मूल	1,33.10		
पुनर्वि.	-1,33.10
			..
(9) 2702-80-800-3819-लघु सिंचाई- (कृषि)			
मूल	2,63.07		
पुनर्वि.	-2,63.07
			..
(10) 3054-04-337-1467-जिला एवं अन्य सड़कें-			
मूल	1,33.10		
पूरक	5,03.00		
पुनर्वि.	-1,33.10	5,03.00	2,18.68
			-2,84.32

अनुदान संख्या 58-समाप्त

निधि का लेखा 01 नवम्बर 2000 से निरंक प्रारंभिक शेष से प्रारंभ किया गया। इस अनुदान के अधीन मुख्य शीर्ष 2245-05-101-आरक्षित निधि और जमा लेखाओं को अंतरण-आपदा राहत निधि को नामे कर 46,87.00 लाख रुपये की राशि 01 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि में मुख्य शीर्ष "8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-111-आपदा राहत निधि" में जमा की गई और वर्ष का लेखा बंद होने से पूर्व प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय के रूप में कोई भी राशि इस निधि से अंतरित नहीं की गई। 31 मार्च 2001 को निधि के लेखे में 46,87.00 लाख रुपये का जमा शेष था।

जब निधि का वर्गीकरण मुख्य शीर्ष "8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-111-आपदा राहत निधि"- के अंतर्गत किया जाता है तब निधि की अभिवृद्धियों को कोषालय विपत्रों, भारत सरकार की प्रतिभूतियों, सार्वजनिक उपक्रम के बंध पत्रों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं सहकारी बैंकों में निवेशित करना अपेक्षित होता है। यदि निधि का निवेश करना संभव न हो तो इसका वर्गीकरण मुख्य शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-111-आपदा राहत निधि"-के अंतर्गत किया जाना चाहिये एवं राज्य सरकार को निधि पर रिजर्व बैंक की अधिविक्रय नियमन योजना के अधीन लागू दर की डेढ़ गुना दर पर ब्याज का भुगतान करना चाहिये।

ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर जमा किया जायेगा और मुख्य शीर्ष "2049-ब्याज अदायगी-05-आरक्षित निधियों पर ब्याज-105-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज" को नामे किया जावेगा। 01 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया एवं निधि में उक्त अवधि के दौरान ब्याज की कोई राशि जमा नहीं की गई।

निधि के लेन-देनों का लेखा 01 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के वित्त लेखे 2000-2001की विवरण संख्या-16 में सम्मिलित किया गया है।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(ix) 1,58.61 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को 1,67.71 लाख रुपये का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4402-800-2389-निर्माण कार्य-			
मूल	53.24		
पुनर्वि.	-53.24
(2) 4702-800-3819-लघु सिंचाई (कृषि)-			
मूल	53.24		
पुनर्वि.	-53.24
(3) 5054-04-337-1467-जिला और अन्य सड़कें-			
मूल	53.24		
पुनर्वि.	-53.24	..	9.10
(4) 6245-01-800-2750-प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु ऋण-			
मूल	7.99		
पुनर्वि.	-7.99

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) तक प्रत्येक के शीर्षान्तर्गत 53.24 लाख रुपये तथा क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 7.99 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 9.10 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के समुचित कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 60-जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय

(सभी वतमान)

कुल
अनुदान
व्यय
वास्तविक
रूपये

कुल
अनुदान
व्यय
आधिक्य +
बचत -
रूपये

मुख्य शीर्ष-
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यकर्मों पर पूंजी परिव्यय

पूँजीगत 3,83,33,000 3,88,19,359 +4,86,359

वर्ष के दौरान अत्यधिक राशि

टीका एवं टिप्पणियाँ

पूँजीगत:

(i) वतमान अनुदान से हूये 4,86,359 रूपये के अधिक व्यय का निवमानकूलन आवश्यक है।

(ii) प्रावधान में अधिक व्यय निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष
कुल
अनुदान
वास्तविक
व्यय
(लाख रूपये में)

आधिक्य +
बचत -
रूपये

4515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
8284-मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
विकास योजना

4.86 लाख रूपये के अधिक व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

3,83.33 3,88.19 +4.86

**अनुदान संख्या 61 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य			
3606- सहायता सामग्री और उपस्कर			
राजस्व	1,45,95,000	26,57,519	-1,19,37,481
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 1,19.37 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-200-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 8228-विश्व बैंक सहायित मोतियाबिन्द अंधत्व निवारण प्रोजेक्ट	64.53	26.58	-37.95
(2) 2210-05-105-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 8132-एड्स बीमारी की रोकथाम	78.42	..	-78.42

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 37.95 लाख रुपये की बचत तथा 78.42 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
(सभी वसत)

- मुख्य शीर्ष-
2055-पुलिस
2202-सामान्य शिक्षा
2203-तकनीकी शिक्षा
2210-विकिसा एवं लोक स्वास्थ्य
2211-परिवार कल्याण
2215-जल पूर्ति एवं सफाई
2216-आवास
2217-शहरी विकास
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं
अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
2230-श्रम एवं रोजगार
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
2236-पोषाहार
2401-कृषि कार्य
2403-पशुपालन
2404-डेयरी विकास
2405-मीन उद्योग
2406-बान्की और वन्य जीवन
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा
2425-सहकारिता
2501-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम
2505-ग्रामीण रोजगार
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
2801-विद्युत्
2810-ऊर्जा के गैर परंपरिक स्रोत
2851-ग्रामीण और लघु उद्योग
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूर्वी परिव्यय
4210-विकिसा और लोक स्वास्थ्य पर पूर्वी परिव्यय
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूर्वी परिव्यय
4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूर्वी परिव्यय
4402-श्रम एवं जल संरक्षण पर पूर्वी परिव्यय
4425-सहकारिता पर पूर्वी परिव्यय
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूर्वी परिव्यय
4702-लघु सिंचाई पर पूर्वी परिव्यय
4851-ग्रामीणों और लघु उद्योगों पर पूर्वी परिव्यय
5054-सड़कों और पुलों पर पूर्वी परिव्यय
6225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये उद्योग
6425-सहकारिता के लिये उद्योग
6851-ग्रामीणों और लघु उद्योगों के लिये उद्योग

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
14-कृषि विभाग			
(5) 2401-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 878-कृषकों के खेतों पर धान उत्पादन का विशेष कार्यक्रम- मूल 36.51 पुनर्वि. -36.51	..	2.68	+2.68
(6) 2401-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक- 1918-दलहन फसलों का उत्पादन- मूल 60.36 पुनर्वि. -60.36
(7) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक- 1107-गहन तिलहन विकास कार्यक्रम - मूल 29.08 पुनर्वि. -29.08
(8) 2401-789-110-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 8792-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना- मूल 25.20 पुनर्वि. -25.20
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 36.51 लाख रुपये, 60.36 लाख रुपये, 29.08 लाख रुपये तथा 25.20 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मुख्य शीर्ष 2401-108-4838-मेक्रोमेनेजमेंट कार्य योजना के अंतर्गत निधियों का प्रावधान किये जाने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2.68 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।</p>			
17-लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग			
(9) 2210-01-789-110-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 7642-जिला अस्पतालों का उन्नयन	50.80	..	-50.80
(10) 2210-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 2779-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	54.06	1.95	-52.11
(11) 2210-06-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 4245-मलेरिया	27.34	3.49	-23.85
18-नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग-नगरीय निकाय			
(12) 2217-05-789-191-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 5126-स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	27.50	..	-27.50

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
20-स्कूल शिक्षा विभाग			
(13) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	35.91	11.29	-24.62
22-पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग			
(14) 2501-01-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 8376-मिनी आई.टी.आई. का निर्माण	29.56	..	-29.56
(15) 2501-01-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 9375-स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को अनुदान	1,75.59	..	-1,75.59
(16) 2505-01-789-702-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 5200-रोजगार आश्वासन योजना	3,51.73	1,27.01	-2,24.72
(17) 2505-01-789-702-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 9376-राष्ट्रीय कार्यक्रम ग्रामीण जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	2,05.82	1,54.09	-51.73
उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (17) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 50.80 लाख रुपये, 52.11 लाख रुपये, 23.85 लाख रुपये, 27.50 लाख रुपये, 24.62 लाख रुपये, 29.56 लाख रुपये, 1,75.59 लाख रुपये, 2,24.72 लाख रुपये तथा 51.73 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
25-आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग			
(18) 2225-01-789-277-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 2526-परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र- मूल 23.02 पुनर्वि. - 14.42	8.60	2.98	-5.62
(19) 2225-01-789-277-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- विशेष घटक योजना- 2676-मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति- मूल 54.18 पुनर्वि. - 27.51	26.67	21.88	-4.79
(20) 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 4719-अनुसूचित जातियों के लिये सहायता योजना- मूल 31.25 पुनर्वि. -20.63	10.62	7.83	-2.79

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(21) 2225-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 5191-अनुसूचित जाति/ जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन सहायता/पुनर्वास सहायता- मूल 1,92.49 पुनर्वि. - 1,11.25	81.24	37.01	-44.23

उपरोक्त क्रम संख्या (18) से (21) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 14.42 लाख रुपये, 27.51 लाख रुपये, 20.63 लाख रुपये एवं 1,11.25 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने तथा अभ्यर्पण किये जाने के फलस्वरूप हुई। उपरोक्त शीर्षान्तर्गत क्रमशः 5.62 लाख रुपये, 4.79 लाख रुपये, 2.79 लाख रुपये तथा 44.23 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

35-पशुपालन विभाग

(22) 2403-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 1109-गहन पशु विकास परियोजना	61.25	22.85	-38.40
--	-------	-------	--------

38.40 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
13-ऊर्जा विभाग			
(1) 2801-06-793-800-0603-विशेष घटक योजनांतर्गत भारत सरकार से अलावा वित्त पोषित योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता- 5230-मजरा/टोलों का विद्युतीकरण	1,11.00	1,50.00	+39.00

39.00 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

14-शिक्षण विभाग

(2) 2401-789-108-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- विशेष घटक योजना- 4838-मेक्रोमेनेजमेंट कार्य योजना- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 1,51.75	1,51.75	95.42	-56.33
--	---------	-------	--------

1,51.75 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का संवर्धन आकस्मिकता निधि से आहरित राशि को आपूरित करने के लिये अनुपूरक बजट अनुमानों में किये गये सांकेतिक प्रावधान के विरुद्ध निधियों का प्रावधान किये जाने के लिये किया गया। 56.33 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
(3) 2210-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 1228-ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय	57.25	90.90	+33.65
20-स्कूल शिक्षा विभाग			
(4) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 4398-शासकीय प्राथमिक विद्यालय	9.41	44.88	+35.47

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 33.65 लाख रुपये तथा 35.47 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

पूँजीगत:

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 15,00.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 22,15.02 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 5,71.00 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
02-गृह विभाग			
(1) 4059-60-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक योजना- 5172-नये पुलिस थानों की स्थापना	20.20	0.94	-19.26
15-सहकारिता विभाग			
(2) 4425-789-107-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2753-प्राथमिक कृषि साख कृषक सेवा- बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की अंशपूँजी में धनवेष्ठन	49.40	..	-49.40
(3) 6425-789-107-0103--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 4697-अनुसूचित जाति के कृषकों के लिये उपभोक्ता ऋण	10.62	..	-10.62

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 19.26 लाख रुपये की बचत तथा 49.40 लाख रुपये तथा 10.62 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
19-लोक निर्माण विभाग			
(4) 4210-02-789-104-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 5056-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण-			
मूल	90.40		
पुनर्वि.	-60.22	30.18	9.66
			-20.52
60.22 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत फरवरी 2001 में अस्थायी संभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकार वापिस लेने, ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति तथा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसंधान, रुपांकन तथा विकास कार्यालय के अंतरित नहीं किये जाने के फलस्वरूप हुई। 20.52 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(5) 5054-04-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 5226-ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)-			
मूल	2,22.93		
पुनर्वि.	-1,74.61	48.32	27.90
			-20.42
(6) 5054-04-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 9002-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण-			
मूल	2,53.91		
पुनर्वि.	-1,39.08	1,14.83	44.95
			-69.88
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,74.61 लाख रुपये एवं 1,39.08 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत फरवरी 2001 में अस्थायी संभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारों को वापिस लेने के फलस्वरूप निधियों के अप्रयुक्त रहने तथा ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण संसूचित की गई। उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत 20.42 लाख रुपये तथा 69.88 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
25-आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग			
(7) 4225-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 1400-छात्रावास और आश्रम भवन-			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	-1,84.84	2,15.16	1,43.00
			-72.16
1,84.84 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत निधियां विलंब से प्राप्त होने तथा जिलों द्वारा राशि अभ्यर्पित किये जाने के फलस्वरूप संसूचित की गई। 72.16 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(8) 6225-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- विशेष घटक योजना- 7602-सफाई कामगारों के लिये सेनीटरी मार्ट योजना-			
मूल	79.50		
पूरक	15,00.00	15,79.50	79.50
			-15,00.00

**अनुदान संख्या 66- पिछड़ा वर्ग कल्याण
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
राजस्व	6,44,25,000	4,00,91,288	-2,43,33,712
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			66,86,959

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

- (i) 2,43.34 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 66.87 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2225-03-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1474-जिला एवं परियोजना प्रशासन-			
मूल	19.01		
पुनर्वि.	-1.08	17.93	12.91
			-5.02
(2) 2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3673-राज्य छात्रवृत्तियां-			
मूल	4,36.00		
पुनर्वि.	-51.07	3,84.93	2,73.06
			-1,11.87
(3) 2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9026-मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां-			
मूल	1,82.00		
पुनर्वि.	-10.12	1,71.88	1,09.53
			-62.35

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1.08 लाख रुपये, 51.07 लाख रुपये तथा 10.12 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों से समर्पण प्राप्त होने के कारण संसूचित की गई। उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः 5.02 लाख रुपये, 1,11.87 लाख रुपये तथा 62.35 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 67-जारी

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2059-01-051-2449-न्याय प्रशासन- (न्यायालय भवनों की मरम्मत)	1,02.76	4.05	-98.71
(2) 2059-01-051-2631-पुलिस प्रशासन	1,10.48	18.58	-91.90
(3) 2059-01-051-3643-राज भवन	1,02.30	0.88	-1,01.42
(4) 2059-01-051-3692-राज्य विधान मंडल	1,02.30	..	-1,02.30
(5) 2059-01-051-4332-सचिवालय सामान्य सेवा	52.53	..	-52.53
(6) 2059-01-051-7553-विभागाध्यक्ष का कार्यालय	3,00.00	..	-3,00.00
(7) 2059-01-053-3383-विशेष मरम्मत-भवन	1,05.15	26.28	-78.87
(8) 2059-01-053-3387-मरम्मत-विश्राम गृह	1,54.71	52.56	-1,02.15
(9) 2059-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3300-मंडल स्थापना	1,93.94	6.80	-1,87.14
(10) 2059-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3566-मुख्यालय स्थापना	1,80.33	1.19	-1,79.14
(11) 2059-80-799-1051-स्टॉक	10,00.00	3,30.84	-6,69.16
(12) 2059-80-799-4056-विविध लोक निर्माण पेशगियां	3,00.00	2,30.49	-69.51

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (12) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 98.71 लाख रुपये, 91.90 लाख रुपये, 1,01.42 लाख रुपये, 1,02.30 लाख रुपये, 52.53 लाख रुपये, 3,00.00 लाख रुपये, 78.87 लाख रुपये, 1,02.15 लाख रुपये, 1,87.14 लाख रुपये, 1,79.14 लाख रुपये, 6,69.16 लाख रुपये तथा 69.51 लाख रुपये की बचत/समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2059-01-051-183-अन्य गौण कार्य	11.39	2,88.12	+2,76.73
(2) 2059-01-053-6519-साधारण मरम्मत	1,10.14	2,07.78	+97.64
(3) 2059-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2418-निष्पादन	13,30.13	19,90.56	+6,60.43

अनुदान संख्या 67-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(4) 2216-80-001-2300-निदेशन एवं प्रशासन मांग संख्या-67 2059-लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना प्रभार का समानुपातिक भाग	79.42	1,47.29	+67.87

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,76.73 लाख रुपये, 97.64 लाख रुपये, 6,60.43 लाख रुपये तथा 67.87 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(iv) उचंत लेन देन:-

इस अनुदान के अंतर्गत किये गये व्यय में 5,61.33 लाख रुपये "2059-लोक निर्माण कार्य-उचंत" शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध किये गये हैं। 'उचंत' के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अंतर्गत टीप (v) में दी गई है।

वर्ष 2000-2001 (01 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक) के दौरान इस अनुदान में लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अंतर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है :-

विवरण	01 नवम्बर 2000 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2001 को अंतः शेष नामे + जमा -
2059-लोक निर्माण कार्य- (लाख रुपयों में)				
1. क्रय	-22,82.95	-22,82.95
2. भंडार	+9,10.79	3,30.84	2,84.31	+9,57.32
3. विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+29,08.21	2,30.49	1,88.79	+29,49.91
योग	+15,36.05	5,61.33	4,73.10	+16,24.28

प्रभारित-

(v) 4.93 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) 5,95.13 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 3,80.25 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4059-01-051-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2450-न्याय प्रशासन- 001-भवन- मूल 55.21 पुनर्वि. -36.12	19.09	6.93	-12.16
(2) 4202-02-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 515-इंजीनियरिंग /तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान भवनों का निर्माण- 001-भवन	38.28	2.33	-35.95

अनुदान संख्या 67-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(3) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4144-अस्पताल एवं औषधालय भवनों का निर्माण- मूलभूत सेवाओं के लिये- 001-भवन-			
मूल	37.36		
पुनर्वि.	-36.54	0.82	+2.01
(4) 4210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4143-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण- मूलभूत सेवाओं के लिये- 001-भवन-			
मूल	3,04.48		
पुनर्वि.	-2,19.31	85.17	+6.93
(5) 4216-01-106-3692-राज्य विधान मंडल- 001-भवन	3,00.00	21.20	-2,78.80

उपरोक्त क्रम संख्या (1), (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 36.12 लाख रुपये, 36.54 लाख रुपये तथा 2,19.31 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत फरवरी 2001 में अस्थायी संभागों के आहरण/संवितरण अधिकार वापिस लिये जाने, ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से कार्य करने और वास्तुविद् तथा अनुसंधान विकास तथा रुपांकन कार्यालयों को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित न किये जाने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 12.16 लाख रुपये, 35.95 लाख रुपये, 2.01 लाख रुपये, 6.93 लाख रुपये तथा 2,78.80 लाख रुपये की अंतिम बचत/अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1481-जिला प्रशासन- 001-भवन-			
मूल	1,77.35		
पुनर्वि.	-50.84	1,26.51	+1,34.44
(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4485-सामान्य प्रशासन विभाग-भवन- 001-भवन-			
मूल	4.01		
पुनर्वि.	-2.00	2.01	+41.76
(3) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 577-उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय भवनों का निर्माण- 001-भवन	10.45	27.98	+17.53

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 50.84 लाख रुपये तथा 2.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत फरवरी 2001 में अस्थायी संभागों में आहरण/संवितरण अधिकारों के प्रचलित नहीं रहने, कार्य की समयानुपातिक प्रगति न होने के कारण ठेकेदारों को भुगतान नहीं किये जाने और वास्तुविद् कार्यालय तथा अनुसंधान विकास और रुपांकन कार्यालयों के मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित न होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,34.44 लाख रुपये, 41.76 लाख रुपये तथा 17.53 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय			
4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय			
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय			
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय			
4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय			
पूंजीगत	9,74,64,000	1,03,97,740	-8,70,66,260
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)			5,51,39,000

टीका एवं टिप्पणियां
पूंजीगत:

(i) 8,70.66 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 5,51.39 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4202-01-796-203-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5086-महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण	17.66	..	-17.66
17.66 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(2) 4210-02-796-103-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 1209-ग्रामीण योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण-			
मूल	1,04.50		
पुनर्वि.	-40.15	64.35	49.49
			-14.86
(3) 4210-02-796-104-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 8169-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण-			
मूल	5,30.00		
पुनर्वि.	-2,98.35	2,31.65	46.63
			-1,85.02
(4) 4210-02-796-110-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5057-अस्पतालों में शैय्याओं की वृद्धि-			
मूल	3,06.00		
पुनर्वि.	-1,98.06	1,07.94	5.38
			-1,02.56

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 40.15 लाख रुपये, 2,98.35 लाख रुपये तथा 1,98.06 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः ठेकेदारों द्वारा कार्य की अपर्याप्त प्रगति के कारण हुये कम व्यय तथा मध्य प्रदेश राज्य से वास्तुविद् तथा अनुसंधान, विकास एवं रुपांकन कार्यालय का छत्तीसगढ़ में स्थानांतरण न किये जाने के कारण हुई। उक्त शीर्षों के अंतर्गत 14.86 लाख रुपये, 1,85.02 लाख रुपये तथा 1,02.56 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

**अनुदान संख्या 69 - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2217-शहरी विकास			
6217-नगर विकास के लिये उधार			
राजस्व			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	2,33,47,000	2,30,43,049	-3,03,961
पूँजीगत			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	1,66,25,000	1,66,25,000	..
			..

टीका एवं टिप्पणी

राजस्व:

(i) 3.04 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 71-पर्यपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सभी दत्तमत्त)

कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
62,50,000	26,27,293	-36,22,707
3,10,000	8,73,581	+5,63,581
वर्ष के दौरान अर्पित राशि		
वर्ष के दौरान अर्पित राशि		
राजस्व		
पूर्वगत		
टीका एवं टिप्पणियाँ		

मुख्य शीर्ष-
2403-पर्यपालन
4403-पर्यपालन पर पूर्वी परिव्यय

राजस्व:

(i) 36.23 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
2403-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सामान्य)- 8317-बस्तर जिले में पर्यटन विकास	62.50	26.27	-36.23

36.23 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

पूर्वगत:

(iii) दत्तमत अनुदान से कुल 5,63,581 रुपये के अधिक व्यय का नियमानुर्कलन आवश्यक है।

(iv) प्रावधान से आधिक्य निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
4403-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सामान्य)- 8317-बस्तर जिले में पर्यटन विकास	3.10	8.74	+5.64

5.64 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं (सभी वतमान)

कुल	अनुदान	केपे
वास्तविक	व्यय	केपे
	वतन -	आधिक्य +

मुख्य शीर्ष-
4701-वृहद और मध्यम सिंचाई पर पूर्वा परियोजना
4702-लघु सिंचाई पर पूर्वा परियोजना

पूर्वागत	वर्ष के दौरान अर्पित राशि	टीका एवं टिप्पणी	पूर्वागत:
7,46,00,000	6,93,78,304
-52,21,696			

(i) 52.22 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विकल्प वर्ष के दौरान कोई भी राशि अर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक	व्यय	आधिक्य +
			(लाख रुपये में)	वतन -	
(1) 4701-03-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8695-पूर्वा योजनाओं के वार्षिक	10.00	-10.00
(2) 4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2339-निर्देशन एवं प्रशासन	36.00	21.46	21.46	..	-14.54
(3) 4702-101-9469-नाबार्ड से सहायता के अंतर्गत	7,00.00	6,72.32	6,72.32	..	-27.68
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 10.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान के अपयुक्त रहने तथा 14.54 लाख रुपये एवं 27.68 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।					

ग्रिड-पत्रक
विनियोग लेख 2000-01
छत्तीसगढ़ सरकार

पूरा क्रमांक	संक्षेप	के लिए	पद
39	ऊपर से 7वीं पंक्ति	+2,10.26	- 2,10.26
39	ऊपर से 9वीं पंक्ति	के अंतिम आधिक्य	की अंतिम बचत
45	नीचे से 6वीं पंक्ति	(मुख्यालय	(मुख्यालय
47	ऊपर से 6वीं पंक्ति, स्तंभ क्र. 3	37.37	30.37
49	नीचे से 8वीं पंक्ति	342-वाया प्रक्षेत्रों का विकास	1342-वाया प्रक्षेत्रों का विकास
52	नीचे से 1वीं पंक्ति, स्तंभ क्र.4		-20.00
56	नीचे से 9वीं पंक्ति	राष्ट्रीय	राष्ट्रीय
71	ऊपर से 10 वीं पंक्ति	पूरक	पूरक
93	ऊपर से 8वीं पंक्ति	राजस्व	राजस्व:
96	ऊपर से 9वीं पंक्ति	की अंतिम बचत	के अंतिम आधिक्य
98	ऊपर से 20वीं पंक्ति	वर्ष के दौरान अस्थायित राशि	वर्ष के दौरान अस्थायित राशि
102	नीचे से 10 वीं पंक्ति	1 अप्रैल	1 नवम्बर
105	नीचे से 7वीं पंक्ति	0802-केन्द्र प्रवर्तित योजना-	0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना-
113	ऊपर से 18वीं पंक्ति	0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना-	0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना-
114	ऊपर से 19वीं पंक्ति	यद्यपि मूल प्रावधान वास्तविक	यद्यपि वास्तविक व्यय मूल
122	नीचे से 6वीं पंक्ति	4.07	-4.07
123	नीचे से 5वीं पंक्ति	-27.68	27.68
130	ऊपर से 9वीं पंक्ति	-9,76,781	9,76,781
139	नीचे से 16वीं पंक्ति	(V) उच्च लेन-देन-	(III) उच्च लेन-देन-
162	ऊपर से 9वीं पंक्ति, स्तंभ क्र. 3	2,30,43,049	2,30,43,039

अनुदान संख्या 76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सभी वतमान)

पूजा शीर्ष-	कूल	अनुदान	व्यय	आधिक्य +
5054-सड़कों और पुलों पर पूजा परिव्यय				
वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि	95,00,000			
पूजागत				
वर्ष के दौरान अत्यर्पित राशि (31 मार्च 2001)				
टीका एवं टिप्पणियां				
पूजागत:				
(i) 95.00 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2001 को केवल 84.50 लाख रुपये की राशि अत्यर्पित की गई।				

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कूल	अनुदान	व्यय	आधिक्य +
5054-03-337-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-				
7379-विश्व बैंक सहायित परियोजनाओं के अंतर्गत सड़कों की मरम्मत-	95.00			
पूजा				
84.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुद्दात: ठेकेदारों द्वारा निम्न स्तर की कार्यक्षमता प्रदर्शित किये जाने के कारण व्यय नहीं किये जाने के फलस्वरूप संशोधित की गई। 10.50 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।				
पूजा				
84.50				
10.50				
-10.50				

अनुदान संख्या 77-बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सभी वतमान)

कुल	अनुदान	केपदे
आधिक्य +	बचत -	केपदे

मुख्य शीर्ष- 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

राजस्व
वर्ष के दौरान अर्पित राशि
(31 मार्च 2001)

राजस्व:
टीका एवं टिप्पणियां

(1) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक व्यय	(लाख रुपयों में)
आधिक्य +	बचत -	आधिक्य +	बचत -	

2225-02-102-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं-
(आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-
8762-आदिवासी विकास समितियों को अन्तर्राष्ट्रीय
कृषि विकास निधि से सहायता के अंतर्गत अनुदान-
मूल 8,00,000
पुनर्शि: -8,00,000

8,00,00,00,00,00 लाख रुपयों के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत संस्वीकृति के प्राप्त न होने के कारण संसूचित की गई।

अनुदान संख्या 79-चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य			
राजस्व:			
दत्तमत	13,66,80,000	10,81,25,667	-2,85,54,333
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
प्रभारित	1,50,000	..	-1,50,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 2,85.54 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंध चिकित्सालय	2,45.98	1,64.91	-81.07

81.07 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(2) 2210-02-101-460-आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय-

मूल	91.47		
पुनर्वि.	2.00	93.47	34.47
			-59.00

2.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन औषधियों के क्रय करने हेतु किया जाना संसूचित किया गया।
59.00 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(3) 2210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

4194-शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एण्ड डिपो-

मूल	34.16		
पुनर्वि.	-9.75	24.41	17.14
			-7.27

9.75 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही 7.27 लाख रुपये की अंतिम बचत के पर्याप्त कारण संसूचित नहीं किये गये हैं
(जनवरी 2002)।

(4) 2210-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

4810-होम्योपैथिक औषधालय-

(मूलभूत सेवायें)	22.64	11.08	-11.56
------------------	-------	-------	--------

11.56 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 79-समाप्त

शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
(5) 2210-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 465-आयुर्वेदिक एवं अन्य औषधालयों की स्थापना (मूलभूत सेवाएँ)-	33.94	35.69	18.67	-17.02
1.75 लाख रुपये के पुनर्विनिवेश द्वारा निधियों का आवंटन से निधियों के लिये औषधियों के क्रय करने हेतु किया गया। 17.02 लाख रुपये की अतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।				
(6) 2210-05-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 469-आयुर्वेदिक महाविद्यालय	16.86	64.45	35.88	-28.57
28.57 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।				
(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-संगठित की				
शीर्ष	कुल	अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
2210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4286-संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन- मूल	0.80	17.66	21.30	+3.64
पुनर्वि.				
0.80 लाख रुपये के पुनर्विनिवेश द्वारा निधियों का आवंटन अपरिहार्य व्यय के लिये किया गया। 3.64 लाख रुपये के अतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।				

अनुदान संख्या 80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान रुपये	वास्तविक व्यय रुपये	आधिक्य + बचत - रुपये
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य			
2215-जलपूर्ति एवं सफाई			
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2236-पोषाहार			
2401- कृषि कार्य			
2403-पशुपालन			
2405-मीन उद्योग			
2406-वानिकी एवं वन्य जीवन			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2702- लघु सिंचाई			
2851-ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग			
2853-अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग			
4402- भूमि और जल संरक्षण पर पूंजी परिव्यय			
4851-ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय			
6405-मीन उद्योग के लिये उधार			
6851-ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये उधार			

राजस्व:

मूल	82,76,69,000			
पूरक	2,51,67,000	85,28,36,000	67,85,45,015	-17,42,90,985
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 एवं 31 मार्च 2001)				3,03,89,870
पूंजीगत		52,17,000	60,22,080	+8,05,080
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से काफी कम था, मार्च 2001 में प्राप्त किया गया 2,51.67 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 17,42.91 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 एवं 31 मार्च 2001 को केवल 3,03.90 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8403-शिक्षा कर्मियों को वेतन के लिये अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाएं)	21,27.33	14,00.66	-7,26.67

7,26.67 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 80-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2202-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5303-गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र (60:40) (एस.सी.आर.टी.)	74.10	..	-74.10
74.10 लाख रुपये का संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(3) 2202-02-191-8403-शिक्षा कर्मियों को वेतन के लिये अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये)	1,29.55	28.56	-1,00.99
(4) 2215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2219-नलकूपों का अनुरक्षण	4,10.00	2,03.58	-2,06.42
(5) 2215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8415-ग्रामीण नल जलप्रदाय योजनाओं के संधारण के लिये अनुदान	1,22.00	54.01	-67.99
(6) 2405-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 3319-मत्स्य पालन प्रसार	88.63	37.18	-51.45
(7) 2515-101-4610-स्टाम्प वसूली शुल्क के विरुद्ध संग्रहण	3,57.73	1.71	-3,56.02
(8) 2515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5848-ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान	25,54.98	17,84.17	-7,70.81
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (8) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,00.99 लाख रुपये, 2,06.42 लाख रुपये, 67.99 लाख रुपये, 51.45 लाख रुपये, 3,56.02 लाख रुपये तथा 7,70.81 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(9) 2515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7612-बत्तीस वाहनों का क्रय-			
मूल	57.07		
पुनर्वि.	-53.36	3.71	..
53.36 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही 3.71 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।			
(10) 2853-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण-			
मूल	1,00.00		
पूरक	1,29.69		
पुनर्वि.	-2,29.69
2,29.69 लाख रुपये के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पंचायतों को निधियां अंतरण करने हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2515-01-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5847-जिला पंचायतों को सामान्य उद्देश्यों के लिये अनुदान	20.21	76.13	+55.92

अनुदान संख्या 80-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8209-पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय और सुविधायें	1,31.46	12,44.71	+11,13.25

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 55.92 लाख रुपये तथा 11,13.25 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

पूँजीगत:

(v) दत्तमत अनुदान से हुये 8,05,080 रुपये के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vi) प्रावधान से अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
4402-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 3478-लघुतम सिंचाई योजनाएं	37.00	57.69	+20.69

20.69 लाख रुपये के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान में बचत द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित किया

गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4851-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 734-औद्योगिक सहकारी समितियों का वित्तीय आधार सुदृढ़ करना	2.75	0.10	-2.65
(2) 4851-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5824- सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोजेक्ट पैकेज हाथकरघा के अंतर्गत वाहन सुविधा/पुनर्वास के लिये सहायता	1.37	0.57	- 0.80
(3) 6405-195-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9977-मत्स्य बीज सहकारी समितियों को उधार	0.60	0.05	-0.55
(4) 6851-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 734-औद्योगिक सहकारी समितियों का वित्तीय आधार सुदृढ़ करना	2.50	0.28	-2.22
(5) 6851-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5825-प्रोजेक्ट पैकेज हाथकरघा योजनांतर्गत उन्नत उपकरणों/अंशपूँजी/सामान्य सुविधा केन्द्र कार्यालय सह गोदामों के लिये उधार	6.40	1.53	-4.87
(6) 6851-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9241-अधोसंरचना/उत्पादन एवं प्रक्रिया (औद्योगिक सहकारिताओं) के लिये सहायता	1.55	..	-1.55

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2.65 लाख रुपये, 0.80 लाख रुपये, 0.55 लाख रुपये, 2.22 लाख रुपये, 4.87 लाख रुपये तथा 1.55 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 81-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
(4) 3604-108-8860-वाणिज्यिक कर पर प्रभारित अधिभार की राशि का स्थानीय निकायों को भुगतान	11,00.00	9,90.00	-1,10.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,45.09 लाख रुपये, 71.52 लाख रुपये, 3,32.53 लाख रुपये तथा 1,10.00 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

प्रभारित-

(iv) 4,66.50 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	आधिक्य + बचत -
3604-200-4035-विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थदण्ड तथा अन्य प्राप्तियां	5,00.00	33.50	-4,66.50

4,66.50 लाख रुपये की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।

अनुदान संख्या 83-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (सभी वसमत)

कूल	अनुदान	क्षय	क्षय
+	-	+	-
आधिक्य	अधिक्य	अधिक्य	अधिक्य

मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास

राजस्व वर्ष के दौरान अस्थापित राशि

राजस्व	67,90,000	71,03,000	+3,13,000
--------	-----------	-----------	-----------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(I) दत्तमत अनुदान से रु० 3,13,000 क्षय के अधिक व्यय का नियमानुर्केलन आवश्यक है।


(II) प्रावधान से आधिक्य मुजतः निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कूल	अनुदान	क्षय	क्षय
+	-	+	-	-
आधिक्य	अधिक्य	अधिक्य	अधिक्य	अधिक्य

2217-05-796-191-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5185-मूलभूत सुविधाओं के लिये एक मुहत अनुदान- (10 वां वित्त आयोग)

67.90 71.03 +3.13

3.13 लाख क्षय के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2002)।



परिशिष्ट

परिशिष्ट- I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 11पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक + कमी -
1	2	3	4
	रुपये	रुपये	रुपये
3. पुलिस- राजस्व	56,25,000	..	-56,25,000
6. वित्त विभाग से संबंधित व्यय- राजस्व	4,42,000	..	-4,42,000
10. वन- राजस्व	4,04,65,000	..	-4,04,65,000
11. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय- पूंजीगत	..	2,000	+ 2,000
12. उर्जा विभाग से संबंधित व्यय- पूंजीगत	1,87,70,000	..	-1,87,70,000
13. कृषि- पूंजीगत	39,000	1,278	-37,722
17. सहकारिता- पूंजीगत	..	44,56,699	+44,56,699
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण- राजस्व	6,30,04,000	..	-6,30,04,000
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी- राजस्व	10,33,40,000	7,44,51,292	-2,88,88,708
पूंजीगत	24,00,000	..	-24,00,000
23. जल संसाधन विभाग- राजस्व	16,96,80,000	3,17,43,596	-13,79,36,404
पूंजीगत	2,02,00,000	1,62,06,513	-39,93,487
24. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल- राजस्व	15,00,000	..	-15,00,000
29. न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन- राजस्व	3,42,95,000	..	-3,42,95,000
35- पुनर्वासि- पूंजीगत	..	42,140	+42,140

परिशिष्ट-I-समाप्त

1	2	3	4
	रुपये	रुपये	रुपये
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय- पूंजीगत	..	1,88,04,113	+1,88,04,113
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- राजस्व	66,40,000	..	-66,40,000
पूंजीगत	..	12,73,619	+12,73,619
45. लघु सिंचाई निर्माण-कार्य- पूंजीगत	1,55,00,000	1,39,920	-1,53,60,080
56. ग्रामीण उद्योग- पूंजीगत	..	10,000	+10,000
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय- राजस्व- दत्तमत	18,73,35,000	..	-18,73,35,000
प्रभारित	13,31,000	..	-13,31,000
पूंजीगत- दत्तमत	1,59,72,000	..	-1,59,72,000
61. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं- राजस्व	3,00,000	..	-3,00,000
64. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- राजस्व	9,00,000	..	-9,00,000
पूंजीगत	..	1,72,041	+1,72,041
67. लोक निर्माण कार्य-भवन- राजस्व	29,60,92,000	23,03,10,209	-6,57,81,791
योग-			
राजस्व:			
दत्तमत	90,96,18,000	33,65,05,097	-57,31,12,903
प्रभारित	13,31,000	..	-13,31,000
पूंजीगत:			
दत्तमत	7,28,81,000	4,11,08,323	-3,17,72,677
प्रभारित
महायोग-			
राजस्व	91,09,49,000	33,65,05,097	-57,44,43,903
पूंजीगत	7,28,81,000	4,11,08,323	-3,17,72,677

परिशिष्ट - II

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 10 पर संदर्भित)

मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा/800 अन्य जमा में अंतरण की गई राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण

अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष	कुल बजट प्रावधान मूल + पूरक	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा -106-व्यक्तिगत जमा/800-अन्य जमा में अंतरित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(लाख रुपयों में)				
106-व्यक्तिगत जमा				
06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2235-60-200-7000-पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति	2.00	2.02	2.00
15-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2225-01-789-277-0103-5095-आश्रम/छात्रावासों का रख-रखाव तथा साज-सज्जा	37.50	27.21	0.83
33-आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-495-आश्रम और शालाएं	7,41.80	7,09.26	1.66
33-आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-583-उच्चतर माध्यमिक शालाएं	16,14.72	26,13.37	1.06
33-आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-2772-प्राथमिक शालाएं	36,30.33	42,59.01	0.49
33-आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-5898-निर्माण कार्य	29.52	22.64	1.51
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4225-02-796-277-0102-1400-आश्रम/ छात्रावास भवन	35.00	1,50.93	2.68
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4225-02-796-277-0102-9832-विभागीय एजेन्सी	2.50	2.60	1.00
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4225-02-796-277-0102-9840-शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण	1,41.91	1,25.78	12.00
55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	2235-02-102-0801-5354-एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायतांतर्गत योजना)	11,05.00	8,16.20	2,32.46
82-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2225-02-796-277-0102-5095-आश्रम/छात्रावासों का रख-रखाव	10.50	12.34	2.12
82-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2225-02-796-277-0102-5098-शैक्षणिक संस्थाओं की मरम्मत तथा साज-सज्जा	9.77	9.84	0.91
106-व्यक्तिगत जमा का योग		73,60.55	87,51.20	2,58.72
800-अन्य जमा				
48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2053-093-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	92.00	37.91	37.91
48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2054-095-1301-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	1,26.00	46.41	46.41
48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2055-001-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2,00.00	64.91	64.91
48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2056-001-1301-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	20.00	5.00	5.00
48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2205-105-1301-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	1,48.00	63.20	63.20

परिशिष्ट - II-समाप्त

अनुदान संख्या एवं नाम (1)	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष (2)	कुल बजट प्रावधान मूल + पूरक (3)	किया गया व्यय (4)	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरित राशि (5)
(लाख रुपयों में)				
48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2202-01-001-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2,75.20	68.80	68.80
48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2210-01-800-1301-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	4,80.00	1,20.00	1,20.00
48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2215-01-102-1301-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	3,16.00	79.00	79.00
48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2217-05-191-1301-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2,93.60	73.41	73.41
48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2402-102-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2,12.40	68.01	68.01
48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	4059-01-051-1301-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	20,97.20	5,24.30	5,24.30
48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	4216-01-106-1301-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	9,14.80	2,28.70	2,28.70
48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	4402-800-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2,12.40	53.10	53.10
800-अन्य जमा का योग		53,87.60	14,32.75	14,32.75
106-व्यक्तिगत जमा का योग		73,60.55	87,51.20	2,58.72
800-अन्य जमा का योग		53,87.60	14,32.75	14,32.75
महायोग		1,27,48.15	1,01,83.95	16,91.47